

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या—6

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

परिवहन आयुक्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण निम्नवत है :—

एस0टी0ए0अनुभाग

- 1— एस0टी0ए0 की बैठकों के एजेण्डे एवं कार्यवृत्त की प्रतियां।
- 2— अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार सम्बन्धी पत्रावली।
- 3— समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिट रजिस्टर।
- 4— समस्त भारतवर्ष के ठेका गाड़ी परमिट रजिस्टर।
- 5— समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिट रजिस्टर।
- 6— समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट रजिस्टर।
- 7— समस्त उत्तराखण्ड ठेका गाड़ी परमिट रजिस्टर।
- 8— निजी सेवा यान परमिट रजिस्टर।
- 9— मंजिली गाड़ी परमिट रजिस्टर।
- 10— परमिट प्रतिरक्षापन रजिस्टर।
- 11— धारा—86 के चालानों एवं प्रशमन रजिस्टर।
- 12— माल वाहन परमिट प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर।
- 13— ठेका गाड़ी प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर।
- 14— अस्थायी परमिट रजिस्टर।
- 15— अस्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर।
- 16— कोर्ट फीस रजिस्टर।
- 17— परमिट फीस रजिस्टर।
- 18— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।

- 19— वीडिंग रजिस्टर।
- 21— रिट अपील रजिस्टर।
- 22— उक्त सभी प्रकार के परमिटों एवं सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

सामान्य प्रशासन/अधिष्ठान/सतर्कता अनुभाग

- 1— उपस्थिति पंजिका।
- 2— आकस्मिक अवकाश पंजिका।
- 3— डाक प्राप्ति एवं प्रेषण पंजी एवं डाक टिकट रजिस्टर।
- 4— पत्रवाहक पुस्तिका।
- 5— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।
- 6— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।
- 7— रोस्टर रजिस्टर।
- 8— स्टॉक रजिस्टर।
- 9— अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी पंजी।
- 10— मारु मुख्यमंत्री जी के सन्दर्भ सम्बन्धी पंजी।
- 11— विधानसभा प्रश्नों सम्बन्धी पंजी।
- 12— सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में आमंत्रित टेण्डर पंजी।
- 13— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

प्रवर्तन अनुभाग

- 1— प्रवर्तन कार्य के आंकड़ों सम्बन्धी अभिलेख।
- 2— विभागीय वाहनों सम्बन्धी अभिलेख एवं पंजी।
- 3— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।
- 4— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।
- 5— सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में आमंत्रित टेण्डर पंजी।
- 6— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

प्रविधिक अनुभाग

- 1— मोटर चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की अनुज्ञाप्ति पंजिका।
- 2— नवनिर्मित वाहनों को उत्तराखण्ड में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने सम्बन्धी पंजिका।
- 3— एल०पी०जी० किट को वाहनों में रिट्रोफिटमेन्ट हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने सम्बन्धी पंजिका।
- 4— प्रदूषण संयंत्रों के क्रय किये जाने सम्बन्धी पंजिका।
- 5— प्रदूषण जांच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने संबंधी पंजी।
- 6— मोटरवाहन गैराजों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पंजिका।
- 7— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।
- 8— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।
- 9— सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में आमंत्रित टेण्डर पंजी।
- 10— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

बजट एवं लेखा अनुभाग

- 1— कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतन बिल रजिस्टर।
- 2— कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएं/सेवारौल।
- 3— कर्मचारियों/अधिकारियों की जी०पी०एफ० पासबुकें।
- 4— जी०पी०एफ० लेजर।
- 5— कॉन्टिजेन्ट बिल रजिस्टर।
- 6— बिल रजिस्टर।
- 7— ट्रैजरी रजिस्टर।
- 8— मुख्य: रोकड़बही।
- 9— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।
- 10— सहायक रोकड़बही।
- 11— बजट कन्ट्रोल रजिस्टर।
- 12— बैंक ड्राफ्ट प्राप्त रजिस्टर।

13— बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त आय विवरण का रजिस्टर।

14— गार्ड रजिस्टर।

15— यात्रा भत्ता चैक एवं भुगतान का रजिस्टर।

आडिट अनुभाग

1— आडिट प्रस्तरों सम्बन्धी पंजिका।

2— पी0ए0सी0 प्रस्तरों सम्बन्धी पंजिका।

3— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।

4— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।

5— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

टी0आर0 अनुभाग

1— कर परिहार सम्बन्धी प्रकरणों की पंजिका।

2— दुर्घटना राहत विषयक पंजिका एवं अभिलेख।

3— दुर्घटना के आंकड़ों सम्बन्धी अभिलेख।

4— केन्द्र सरकार से दुर्घटना राहत योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं सम्बन्धी अभिलेख।

5— केन्द्र सरकार से समय—समय पर निर्गत अधिसूचनाएं एवं नियम/निर्देश की गार्ड फाईल।

6— पंजीयन एवं लाईसेन्स सम्बन्धी अपीलों का रजिस्टर।

7— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।

8— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।

9— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

विधि एवं न्यायाधिकरण अनुभाग

1— विभिन्न न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं सम्बन्धी पंजिका।

2— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।

3— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।

4— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

एम०आई०एस० अनुभाग

- 1— राजस्व, पंजीयन सम्बन्धी आंकड़ों सम्बन्धी पत्रावली।
- 2— मासिक समीक्षा बैठकों सम्बन्धी अभिलेख।
- 3— पत्रावली इण्डैक्स रजिस्टर।
- 4— अनुभाग सम्बन्धी गार्ड फाईल।
- 5— सम्बन्धित अनुभाग की पत्रावलियां।

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में दिन-प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले अभिलेख, दस्तावेज का ब्यौरा निम्नवत है :—

परमिट शाखा

1. स्थायी स्टेज कैरिज परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
2. प्राईवेट सेवायान परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
3. ठेका वाहनों के परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
4. माल वाहन परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
5. नैशनल परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
6. मैक्सी परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
7. यूटिलिटी परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
8. विक्रम टैम्पों परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
9. ऑटो रिक्षा परमिटों से संबंधित पत्रावलियां/रजिस्टर।
10. बैट्री चालित वाहनों से संबंधित परमिटों की पत्रावलियां/रजिस्टर।
11. अस्थाई परमिटों के अभिलेख/रजिस्टर।
12. कोर्ट फीस रजिस्टर।
13. कैश बुक।
14. रिटों का रजिस्टर व पत्रावलियां।
15. अपील रजिस्टर व पत्रावलियां।
16. पत्रावलियों का इन्डैक्स रजिस्टर।
17. प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने का रजिस्टर।

18. प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त से संबंधित रजिस्टर।
19. मार्गवार रजिस्टर।
20. रिप्लेसमैट रजिस्टर।
21. प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर।
22. रिफण्ड पत्रावलियां/रजिस्टर।
23. परमिट निरस्तीकरण रजिस्टर।
24. ऑडिट पत्रावलियां/रजिस्टर।
25. नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र का रजिस्टर।
26. धारा—86 कार्यवाही से संबंधित रजिस्टर।
27. विभिन्न मार्गों पर नये परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर।
28. बसों के परमिट हस्तान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर।
29. आदेश/निर्देश (गार्ड फाईल) संबंधित पत्रावली।
30. सामान्य पत्राचार संबंधी पत्रावली।
31. मार्ग सर्वे संबंधित पत्रावली।
32. मार्गवार पत्रावलियां।
33. दुर्घटनाओं से संबंधित पत्रावलियां।
34. आर0टी0ए0 के गठन संबंधित पत्रावली।
35. जिला सड़क यातायात सुरक्षा संबंधित पत्रावली।
36. परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति से संबंधित पत्रावली।
37. विवरण पत्रों से संबंधित पत्रावलियां।
38. लोकयुक्त पत्रावली।
39. समय—सारिणी पत्रावली।
40. स्कूल बस पत्रावलियां।
41. चार धाम यात्रा की पत्रावली।
42. आई0एस0बी0टी0 की पत्रावली।
43. निगम की पत्रावली।
44. टी0जी0एम0ओ0/यातायात की पत्रावली।

45. मंजिली गाड़ी के लिए नव—निर्मित मार्गों के निर्धारण की पत्रावली ।
46. एस०टी०ए० से पत्र व्यवहार से संबंधित पत्रावली ।
47. बैंक ड्राफ्टों के रजिस्टर ।
48. रिवीजन रजिस्टर व पत्रावलियां ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में दिन—प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले अभिलेख, दस्तावेज का ब्यौरा निम्नवत् है :—

1— सामान्य प्रशासन शाखा

सामान्य प्रशासन शाखा में उपलब्ध रहने वाले स्थायी/अस्थायी अभिलेख :—

1. उपस्थिति पंजिका ।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के प्रार्थना पत्र व पंजिका ।
3. गार्ड फाईल ।
4. स्टॉक रजिस्टर ।
5. कार्यालय डाक फाईल ।
6. कर्मचारियों का रोस्टर रजिस्टर ।
7. मूवमैंट रजिस्टर ।
8. कार्यालय इन्डैक्स डिस्पैच रजिस्टर ।
9. डाक टिकट रजिस्टर ।
10. अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां ।
11. कार्यालय भूमि/भवन संबंधी पत्रावलियां ।
12. उपस्कर एवं लेखन सामग्री, रजिस्टर एवं पत्रावली ।
13. अभिलेखों के निदान संबंधी पत्रावली एवं रजिस्टर ।
14. सामान्य पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावलियां ।
15. अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी पत्रावलियां ।
16. अधिष्ठान पत्रावली ।
17. राजस्व प्राप्ति संबंधी आंकड़े एवं विवरण पत्र ।

18. अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्र पंजिकायें।
19. शाखा में उपलब्ध पत्रावलियों का इन्डैक्स रजिस्टर।
20. टेलीफोन रजिस्टर।
21. शिकायतों संबंधित रजिस्टर।
22. कार्यालय निरीक्षण पत्रावली।
23. महालेखाकार/आन्तरिक ऑडिट संबंधी अभिलेख।

2— रजिस्ट्रीकरण एवं कर शाखा

1. कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत समस्त वाहनों के रजिस्ट्रीकरण विवरण रजिस्टर।
2. कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत समस्त वाहनों की रजिस्ट्रीकरण पत्रावलियां।
3. वाहनों के सर्वपण संबंधी पंजिका।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु रजिस्टर।
5. वाहनों की बकाया सूची एवं बकाया रजिस्टर।
6. वाहनों के बकाया के विरुद्ध जारी किये गये वसूली पत्रों का रजिस्टर।
7. कर वापसी रजिस्टर।
8. कर माफी रजिस्टर।
9. व्यापार प्रमाण पत्र पंजिका।
10. फारवर्ड एजेन्सी पंजीकृत संबंधी पत्रावलियां एवं रजिस्टर।
11. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संबंधी पत्रावलियां एवं रजिस्टर।
12. अन्य राज्यों की प्रतिहस्ताक्षर वाहनों के कर जमा संबंधी रजिस्टर।
13. सहायक रोकड़ बहियां।
14. सामान्य पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावली।
15. प्रतिदिन जारी वाहनों को ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी रजिस्टर।
16. यात्री वाहनों/ठेका वाहनों/टैक्सी/मैक्सी रजिस्टर।
17. स्टेज कैरिज वाहनों के मार्गवार रजिस्टर।
18. विवरण पत्र संबंधी रजिस्टर एवं पत्रावलियां।

19. आवश्यक आदेश / निर्देश संबंधी गार्ड फाईल।
20. ऑडिट संबंधी पत्रावलियां एवं रजिस्टर।
21. सरकारी वाहनों का रजिस्टर।

3— अनुज्ञप्ति शाखा

1. कार्यालय द्वारा जारी समस्त अनुज्ञप्तियों के रजिस्टर।
2. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति संबंधी अभिलेख।
3. निर्धारित अवधि तक के अनुज्ञप्तियों की पत्रावलियां।
4. अंतराष्ट्रीय परमिट जारी करने संबंध रिकार्ड एवं पत्रावलियां।
5. आवश्यक आदेश / निर्देश संबंधित गार्ड फाईल।
6. अनुज्ञप्ति के विरुद्ध कार्यवाही का रजिस्टर।
7. कार्ड लाईसेंस मशीन।
8. फार्म-7 जारी होने का रजिस्टर।
9. कार्यालय में जारी होने वाले कण्डकटर अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर।
10. सामान्य रोकड़ बही।
11. सामान्य पत्राचार संबंधी पत्रावली।
12. ऑडिट संबंधी पत्रावलियां रजिस्टर।

4— प्रवर्तन शाखा

1. क्राईम रजिस्टर।
2. चालानों का रजिस्टर।
3. विभागीय वाहनों की लॉग बुकें।
4. प्रदूषण सयन्त्र।
5. प्रदूषण चैकिंग के रिकार्ड एवं अभिलेख।
6. सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री एवं पत्रावली।
7. माननीय न्यायालय को प्रेषित चालानों का रजिस्टर।
8. रेडी रेकनर।
9. माननीय न्यायालय से प्राप्त चालानों के निस्तारण रजिस्टर।

10. प्रश्नमन शुल्क जमा हेतु रसीद बुक।
11. चालान बुक/सीजर बुक/ रिलीज आर्डर।
12. बिना वारन्ट चालक को गिरफ्तार करने का रजिस्टर।
13. चालान अभियोग पत्र अभिलेख/सूचना पत्र।
14. सामान्य रोकड़ बही।
15. डाक रजिस्टर।
16. अनुज्ञाप्ति/रजिस्ट्रीकरण/परमिट/ठीक हालत में होने से संबंधित कार्यवाही की संस्तुति के अभिलेख।
17. सरकारी आमर्स से संबंधित पत्रावली।
18. प्रवर्तन कार्मिकों को जारी आदेश/निर्देश फाईल।
19. आवश्यक आदेश/निर्देश संबंधी गार्ड फाईल।
20. मार्ग सर्वेक्षण पत्रावली।
21. सामान्य पत्राचार पत्रावली।
22. चेकपोस्टों पर नियंत्रण के संबंध जारी पत्रों की पत्रावली।
23. मासिक विवरण पत्रावली।
24. ऑडिट संबंधी पत्रावलियां रजिस्टर।

5— लेखा शाखा

1. अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आहरण संबंधी रजिस्टर।
2. अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं।
3. सामान्य भविष्य निधि पास बुकें एवं रजिस्टर।
4. यात्रा भत्ता संबंधी पत्रावलियां।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेज्युटी संबंधित पंजिकाएं।
6. बजट प्राप्त एवं व्यय संबंधी अभिलेख।
7. ऑडिट संबंधी कार्यवाही की पत्रावलियां एवं रजिस्टर।
8. डबल लॉक सत्यापन संबंधित रजिस्टर एवं पत्रावलियां।
9. आवश्यक आदेश/निर्देश संबंधी गार्ड फाईल।
10. सामान्य पत्र व्यवहार संबंधी पत्रावली।

11. विभागीय वाहनों में व्यय से संबंधित रिकॉर्ड एवं पत्रावली।
12. विभागीय सामानों के क्रय संबंधित बिलों की रजिस्टर एवं पत्रावली।
13. आकस्मिक व्यय रजिस्टर / 11—सी रजिस्टर / कोषागार रजिस्टर।

6— रोकड़ शाखा

1. रसीद बुकें।
2. रसीद बुकों के प्राप्त एवं उपयोग से संबंधित अभिलेख के रजिस्टर।
3. मुख्य रोकड़ बही।
4. सहायक रोकड़ बही।
5. चैक बॉक्स।
6. प्रतिदिन प्राप्त राजस्व के विवरण का रजिस्टर।
7. कोषागार में जमा राजस्व के चालानों की पत्रावली।
8. कोषागार में जमा धनराशि के माहवार प्राप्त शैड्यूल की पत्रावली।
9. अन्य राज्यों से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त होने राजस्व के रजिस्टर एवं पत्रावली।
10. शाखा में तैनात रोकड़िया की जमा प्रतिभूति संबंधी अभिलेख।
11. प्रतिदिन बैंक में जमा कराये जाने वाले राजस्व को ले जाने संबंधी रजिस्टर।

शासनादेश संख्या—244 / XXX—1(2)—जी / 2005 दिनांक—23.04.2005 में दी गयी व्यवस्था अनुसार कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की समय अवधि एवं उनके निदान की अवधि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है :—

क्र0 सं0	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाये
1.	सामान्य पत्र व्यवहार उपस्थिति पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0—16)।	एक वर्ष।
2.	आकस्मिक अवकाश पंजी (एम0जी0ओ0, 1981 संस्करण, पैरा 1086)।	समाप्त होने के एक वर्ष बाद।
3.	ऑडिट— महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की गई पत्रावलियां।	आपत्तियों के अंतिम समाधान के बाद अगले ऑडिट होने तक।

4.	आय—व्ययक, अनुमान की पत्रावलियां।	दस वर्ष।
5.	सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कमी निष्पोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियां।	अंतिम निर्णय व वसूली राइट आफ के पश्चात् तीन वर्ष।
6.	डेड स्टॉक, क्षयशील/उपयोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों आदि के पत्र—व्यवहार संबंधी पत्रावलियां।	स्टॉक बुक में प्रविष्टि विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी ऑडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात् एक वर्ष।
7.	निरीक्षण टिप्पणियों एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र—व्यवहार की पत्रावलियां।	उठाये गये बिन्दुओं में दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक।
8.	अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां।	स्थाई रूप से।
9.	प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पत्रावलियां।	ऑडिट आपत्तियों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् एक वर्ष।
10.	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग—पत्र (इन्डेन्ट) स्टेशनरी मैनुअल का पैरा—37 तथा 39 (क्रमशः प्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174)।	तीन वर्ष तक।
11.	दौरों के कार्यक्रम तथा दुअर डायरी आदि कोई निर्धारित हो।	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रपंजी में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद जो भी पहले हो किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से संबंधित हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अंतिम निस्तारण के एक वर्ष बाद।
12.	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट।	वर्षवार एक प्रति स्थाई रूप से सुरक्षित रखी जायेगी शेष प्रतियां पांच वर्ष तक।
13.	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/प्राप्ति सामग्रियां तथा उनकी पत्रावली।	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष बाद।
14.	सम्मेलनों/गोष्ठियों/मीटिंगों का कार्यवृत्त।	एक प्रति स्थाई रूप से रखी जाय शेष तीन वर्ष तक।
15.	विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा के प्रश्नों की पत्रावलियां।	पांच वर्ष किन्तु आश्वासन समितियों को दिये आश्वासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बाद।
16.	नियमावलियां, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया, परिपाटी, पद्धति तथा उनकी व्याख्या संशोधन तथा उनकी पत्रावलियां।	स्थाई रूप से।

17.	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश।	स्थाई रूप से।
18.	वीडिंग शेड्यूल/अभिलेख नियंत्रण नियम/सूची।	पुर्णसंशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थाई रूप से तथा तीन वर्ष तक।
19.	शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाईल।	स्थाई रूप से।
20.	प्राप्त एवं प्रेषण पंजीयन (प्रान्तीय फार्म सं0—19)।	पच्चीस वर्ष तक।
21.	पत्रावली पंजी/फाईल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय फार्म सं0—20, 21, 26 आदि)।	रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थाई रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद।
22.	स्थाई पत्रावलियों का रजिस्टर।	स्थाई रूप से।
23.	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं0—51)।	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।
24.	चालान बही (इनवाइस) (प्रान्तीय फार्म नं0—61)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।
25.	आवधिक/सामयिक विवरण—पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आफ पीरियॉडिकल रिपोर्ट्स एण्ड रिटर्न्स)।	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक।
26.	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0—51)।	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की ऑडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष।
27.	शिकायती पत्रों का पंजी (एम0जी0ओ0, वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 77(7))।	दर्ज पत्रों के अंतिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर में उतार देने के बाद।
28.	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है, शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक।
29.	सरकारी वाहनों की लॉग बुक तथा रनिंग रजिस्टर।	वाहन के निष्प्रोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा ऑडिट हो जाने के पश्चात् एक वर्ष बाद तक यदि कोई ऑडिट या निरीक्षण की आपत्ति

		निस्तारण हेतु शेष न हो।
30.	समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर आफ कम्प्लीटेड रजिस्टर्स)।	किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियों को दूसरे रजिस्टर में उतार देने के तीन वर्ष बाद।
31.	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर लिस्ट आफ पैंडिंग रिफरेन्सेज।	रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनिस्तारित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद।
32.	गार्ड फाईल्स	स्थायी रूप से।

स्थापना / अधिष्ठान

1.	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियां (पर्सनल पत्रावलियां)	पेंशन की अंतिम स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक।
2.	अस्थायी/स्थापन्न नियुक्तियों हेतु मांगें गये प्रार्थना—पत्रों/प्राप्त आवेदनों—पत्रों की पत्रावलियां।	पांच वर्ष पुराने नियुक्ति किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना—पत्रों को छोड़कर जो स्थाई रूप से व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जायेंगे।
3.	वाहन, साईंकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से संबंधित पत्रावलियां।	भुगतान के पश्चात् एक वर्ष।
4.	इनवैलिड पेंशन स्वीकृति के मामलों की पत्रावलियां।	पच्चीस वर्ष तक।
5.	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रति नियुक्ति (डिपुटेशन पर नियुक्ति संबंधी पत्रावलियां)।	पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष बाद।
6.	ग्रेडेशन सूची।	स्थाई रूप से।
7.	सेवा पुस्तिकार्यों/सेवा नामावलियां।	वित्तीय नियम—संग्रह खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम—136—ए के अनुसार।
8.	शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर आफ ओथ आफ एलिजियेन्स) राजाज्ञा संख्या—3105/दो—बी—163—52 दिनांक 23—01—1954 तथा संख्या—1241/दो—बी—162/64 दिनांक 15—05—1964	नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियां नकल करके उन्हें सत्यापित करा लिये जाने के बाद।
9.	स्थापना आदेश पंजी (इस्टैबलिशमेंट ऑडर बुक) राजाज्ञा संख्या—ए—1792/दस—3/1929 दिनांक 11—04—1930।	स्थाई रूप से।
10.	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण राजाज्ञा संख्या— ए—5641/दस—15/7/62 दिनांक	स्थाई रूप से।

	24–02–1965 द्वारा निर्धारित।	
11.	गोपनीय चरित्रावलियां/गोपनीय आख्याएं।	सेवा निवृत्ति/पद–त्याग या सेवा समाप्ति के तीन वर्ष बाद।
12.	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती बाण्ड (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच, भाग—एक का पैरा—69—73)।	सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दस वर्ष बाद। 1. मूल पत्र व्यवहार 10 वर्ष बाद। 2. वार्षिक सत्यापन का पत्र—व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद।
13.	पंजी जमानत (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच, भाग—एक का पैरा 69—73)।	पद छोड़ने के 6 माह बाद या नए रजिस्टर में प्रविष्टियां नकल कर लेने के बाद।
14.	पेंशन, ग्रेचुटी, पारिवारिक पेंशन आदि की पत्रावली।	सेवा निवृत्ति पर स्वीकृति व भुगतान के पश्चात दस वर्ष।
15.	पारिश्रमिक/परितोषिक स्वीकृति संबंधी पत्रावलियां।	भुगतान, ऑडिट आपत्ति के अंतिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टि के एक वर्ष बाद।
16.	राजकीय कर्मचारियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन (वैरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एण्ड ऐन्टीसीडेन्ट्स)।	सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष बाद तक।
17.	विभिन्न पदों के सृजन संबंधी पत्र—व्यवहार की पत्रावली।	पद का सृजन स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष।
18.	नई मांगों की अनुसूची संबंधी पत्रावली।	सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाएगी। शेष पत्रावली स्वीकृति/अस्वीकृति के तीन वर्ष बाद तक।
19.	वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक नियंत्रण पंजी।	रजिस्टर समाप्त होने के पांच वर्ष बाद यदि कोई रोकी गयी वेतन वृद्धि या दक्षता—रोक का मामला अनिस्तारित न हो या कोई ऑडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।
20.	पेंशन कन्ट्रोल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या—जी—2—3994 / दस—927—1958, दिनांक 10—02—1964 में निर्धारित)।	रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष बाद।

21.	अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर राजाज्ञा संख्या –1284 /दो–बी–99–60 दिनांक 11–04–1961 में निर्धारित।	सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष बाद।
22.	प्रत्यावेदन/अपील नियंत्रण पंजी (राजाज्ञा संख्या–7–2–1975– नियुक्ति–3 दिनांक 04–07–73 में निर्धारित)।	सभी दर्ज प्रत्यावेदन/अपीलों के अंतिम निस्तारण के पांच वर्ष बाद।
23.	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर – (1) लेजर (2) ब्राड शीट (3) इन्डैक्स (4) पासबुक	सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवशेष न रह गए हों। तदैव तदैव तदैव (सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित कर्मचारी को उसकी पास बुक दे दी जाय)।
24.	सेवाओं में आरक्षण, विभिन्न संवर्ग के रोस्टर	स्थायी रूप से

बजट / लेखा

1.	यात्रा भत्ता प्रकरण।	ऑडिट हो जाने के एक वर्ष बाद।
2.	टी०ए० बिल तथा टी०ए० चैक रजिस्टर (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा–119)।	ऑडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद।
3.	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्रावली।	महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद।
4.	प्रासंगिक व्यय पंजी (कन्टिनेजेन्ट रजिस्टर वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच भाग–एक का पैरा–173)।	ऑडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई ऑडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।
5.	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एकवीटैन्स रोल) (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा–138 फार्म–11–बी)।	पैंतीस वर्ष। वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा–85 परिशिष्ट–16 के अनुसार।
6.	बिल रजिस्टर 11–सी, वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का (पैरा–139)।	ऑडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद।
7.	कैश बुक।	ऑडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई ऑडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो।

8.	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या—2158 / सोलह(7) / 68—डीटी, दिनांक 07—05—70 द्वारा निर्धारित)।	पूर्ण होने तथा ऑडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई ऑडिट आपत्ति शेष न हो।
9.	रेलवे रसीद रजिस्टर (आर0आर0 रजिस्टर)।	पूर्ण होने तथा ऑडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।
10.	टेलीफोन ट्रंककाल रजिस्टर।	पूर्ण होने तथा ऑडिट आपत्ति न होने तथा कोई बिल भुगतान शेष न होने की दशा में एक वर्ष।
11.	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली।	व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन के पश्चात दो वर्ष।
12.	बिल इन्कैशमेंट पंजी (वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड—5 भाग—एक का पैरा—47—ए)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई ऑडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न तो किसी धनराशि के अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटना घटित हो।
13.	पी0सी0आर0(पेइज स्टैम्पड रिसीट रजिस्टर संख्या—ए—1—150 / दस—10(2) / 60 दिनांक 28—04—60 तथा ए—1—2878 / दस—15(5)—78 दिनांक 10—01—79)।	महालेखाकार के ऑडिट की आपत्तियों के निस्तारण हो जाने के पांच वर्ष बाद।
14.	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर।	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित एलॉटमैंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो।
15.	रसीद बुक इश्यू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं0—385) वित्तीय नियम—संग्रह, खण्ड—पांच भाग—एक का पैरा—26।	दस वर्ष यदि किसी रसीद बुक के खो जाने या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हों तथा महालेखाकार का ऑडिट हो चुका हो।
16.	परमानेन्ट एडवांस रजिस्टर (वित्तीय नियम—संग्रह खण्ड—पांच, भाग—एक का पैरा—67(6))।	स्थाई रूप से।
17.	वैल्यूबिल रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग—एक का पैरा—38)।	स्थाई रूप से।
18.	डुप्लीकेट की (Key) रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड—पांच भाग—एक का पैरा—28	स्थाई रूप से।

	नोट(1))।	
19.	आवासीय भवनों की किराया पंजी फार्म (27) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड—पांच भाग—एक का पैरा—265।	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष यदि कोई अवशेष किराये की वसूली का प्रकरण या ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण अवशेष न हो।

विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध अन्य विभागीय अभिलेखों का निदान परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या—1600टी0आर0 / 94—215टी0 आर0 / 94 दिनांक 29—06—1994।

क्र0 सं0	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाये
1.	जिन वाहनों के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य सभाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, व अन्य संविदा नहीं हैं या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षण हो चुका है, उनकी पत्रावलियां।	आठ वर्ष के पश्चात्।
2.	जिन वाहनों के सम्बन्ध अन्य प्रान्तों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं हैं या निरस्त की जा चुकी है तथा उनका लेखा परीक्षण भी हो चुका है उनकी पत्रावलियां।	पांच वर्ष के पश्चात्।
3.	जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है व कोई कर अथवा वाद लम्बित नहीं है, उनकी पत्रावलियां।	तीन वर्ष के पश्चात्।
4.	मार्गकर जमा करने के फार्म (डी) जिनका लेखा परीक्षण हो चुका है व किसी स्तर पर वांछित नहीं हैं।	दो वर्ष के पश्चात्।
5.	अन्य प्रान्तों की वाहनें जो प्रतिहस्ताक्षरित हैं और यदि प्रतिहस्ताक्षर समाप्त हो चुका है उनकी पत्रावलियां।	एक वर्ष के पश्चात्।
6.	कर जमा करने व स्थायी परमिटों का कर निर्धारण यदि किसी वाद में वांछित न हो और लेखा परीक्षण हो चुका है।	दो वर्ष के पश्चात्।
7.	अभियोग पत्र न्यायालय से मुकदमा निस्तारण के बाद।	तीन वर्ष के पश्चात्।
8.	थानों में वाहन बंद करने की सीजर बुक निस्तारण के बाद।	दो वर्ष के पश्चात्।
9.	चालकों की गिरफ्तारी की किताब निस्तारण	दो वर्ष के पश्चात्।

	के बाद।	
10.	चालानों की किताबें (पी0बी0) लेखा परीक्षण व आपत्ति के निस्तारण के बाद।	दस वर्ष के पश्चात्।
11.	चैकिंग मैमोरेंडम निस्तारण के बाद।	दस वर्ष के पश्चात्।
12.	शिक्षार्थी लाइसेंस की पत्रावलियां (स्थाई लाइसेंस बनने से)।	एक वर्ष के पश्चात्।
13.	सर्विस वेतन भोगी लाइसेंसों के प्रार्थना पत्र, पत्रावलियां जो निस्तारित हो चुके हैं।	छः वर्ष के पश्चात्।
14.	कण्डक्टर लाइसेंस के प्रार्थना पत्र/पत्रावलियां (मूल एवं अन्तिम प्रार्थना पत्र नवीनीकरण छोड़कर)।	छः वर्ष के पश्चात्।
15.	प्राइवेट कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, एल0एम0वी0 के लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियां (प्रथम मूल एवं अन्तिम नवीनीकरण छोड़कर)।	दस वर्ष के पश्चात्।
16.	अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों के प्रार्थना पत्र।	चार वर्ष के पश्चात्।
17.	लाइसेंस की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र।	दो वर्ष के पश्चात्।
18.	लाइसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र।	पांच वर्ष के पश्चात्।
19.	पृष्ठांकन (इन्डोर्समैंट) हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र।	छः वर्ष के पश्चात्।
20.	लाइसेंसों से सम्बन्धित पत्राचार व इन्वियारी यदि कोई अनियमितता न पायी गयी हो व कोई वाद लम्बित न हो।	पांच वर्ष के पश्चात्।
21.	विशेष अस्थाई परमिटों के प्रार्थना पत्र यदि किसी वाद में वांछित न हों व उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो व आपत्ति (यदि कोई है) निस्तारित हो चुकी है।	एक वर्ष के पश्चात्।
22.	भार वाहनों, सवारी वाहनों को जारी किये गये अस्थाई परमिटों के प्रार्थना पत्र यदि किसी वाद अथवा विवाद में वांछित न हों व उनका लेखा परीक्षण हो चुका है (यदि कोई है) अनिस्तारित नहीं है।	एक वर्ष के पश्चात्।
23.	स्वीकृत किये गये परन्तु वाहन स्वामियों द्वारा उठाये नहीं गये परमिटों की पत्रावलियां यदि किसी वाद में वांछित न हों।	एक वर्ष के पश्चात्।
24.	परमिट धारकों द्वारा निरस्त करने हेतु परमिट समर्पित किये जाने की पत्रावलियां जिन पर	एक वर्ष के पश्चात्।

	कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है व कोई वाद लम्बित नहीं है।	
25.	अपील, रिवीजन व याचिकाओं की पत्रावलियां जिनको राज्य प्राधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया हो और उनके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही वांछित न हो।	पांच वर्ष के पश्चात्।
26.	विशेष अस्थाई परमिटों के रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष के पश्चात्।
27.	अस्थाई परमिटों के रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष के पश्चात्।
28.	नये मोटरयान अधिनियम के स्थाई परमिटों हेतु पत्रावलियां जो किसी भी स्तर पर अस्वीकृत हो चुके हों और कोई वाद न हों।	एक वर्ष के पश्चात्।
29.	स्थाई परमिटों के नवीनीकरण आवेदन पत्र (प्रथम मूल तथा अन्तिम नवीनीकरण प्रार्थना पत्र/पत्रावली को छोड़कर)।	छ: वर्ष के पश्चात्।
30.	पुराने मोटरयान अधिनियम के प्रार्थना पत्र जिनके रिफण्ड की कार्यवाही किसी स्तर पर वांछित न हो।	दस वर्ष के पश्चात्।

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के अभिलेखों का अभिलेखन (**Recording**) एवं विनिष्टिकरण(**Weeding**) करने हेतु शासनादेश संख्या 35/ix/15/2009 दिनांक 13–03–2009 द्वारा निर्धारित समयावधि।

क्रमांक	अभिलेख का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय।
रजिस्ट्रीकरण एवं कर/अतिरिक्त कर अनुभाग		
1	जिन वाहनों के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य सम्भाग के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षा हो चुकी है। उनकी पत्रावलियां	आठ वर्ष पश्चात्
2	जिन वाहनों के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षा हो चुकी है। उनकी पत्रावलियां	पांच वर्ष पश्चात्
3	जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है व कोई कर अथवा वाद लम्बित नहीं है। उनकी पत्रावलियां	तीन वर्ष पश्चात्

4	जिन मामलों में व्यापार प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया हो उनकी पत्रावलियां निरस्तीकरण की तिथि से	दो वर्ष पश्चात
5	जिन मामलों में माल के संग्रह, अग्रेसण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं की अनुज्ञापन का निरस्तीकरण कर दिया गया है उनकी पत्रावलियां निरस्तीकरण की तिथि से	दो वर्ष पश्चात
6	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की पत्रावलियां—आडिट हो जाने और कोई आपत्ति लम्बित न होने पर	दो वर्ष पश्चात
7	प्रतिदिन जारी वाहनों को ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी रजिस्टर आडिट हो जाने के पश्चात यदि कोई आपत्ति लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात
8	सरकारी वाहनों की पत्रावली— यदि वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो, कोई आपत्ति /वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
9	उन माल वाहनों की पत्रावलियां जिनका स्वामित्व हस्तान्तरण हो चुका है व कोई वाद अथवा कर/अतिरिक्त कर का मामला लम्बित नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है और अन्य कोई मामला लम्बित नहीं है।	एक वर्ष पश्चात
10	उन माल वाहनों की पत्रावलियां जिनके सम्बन्ध में अन्य सम्भाग अथवा प्रान्त के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तथा कोई वाद लम्बित नहीं है और लेखा परीक्षण हो चुका है।	एक वर्ष पश्चात
11	अन्य प्रान्त की माल वाहन जो उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है और प्रतिहस्ताक्षर की अवधि समाप्त हो चुकी है या निरस्त किया जा चुका है उनकी पत्रावलियां।	एक वर्ष पश्चात
12	उन सार्वजनिक सेवा यानों की पत्रावलियां जिनके परमिट या तो यान स्वामियों ने स्वयं निरस्त करवा लिये हैं अथवा राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं और कोई वाद लम्बित नहीं है व कर देय नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है।	एक वर्ष पश्चात
13	अस्थायी परमिटों का कर/अतिरिक्त कर निर्धारण तथा जमा करने से सम्बन्धित पत्रावली यदि किसी वाद में वाछित न हो और लेखा परीक्षण हो चुका हो।	दो वर्ष पश्चात
14	सहायक रोकड़ बही— आडिट होने और कोई आपत्ति लम्बित न होने पर	पांच वर्ष पश्चात
लाइसेंस अनुभाग		
1	शिक्षार्थी लाइसेंस की पत्रावलियां—आडिट होने तथा कोई वाद/आपत्ति लम्बित होने पर	एक वर्ष पश्चात

2	सर्विस वेतन भोगी लाइसेंसी के प्रार्थना पत्रों, पत्रावलियां जो निस्तारित हो चुके हों।	छःवर्ष पश्चात
3	कंडक्टर लाइसेंस के प्रार्थना पत्र/पत्रावलियां (मूल एवं अन्तिम प्रार्थना पत्र नवीनीकरण छोड़कर)	छःवर्ष पश्चात
4	प्राइवेट कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, एल0एम0वी0 के लाइसेंसों के प्रार्थना पत्र, पत्रावलियां (प्रथम मूल एवं अन्तिम नवीनीकरण छोड़कर)	दस वर्ष पश्चात
5	अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों के प्रार्थना पत्र-आडिट हो जाने के बाद	एक वर्ष पश्चात
6	लाईसेंस की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र	दो वर्ष पश्चात
7	लाईसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र	पाँच वर्ष पश्चात
8	पृष्ठांकन (इन्डोर्समेन्ट) हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र	छः वर्ष पश्चात
9	लाईसेंस से सम्बन्धी पत्राचार व इन्क्वारी यदि कोई अनियमितता न पायी जाय व कोई वाद लम्बित न हो।	पाँच वर्ष पश्चात
10	लाईसेंस के विरुद्ध कार्यवाही की पत्रावली— यदि कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
11	कार्ड लाईसेंस, मशीन की पत्रावली— मशीन की निलामी होने के उपरान्त आडिट हो जाने और कोई आपत्ति / वाद लम्बित न होने पर	एक वर्ष पश्चात
परमिट अनुभाग		
1	विशेष अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र यदि किसी वाद में वांछित न हो उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो व आपत्ति, यदि कोई हो, का निस्तारण हो चुका हो।	एक वर्ष पश्चात
2	अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र, जो भार वाहनों व सवारी वाहनों को जारी किये गये, यदि किसी वाद अथवा विवाद में वांछित न हो उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो व आपत्ति, यदि कोई हो, का निस्तारण हो चुका हो।	एक वर्ष पश्चात
3	स्वीकृत किये गये परन्तु वाहन स्वामियों द्वारा उठाये नहीं गये परमिटों की पत्रावलियां यदि किसी वाद में वांछित न हो।	एक वर्ष पश्चात
4	परमिट धारकों द्वारा निरस्त करने हेतु परमिट समर्पित किये जाने की पत्रावलियां जिन पर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है और कोई वाद लम्बित नहीं है।	पाँच वर्ष पश्चात
5	मोटरयानों से सम्बन्धित अपील, रिवीजन व याचिकाओं की पत्रावलियां जिनको राज्य परिवहन अपील अधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया हो और उनके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही वांछित न हो।	पाँच वर्ष पश्चात
6	विशेष अस्थायी परमिटों का रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात

7	अस्थायी परमिटों का रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात
8	स्थायी परमिटों की पत्रावलियां जो किसी भी स्तर पर अस्वीकृत हो चुके हों, और कोई भी वाद न हो।	एक वर्ष पश्चात
9	परमिट प्रतिस्थापना रजिस्टर।	पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात
10	अस्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात
11	मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका गाड़ी, निजी सेवायान, मंजिली गाड़ी, माल वाहन परमिट, नेशनल परमिट एवं अस्थायी परमिट से सम्बन्धित पत्रावलियां— यदि वाहन का परमिट निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो और कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
12	रिफ्न्ड पत्रावलियां— आडिट हो गया हो, कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात
13	विभिन्न मार्गों पर नये परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर—प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हो जाने पर।	दो वर्ष पश्चात
14	दुर्घटनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियां— आडिट हो गया हो, कोई मामला लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
15	जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दो वर्ष पश्चात
16	परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति की बैठक सम्बन्धी पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दो वर्ष पश्चात
17	विवरण पत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियां— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दस वर्ष पश्चात
18	स्कूल बस पत्रावलियां— यदि वाहन का परमिट निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो और कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
19	बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति का रजिस्टर— आडिट होने पर यदि कोई आपत्ति लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात

प्रवर्तन अनुभाग

1	अभियोग पत्र (इन्फ्रेजमेंट रिपोर्ट) न्यायालय से मुकदमा निस्तारण के बाद	तीन वर्ष पश्चात
2	थानों में वाहने बन्द करने की सीजर बुक—बकाया वसूली के बाद	दो वर्ष पश्चात
3	चालकों की गिरफ्तारी की किताब—	दो वर्ष पश्चात
4	चालानों की किताब— लेखा परीक्षण व यदि कोई आपत्ति न हो।	दस वर्ष पश्चात

5	चैंकिंग मेमोरेन्डम— निस्तारण के बाद	दस वर्ष पश्चात
6	चालानों का इंडेक्स रजिस्टर पूर्ण होने के बाद	दो वर्ष पश्चात
7	प्रदूषण संयंत्र रख रखाव पत्रावली— संयंत्र नीलामी के पश्चात आडिट होने के उपरान्त यदि कोई आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो।	एक वर्ष पश्चात
8	प्रदूषण चैंकिंग सम्बन्धी विवरण	दस वर्ष पश्चात
9	प्रदूषण चैंकिंग की नोटिस बुक समाप्त होने के बाद यदि कोई वाद लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात
10	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पत्रावली।	पांच वर्ष पश्चात
11	रिलीज आर्डर आडिट होने के बाद	एक वर्ष पश्चात
12	प्रवर्तन कार्मिकों को जारी आदेश/निर्देश पत्रावली	पांच वर्ष पश्चात
13	मार्ग सर्वेक्षण पत्रावली	पांच वर्ष पश्चात
14	सामान्य पत्राचार पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग बनी हो।	पांच वर्ष पश्चात
15	मासिक विवरण पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग बनी हो।	दस वर्ष पश्चात
प्राविधिक अनुभाग		
1	प्रदूषण संयंत्रों के क्रय किये जाने सम्बन्धी पत्रावली— संयंत्र निस्तारण, आडिट होने कोई आपत्ति/वाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात
2	प्रदूषण जांच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली— मान्यता निरस्त करने, कोई विवाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात
3	मोटर वाहन गैराजों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली— मान्यता निरस्त करने, कोई विवाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात

संलग्न—अभिलेख:-

- 1— कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के समयावधि एवं उनके निदान की समय सारिणी—शासनादेश संख्या—244 / तीस—1(2) जी / 2005 दिनांक 23—04—2005।
- 2— परिवहन विभाग के विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध विभागीय अभिलेखों के निदान की समय सारिणी—परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश का पत्र संख्या—1600 टी0आर0 / 94—215 टी0आर0 / 94 दिनांक 29—06—1994
- 3— परिवहन विभाग के अभिलेखों का अभिलेखन एवं विनिष्टीकरण करने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 35 / ix / 15 / 2009 दिनांक 13.03.2009

प्रेषक,

डॉ० आर०एस० टोलिया
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल

प्रशासनिक सुधार विभाग

देहरादून

दिनांक 23 अप्रैल, 2005

विषय—विभागाध्यक्षों/निदेशालयों एवं कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालय में अभिलेखों को अभिलेखन करने एवं उन्हे नष्ट करने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का वितरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सैनिक कल्याण निदेशालय के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख रखाव उनके निर्दान आदि के सम्बन्ध में कतिपय कमियाँ पायी गयी। यह भी पाया गया कि कार्मिकों को अभिलेखों के अभिलेखन एवं उनके रख रखाव के बारे में समुचित जानकारी नहीं है। यही स्थिति अन्य कार्यालयों में भी हो सकती है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये कार्यालयों में अभिलेखों के रख रखाव उनके निर्दान के बारे में पूरी प्रक्रिया एवं उन विषयों की सूची और उन्हे रखने को समयावधि का विवरण सहित जो सामान्यतया सभी कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं आपके पथ प्रदर्शनार्थ भेजी जाती है।

क— निषेप पत्रावलियों को अभिलिखित “रिकार्डिंग” करने से पूर्व की कार्यवाही:-

1. अभिलिखित करने से पूर्व यह देख लिया जाय कि पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष तो नहीं और उसमें सभी कागजात पूरे हैं।
2. फटे पुराने कवर्स को बदल दिया जाय और पत्रावली संख्या और विषय मोटे अक्षरों में स्पष्ट लिखा जाय।
3. रंगीन चिटों एवं अनावश्यक कागजात को हटा दिया जाय।

4. पत्रावली के पत्राचार कवर्स में रखे सभी पत्रों को आरोही क्रम में क्रमांकित कर लिया जाय तथा महत्वपूर्ण पत्रावलियों में प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या भी आरोही क्रम में डाल दी जाय।
5. पत्रावली के कवर्स पर कुल क्रमांकों एवं पृष्ठ संख्याओं का उल्लेख कर दिया जाय।

ख— अभिलेखन की कार्यवाही:—

1. यदि पत्रावली के टिप्पणी और पत्राचार के दो अलग अलग फलक हैं तो अभिलेखन की कार्यवाही पत्राचार फलक पर निम्न प्रकार दर्शायी जाय।
2. जो पत्रावलियों स्थायी प्रकृति की है उनमें वर्ष माह के स्थान पर स्थायी शब्द का उल्लेख किया जाय।
3. पत्रावलियों को विषयवार, वर्षवार एवं क्रमवार व्यवस्थित करके बीस बीस के बंडलों में रखा जाय।
4. यदि कार्यालय में अभिलेख कक्ष है तो पत्रावलियों को बीजक के माध्यम से अभिलेख कक्ष भेजा जाय। बीजक को निम्न प्रारूप में बनाया जा सकता है।

ग— अभिलेखन के पश्चात की कार्यवाही:—

1. नमी से पत्रावलियों को नष्ट होने से बचाने के लिये रैक्स दिवार और सिलिंग से एक फिट हटाकर लगाये जाय।
2. धूल से बचाने के लिये समय—समय पर वैक्यूम क्लीनर्स से धूल साफ करा ली जाय।
3. कीड़े मकोड़ों चूहों आदि से पत्रावली को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये कीटनाशकों का समय समय पर छिड़काव किया जाय एवं रैक्स के नीचे नैथलीन ब्रिक्स को रख दिया जाय। सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिये रैक्स को ऐसे स्थान पर रखा जाय जहाँ पर हवा रोशनी तो आती हो लेकिन सूर्य की सीधी किरणें पत्रावलियों पर न पड़ती हों।

घ— पत्रावलियों को नष्ट करने से पूर्व की कार्यवाही (रिव्यू) —

1. जिन पत्रावलियों को अभिलिखित कर दिया गया है और उनके रखे जाने की अवधि निर्धारित कर दी गयी है उन्हे उस निर्धारित अवधि के पश्चात नष्ट

करने से पूर्व एक बार उनका रिव्यू कर लिया जाय। रिव्यू में जिन पत्रावलियों की कार्यालय/विभाग के लिये भविष्य में आवश्यकता समझी जाय उन्हे फिर से वीडिंग रजिस्टर में उनकी संख्या व विषय नोट करके और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके नष्ट कर दिया जाय।

2. गोपनीय प्रकृति के अभिलेखों को जलाकर एवं शेष को फाड़कर नष्ट किया जाय। स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को अलग से लॉक एण्ड की (Lock and key)में रखा जाय।

सामान्य पत्र व्यवहार विधानसभा प्रश्न, ऑडिट, स्थापना/अधिष्ठान, लेखा, आय व्ययक सम्बन्धी कुछ ऐसे विषय हैं जो सामान्यतया सभी कार्यालयों में व्यवृत्त होते हैं। उनको चिन्हित करके उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को रखने के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार की गयी जो आपके प्रयोगार्थ संलग्न करके भेजी जा रही है। (अनुसूची-1)

इसके अलावा बहुत से ऐसे विषय हैं जो विभाग विशेष में ही व्यवृत्त होते हैं। उनके निर्दान आदि के बारे में सम्बन्धित विभाग के मैनुअल्स में व्यवस्था रहती है अतः उनका अभिलेखन मैनुअल में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाय। जिन विभागों के मैनुअल्स उपलब्ध हैं उनकी सूची संलग्नक अनुसूची-2 में उल्लिखित है। इसके अलावा जिन विभागों के मैनुअल्स नहीं हैं वे उन पत्रावलियों की विभाग/कार्यालय में उपयोगिता को देखते हुये निम्न पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत करके उन्हे भविष्य के लिये रखने की कार्यवाही कर सकते हैं:—

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. अल्प समय के लिये उपयोग | — | एक वर्ष |
| 2. वाँछनीय | — | तीन वर्ष |
| 3. आवश्यक | — | सात वर्ष |
| 4. महत्वपूर्ण | — | पंद्रह वर्ष |
| 5. स्थायीरूप से | — | हमेशा के लिये |

अभिलेखों की उपयोगिता, उनके उचित रख रखाव से कार्य करने में सुगमता तो होती ही है इसके अलावा इनकी आवश्यकता समय समय पर आडिट आपत्तियों के निस्तारण, जनता एवं जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर देने, विधिक मामलों में कार्यवाही करने तथा पूर्व दृष्टान्त के लिये पड़ती रहती है। इनकी महत्ता इसी बात से

लगायी जा सकती है यदि आपको सेवा पुस्तिका कहीं खो जाय अथवा अपूर्ण हो तो पेंशन प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होगी।

अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखने और अनावश्यक अभिलेखों को समय समय पर नष्ट करते रहने से कार्यालयों में स्वच्छता का बातावरण बना रहता है। जिसका अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाय कि अनावश्यक अभिलेखों को नष्ट कर दिया जाय ताकि आवश्यक अभिलेखों के लिये स्थान उपलब्ध होता रहे।

भवदीय,

(डॉ आर० एस० टोलिया)
मुख्य सचिव।

संलग्नक:

1. अभिलेखों को रखने की अवधि का विवरण पृष्ठ संख्या— 17
2. विभागों एवं उनसे सम्बन्धित मैनुअल्स की सूची

संख्या— 244 तददिनांक:
प्रतिलिपि— सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित।
आज्ञा से,

सुबद्धन
अपर सचिव।

अनुसूची-1

विभागाध्यक्षों/निदेशालयों एवं कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों में अभिलेखों के अभिलेखन (Recording) करने एवं नष्ट करने हेतु निर्धारित अवधि का विवरण

क्रमांक संख्या	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4
1	उपस्थित पंजी (प्रान्तीय फार्म नं 0 161)	एक वर्ष	
2	आकस्मिक अवकाश पंजी (एमजीओ 1981 संस्करण, पैरा 1086)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद	
3	आडिट महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की गयी आडिट पत्रावलियाँ	आपत्तियों के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक	
4	आय व्ययक अनुमान की पत्रावलियाँ	दस वर्ष।	
5	सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कमी, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि सम्बन्धी पत्रावलियाँ	अन्तिम निर्णय व वसूली, राइट आफ के पश्चात तीन वर्ष	
6	डेड स्टाक, क्षय शील/उपभाग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तिकां आदि के पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियाँ	स्टॉक बुक में प्रविष्टि, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्सम्बन्धी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	
7	निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन सम्बन्धी पत्र व्यवहार की पत्रावलियाँ	उठाये गये बिन्दुओं, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक।	
8	अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ	स्थायी रूप से	
9	प्रपत्रों के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलियाँ	आडिट आपत्तियों के अंतिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष	
10	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग पत्र (इन्डेन्ट) (स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 37 तथा 39) क्रमशः प्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174	तीन वर्ष तक	
11	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी, यदि कोई निर्धारित हो।	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियाँ पूर्ण होने के बाद, जो भी पहले हो, किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्ध हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अंतिम निस्तारण के एक वर्ष बाद वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जायेगी। शेष प्रतियाँ पाँच वर्ष तक	
12	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने	
13	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने	

	एकत्रित/प्राप्त सामग्रियों तथा उनकी पत्रावली	के एक वर्ष
14	सम्मेलनों/गोष्टियों/मीटिंग कार्यवृत्त	का एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाय शेष तीन वर्ष तक
15	विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के प्रश्नों की पत्रावलियों	पाँच वर्ष किन्तु आश्वासन समितियों को दिये आश्वासनों की पूर्ति के पाँच वर्ष बाद स्थायी रूप से
16	नियमावलियों, नियम, विनिमय, अधिनियम, प्रक्रिया, पद्धति तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन सम्बन्धी पत्रावलियों	
17	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण सम्बन्धी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थायी रूप से
18	वीडिंग शेडयूल/अभिलेख नियंत्रण नियम/सूची	पुर्नसंशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19	शासनादेशों/विभागीय आदेशों की गार्ड फाइलें	स्थायी रूप से
20	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 19)	पच्चीस वर्ष तक
21	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20/21, 26 आदि)	रजिस्टर में दर्ज अस्थायी रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद
22	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थायी रूप से
23	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं0 51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
24	चालान बही (इन्वाइस) (प्रान्तीय फार्म नं. 61)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
25	आवधिक/सामयिक विवरण पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट ऑ पीरियाडिकल रिपोर्ट्स एण्ड रिटर्न्स)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक
26	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं0 52)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष
27	शिकायती पत्रोंकी पंजी (एम0जी0ओ0 वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 772 (7))	दर्ज पत्रों के अंतिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर में उतार लेने के बाद
28	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर जहाँ गजट स्थायी रूप से रखा जाता है शेष कार्यालयों में बीस

	वर्ष तक
29	सरकारी वाहनों की लाग बुक तथा रनिंग रजिस्टर
30	समाप्त पंजियों की पंजी (रजिस्टर ऑफ कम्लीटेड रजिस्टर्स)
31	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर (लिस्ट ऑफ पैडिंग रिफरेन्सेज)
32	गार्ड फाइल

ख— स्थापना/अधिष्ठान सम्बन्धी पत्रावलियाँ एवं रजिस्टर

- 1 कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पेंशन की अंतिम स्वीकृति के निजी पत्रावलियाँ प्रत्यक्षित के स्थानान्तरण के साथ उसी प्रकार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित की जानी चाहिए जैसे सेवा पुस्तिकार्ये तथा गोपनीय आख्याये आदि स्थानान्तरित की जाती है।
- 2 अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन पत्रों की पत्रावलियाँ पॉच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)
- 3 वाहन, साइकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ अग्रिम की राशि ब्याज सहित यदि कोई हो, तो उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष
- 4 इनवैलिड पेंशन स्वीकृति के मामलों की पत्रावलियाँ पच्चीस वर्ष तक
- 5 कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन पर नियुक्त सम्बन्धी पत्रावलियाँ) पेंशन, ग्रेचुटी आदि की स्वीकृति के पॉच वर्ष बाद

6	ग्रेडेशन सूची	स्थायी रूप से
7	सेवा पुस्तिकायें/सेवा नियमावलियाँ	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136 ए के अनुसार नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नकल करके उन्हे सत्यापित करा लिये जाने के बाद
8	शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर ऑफ ओथ ऑफ इलिजियेन्स) राजाज्ञा संख्या 3105 दो बी-163-52 दिनांक 23.01.54 तथा संख्या 1241/दो बी-163/64 दिनांक 15.05.64	स्थायी रूप से
9	स्थापना आदेश पंजी (इस्टैब्लिशमेन्ट आर्डर बुक) राजाज्ञा संख्या ए 1792/दस तीन-1929 दिनांक 11.04.30	स्थायी रूप से
10	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण (राजाज्ञा संख्या ए 5641/दस-15/7 /62 दिनांक 24.02.65 द्वारा निर्धारित)	स्थायी रूप से
11	गोपनीय चरित्र पंजिकायें/गोपनीय आख्यायें	सेवा निवृत्ति/पदत्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद
12	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती ब्रान्ड (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पॉच भाग-एक का पैरा 69-73)	सरकारी कर्मचारियों के पद छोड़ने के दस वर्ष बाद (1) मूल पत्र व्यवहार 10 वर्ष बाद (2) वार्षिक सत्यापन का पत्र व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद
13	पंजी जमानत (वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड पॉच, भाग एक का पैरा 69-73)	पैरा 73 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पॉच, भाग एक। पद छोड़ने के 6 माह बाद या नये रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नकल कर लेने के बाद।
14	पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि की पत्रावली	सेवानिवृत्ति पर स्वीकृति व भुगतान के पश्चात दस वर्ष
15	पारिश्रमिक/पारितोषिक स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावलियाँ	भुगतान, आडिट आपत्ति के अंतिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रपंजी में प्रविष्टि के एक वर्ष बाद
16	राजकीय कर्मचारियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन (वेरिफिकेशन आफ कैरेक्टर एण्ड ऐन्टीसीडेन्ट्स)	सेवानिवृत्ति के पॉच वर्ष बाद तक
17	विभिन्न पदों के सृजन सम्बन्धी पत्र व्यवहार की पत्रावली	पद का सृजन स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष
18	नयी मांगों की अनुसूची सम्बन्धी पत्रावली	सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जायेगी। शेष पत्रावली स्वीकृति/अस्वीकृति के तीन

		वर्ष बाद तक		
19	वार्षिक वेतन वृद्धि नियंत्रण पंजी	रजिस्टर समाप्त होने के पाँच वर्ष बाद यदि किसी रोकी गयी वेतनवृद्धि का मामला अनिस्तारित न हो या कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।		
20	पेंशन कन्ट्रोल रजिस्टर (राजाज्ञा जी—2—3994 / दस—927—1958 10.02.1964 में निर्धारित)	संख्या दिनांक संख्या 1284 / दो—बी—99 / 60 दिनांक 11.04.1961)	संख्या दिनांक संख्या 7.2.1975 नियुक्ति (3) दिनांक 04. 07.1973 में निर्धारित)	रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पाँच वर्ष बाद सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पाँच वर्ष तक सभी दर्ज प्रत्यावेदनों/अपीलों के अंतिम निस्तारण के पाँच वर्ष बाद सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के पाँच वर्ष बाद यदि कोई भुगतान के मामलों अवशेष न रह गये हों तदैव तदैव तदैव (सेवानिवृत्ति के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर दे दी जाय) स्थायी रूप से
21	अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 1284 / दो—बी—99 / 60 दिनांक 11.04.1961)			
22	प्रत्यावेदन/अपील नियंत्रण पंजी (राजाज्ञा संख्या 7.2.1975 नियुक्ति (3) दिनांक 04. 07.1973 में निर्धारित)			
23	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर (1) लेजर (2) ब्राडशीट (3) इन्डेक्स (4) पासबुकें			
24	सेवाओं में आरक्षण (विभिन्न संवर्गों के रोस्टर्स)			

ग— बजट एवं लेखा सम्बन्धी पत्रावलियाँ/रजिस्टर

- यात्रा भत्ता प्रकरण
 - टी०ए० बिल तथा टी०ए० चैक रजिस्टर (वित्तीय नियम— संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 119)
 - बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्रावली
 - प्रासंगिक व्यय पंजी (कंटीजैन्ट रजिस्टर) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 173
 - वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स रोल) (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 138 फार्म 11 बी)
 - बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 139
- आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद महालेखाकार से अंतिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद आडिट के पाँच वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो पैंतीस वर्ष वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 85 परिशिष्ट 16 के अनुसार आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद

7	कैश बुक	आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो
8	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह(71)/68डीटी दिनांक 07.05.1970 द्वारा निर्धारित)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो।
9	रेलवे रसीद रजिस्टर (आर0आर0रजिस्टर)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद, यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो
10	टेलीफोन ट्रंककाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अंतिम समायोजन के पश्चात दो वर्ष समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न किसी धनराशि के अपहरण चोरी डकैती आदि की घटना घटी हो
11	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली	महालेखाकार के आडिट की आपत्तियों के निस्तारण हो जाने के पाँच वर्ष बाद
12	बिल इनकेशमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक को पैरा 47 ए	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद यदि निर्धारित एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो
13	पी0एस0आर0 (पेइज स्टैम्पड रिसीट रजिस्टर) राजाज्ञा संख्या ए-1-150/दस-10(2)/60 दिनांक 28.04.1960 तथा ए-1-2878/दस-15(5)-78 दिनांक 10.01.79	दस वर्ष यदि किसी रसीद बुक के खो जाने या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हो तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो।
14	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर	स्थायी रूप से
15	रसीद बुक, ईशु रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं0 385 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक पैरा 26)	स्थायी रूप से
16	परमानेन्ट एडवांस रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 67 (5))	स्थायी रूप से
17	बैलयूएबिल रजिस्टर (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 38)	स्थायी रूप से
18	डुप्लीकेट की (key) रजिस्टर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 28 नोट (1)	स्थायी रूप से
19	आवासीय भवनों की किराया पंजी फार्म 27 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग एक का पैरा 265	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष यदि कोई अवशेष किराये की वसूली का प्रकरण या आडिट आपत्तियों का निस्तारण अवशेष न हो।

अनुसूची-2

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी नियम पुस्तिकाओं (मैनुअल) का विवरण

क्र०सं०	विभाग का नाम	नियम पुस्तिका का नाम
1	सचिवालय प्रशासन विभाग	1— सेक्रेटरियट मैनुअल
2	सामान्य प्रशासन विभाग	2—एम०जी०ओ०
3	वित्त विभाग	3— सिविल सर्विस रेगुलेशन 4—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 से 7 5—सेल्स टैक्स मैनुअल 6—स्टाम्प मैनुअल भाग 1-2 7— रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग 1-2 8—एल०एफ०ए० मैनुअल 9—ट्रेजरी मैनुअल 10—बजट मैनुअल
4	गृह विभाग	11—पुलिस रेग्युलेशन 12—जिला पुलिस आफिस मैनुअल 13—फिगर एण्ड फूट प्रिंट मैनुअल 14—पी०टी०सी० मैनुअल 15—यूपी० आर्स मैनुअल
5	कारागार विभाग	16—जेल मैनुअल अंग्रेजी 1963 हिन्दी—1968
6	सतर्कता विभाग	17—उ०प्र० सतर्कता नियम संग्रह
7	मुस्लिम वक्फ अनुभाग	18— बसीका मैनुअल
8	राजस्व विभाग	19— रवेन्यू कोर्ट मैनुअल
9	वन विभाग	20— फारेस्ट मैनुअल
10	शिक्षा विभाग	21—शिक्षा संहिता उ०प्र०
11	न्याय विभाग	22—विधि परामर्शी मैनुअल
12	प्रशासनिक सुधार विभाग	23—कार्यालय निरीक्षणालय का मैनुअल
13	पशुधन विभाग	24—वेटेनरी मैनुअल
14	पंचायती राज विभाग	25—उ०प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद मैनुअल
15	खाद्य तथा रसद विभाग	26—खाद्यान्न आपूर्ति मैनुअल 27—खाद्यान्न हाट मैनुअल 28—खाद्यान्न लेखा मैनुअल
16	उद्योग विभाग	29—प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मैनुअल 30—उद्योग मैनुअल (इन्डस्ट्रीज मैनुअल)
17	सिंचाई विभाग	31—सिंचाई मैनुअल
18	श्रम विभाग	32—लेबर मैनुअल (श्रमायुक्त संगठन का मैनुअल)
19	आबकारी विभाग	33—आबकारी मैनुअल खण्ड-1 से 5 (1961)
20	नगर विकास विभाग	34—नजूल मैनुअल 35—म्यूनिसिपल मैनुअल 36—टाउन एरिया मैनुअल 37—नोटीफाइड एरिया मैनुअल
21	चिकित्सा विभाग	38—मेडिकल मैनुअल 39—पब्लिक हेल्थ मैनुअल 40—मेन्टल हास्पिटल मैनुअल
22	सार्वजनिक निर्माण विभाग	41—बी०एण्ड आर० मैनुअल 42—पी०डब्ल्यू०डी मेन्टीनेंस मैनुअल
23	परिवहन विभाग	43—ट्रान्सपोर्ट मैनुअल 44—रोडवेज मैनुअल
24	राज्य सम्पत्ति विभाग	45—मैनुअल ऑफ गर्वमेन्ट इस्टेट्स
25	सहकारिता विभाग	46— मैनुअल ऑफ कोवापेरिट्व सोसाइटीज

विषयः— विभागीय अभिलेखों का निर्दान

उपर्युक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 3339 / तैतालिस-1-92-37(1) / 84 दिनांक 30 जनवरी, 1993 द्वारा अभिलेखों के निर्दान सम्बन्धी कार्यवाही हेतु नियम निर्धारित किये गये थे। परन्तु उक्त नियमों के अन्त परिवहन विभाग के समस्त अनुभागों से सम्बन्धित अभिलेख नहीं आ पाये हैं। उक्त शासनादेश में निर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यालय का सामान्य प्रशासन व लेखा अनुभाग ही आया है। अतः निर्दान प्रक्रिया में आये हुये अवरोधक को दूर करने की दृष्टि से परिवहन कार्यालयों के अनुभागों से सम्बन्धित अभिलेखों के निर्दान हेतु सन्दर्भगत शासनादेश के क्रम में अनुभागवार निम्न नियम निर्धारित किये जाते हैं।

नियम—1

अनुभागवार विभिन्न रिकार्ड्स की वीडिंग की निम्न अनुसार अवधि निर्धारित की जाती है।

मार्गकर/पंजीयन अनुभाग

- 1— जिन वाहनों के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य सम्भाग के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षण हो चुका है उनकी पत्रावलियाँ। 8(आठ) वर्ष के पश्चात
- 2— जिन वाहनों के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है तथा उनका लेखा परीक्षण भी हो चुका है उनकी पत्रावलिया। 5(पाँच) वर्ष के पश्चात
- 3— जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है व कोई कर अथवा वाद लम्बित नहीं है उनकी पत्रावलियाँ। 3(तीन) वर्ष के पश्चात
- 4— मार्गकर जमा करने के फार्म “डी” जिनका लेखा परीक्षण हो चुका है व किसी स्तर पर वांछित नहीं है। 2(दो) वर्ष के पश्चात

मालकर अनुभाग

- 1— उन वाहनों की पत्रावलियाँ जिनका स्वामित्व हस्तानान्तरण हो चुका है व कोई वाद अथवा कर का मामला लम्बित नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है और पत्रावली किसी स्तर पर वांछित नहीं है। 1(एक) वर्ष के पश्चात

- 2— उन वाहनों की पत्रावलियाँ जिनके सम्बन्ध में अन्य सम्भाग अथवा प्रान्त के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तथा कोई वाद लम्बित नहीं है और लेखा परीक्षण भी हो चुका है। 1(एक) वर्ष के पश्चात
- 3— अन्य प्रान्त की वाहनों जो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हैं और प्रति हस्तानान्तरण समाप्त हो गया है या निरस्त किया जा चुका है उनकी पत्रावलियाँ। 1(एक) वर्ष के पश्चात
- 4— व्यापार बन्द करने की सूचना के साथ अनुबन्ध निरस्त करने का आवेदन वाहन स्वामी द्वारा दिये जाने पर सम्बन्धित पत्रावलियाँ बशर्ते कोई बकाया न हो। 1(एक) वर्ष के पश्चात

यात्रीकर अनुभाग

- 1— वेबिल के अन्तर्गत संचालित बसों के वेबिल जिनके सम्बन्ध में कर निर्धारण व कर वसूली की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा कोई वाद लम्बित नहीं है और लेखा परीक्षण हो चुका है। 3(तीन) वर्ष के पश्चात
- 2— उन वाहनों की पत्रावलियाँ जिनके परमिट या तो वाहन स्वामियों ने स्वयं निरस्त करवा लिये हैं अथवा सम्भागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं और कोई वाद लम्बित व कर देय नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है। 1(एक) वर्ष के पश्चात
- 3— कर जमा करने व अस्थायी परमिटों का कर निर्धारण यदि किसी वाद में वॉछित न हो और लेखा परीक्षण हो चुका है। 2(दो) वर्ष के पश्चात

प्रवर्तन अनुभाग

- 1— अभियोग पत्र (इन्फ्रेजमेन्ट रिपोर्ट) न्यायालय से मुकदमा निस्तार के बाद। 3(तीन) वर्ष पश्चात
- 2— थानों में वाहनों बन्द करने की सीजर बुक निस्तार के बाद। 2(दो) वर्ष पश्चात
- 3— चालकों की गिरफ्तारी की किताब निस्तारण के बाद। 2(दो) वर्ष पश्चात
- 4— चालानों की किताबें (पी0बी0) लेखा परीक्षण व आपत्ति(यदि कोई है) के निस्तार के बाद। 10(दस) वर्ष पश्चात
- 5— चेकिंग मेमोरेण्डम निस्तार के बाद। 10(दस) वर्ष पश्चात

लाइसेन्स अनुभाग

- 1— शिक्षार्थी लाइसेन्स पत्रावलियों स्थायी लाइसेन्स बनने से 1(एक) वर्ष
पश्चात
- 2— सर्विस वेतन भोगी लाइसेन्सों के प्रार्थना पत्र पत्रावलियों जो निस्तारित हो चुके हैं। 6(छ:) वर्ष पश्चात
- 3— कन्डेक्टर लाइसेन्स के प्रार्थना पत्र/पत्रावलियों (मूल एवं अंतिम प्रार्थना पत्र नवीनीकरण छोड़कर) 6(छ:) वर्ष पश्चात
- 4— प्राइवेट कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, एलएमवी के लाइसेन्सों के प्रार्थना पत्र पत्रावलियों (प्रथम मूल एवं अंतिम नवीनीकरण छोड़कर) 10(दस) वर्ष
पश्चात
- 5— अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेन्सों के प्रार्थना पत्र। 4(चार) वर्ष
पश्चात
- 6— लाइसेन्स की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र। 2(दो) वर्ष
पश्चात
- 7— लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र। 5(पाँच) वर्ष पश्चात
- 8— पृष्ठांकन(इन्डोस्मेन्ट) हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र। 6(छ:) वर्ष
पश्चात
- 9— लाइसेन्सों से सम्बन्धित पत्राचार व इन्क्वायरी यदि कोई अनियमितता न पाई जाय व कोई वाद लम्बित न हो। 5(पाँच) वर्ष
पश्चात

परमिट अनुभाग

- 1— विशेष अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र यदि किसी वाद में वॉछित न हो व उनका लेखापरीक्षण हो चुका हो व आपत्ति(यदि कोई हो) निस्तारित हो चुकी है। 1(एक) वर्ष
पश्चात
- 2— भार वाहनों व सवारी वाहनों को जारी किये गये अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र यदि किसी वाद अथवा विवाद में वॉछित न हो व उनका लेखा परीक्षण हो चुका है और आपत्ति (यदि कोई है) निस्तारित नहीं है। 1(एक) वर्ष
पश्चात
- 3— स्वीकृत किये गये परन्तु वाहन स्वामियों द्वारा उठाये नहीं गये परमिटों की पत्रावलियों यदि किसी वाद में वॉछित न हो 1(एक) वर्ष
पश्चात
- 4— परमिट धारकों द्वारा निरस्त करने हेतु परमिट समर्पित किये जाने की पत्रावलियों जिन पर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है व कोई वाद लम्बित नहीं है। 1(एक) वर्ष
पश्चात

- 5— अपील, रिवीजन व याचिकाओं की पत्रावलियाँ जिनको राज्य प्राधिकरण अथवा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया हो और उनके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही वॉछित न हो।
5(पॉच) वर्ष पश्चात
- 6— मोटर छीकल एक्ट 1939 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों के प्रकाशन से सम्बन्धित पत्रावलियाँ यदि किसी स्तर पर वॉछित न हो। दिनांक 31.03.95 तक
- 7— विशेष अस्थायी परमिटों के रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।
1(एक) वर्ष
- पश्चात
- 8— अस्थायी परमिटों के रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया हो।
1(एक) वर्ष
- पश्चात
- 9— नये मोटर गाड़ी अधिनियम के स्थायी परमिटों हेतु पत्रावलियाँ जो किसी भी स्तर पर अस्वीकृत हो चुके हो और कोई वाद न हो। 1(एक) वर्ष पश्चात
- 10— स्थायी परमिटों के नवीनीकरण आवेदन पत्र (प्रथम मूल तथा अंतिम नवीनीकरण प्रार्थना पत्र/पत्रावली को छोड़कर)
6(छ:) वर्ष
 पश्चात
- 11— पुराने मोटर गाड़ी अधिनियम के प्रार्थना पत्र जिनके रिफंड की कार्यवाही किसी भी स्तर पर वॉछित न हो।
तत्काल से 31.03.94
 तक

नियम—2

उपरोक्त को छोड़कर शेष सभी अभिलेख स्थायी होंगे और सुरक्षित रखे जायेंगे।

नियम—3

निर्दान किये जाने वाले अभिलेखों का ब्यौरा एक रजिस्टर पर रखा जायेगा तथा यह रजिस्टर स्थायी अभिलेख होगा।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 160 / टीआर / 94–215टीआर / 94
1994

लखनऊ दिनांक 29 जून

- प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 1— समस्त उपपरिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश।
 - 2— समस्त सभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 3— समस्त सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / उप सभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
 - 4— मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण (परिवहन आयुक्त को छोड़कर)
 - 5— वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को परिवहन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
 - 6— मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

ओ०ए०गहलौत
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग—1

देहरादून, दिनांक 13 मार्च, 2009

विषयः— उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के अभिलेखों का अभिलेखन एवं विनिष्टीकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या—29 / सू030 / 6-112 / रिकार्डिंग रूल्स / 2007 दिनांक 24-01-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें परिवहन विभाग में अभिलेखों का अभिलेखन एवं विनिष्टीकरण तथा परिवहन कार्यालयों के अनुभागों से सम्बन्धित अभिलेखों के निर्दान हेतु शासनादेश जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रख्यापन के उपरान्त अभिलेखों के सृजन रख-रखाव और विनिष्टीकरण कार्य का महत्व बढ़ गया है, फलस्वरूप इससे सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्णतया स्पष्ट होनी आवश्यक है। अतएव कृपया निम्नांकितानुसार अभिलेखों का अभिलेखन/निर्दान से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1) कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव, उनके निर्दान के बारे में प्रक्रिया एवं सामान्य पत्र व्यवहार, विधान सभा प्रश्न, आडिट, स्थापना/अधिष्ठान, लेखा आय-व्ययक सम्बन्धी विषयों को रखने की समयावधि की सूची प्रशासनिक सुधार विभाग के शासनादेश संख्या—244 / xxxi(2)जी / 2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 द्वारा जारी की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) उक्त के अतिरिक्त परिवहन विभाग में मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण, कर/अतिरिक्त कर, ड्राइविंग/कन्डक्टर लाइसेंस, परिवहन यानों का नियंत्रण, मोटरयानों से सम्बन्धित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराना, यानों की तकनीकी स्थिति आदि अनेको अन्य कार्य सम्पादित होते हैं। जिनसे सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव एवं निर्दान के लिये उक्त प्रस्तर—2 में संदर्भित शासनादेश के कम में अनुभागवार अभिलेखों को रखने की समयावधि की सूची संलग्न है।

(3) परिवहन विभाग में अभिलेखों का अभिलेखन एवं निर्दान प्रति वर्ष जुलाई माह में नियमित रूप से सम्पन्न कराया जायेगा। निर्दान की गयी पत्रावलियों की सूची अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी जो संकलित सूचना शासन को भेजेंगे। निक्षेप पत्रावलियों को अभिलिखित करने से पूर्व की कार्यवाही, अभिलेखन की कार्यवाही, अभिलेखन के पश्चात की कार्यवाही एवं पत्रावलियों को नष्ट करने से पूर्व की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23 अप्रैल 2005 में जारी

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्दान किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में रखा जायेगा जो स्थायी अभिलेख होगा।

(4) उपरोक्तानुसार अभिलेखन का कार्य सुनिश्चित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये परिवहन कार्यालयों हेतु निम्नानुसार कार्यदल गठित किये जाते हैं:-

परिवहन आयुक्त कार्यालयः

- 1— सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
- 2— सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (मुख्यालय)
- 3— सहायक लेखाधिकारी

संभागीय परिवहन कार्यालय

- 1— संभागीय परिवहन अधिकारी
- 2— सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
- 3— लेखाकार

उप संभागीय परिवहन कार्यालय

- 1— सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
- 2— सहायक संभागीय निरिक्षक (प्राविधिक)
- 3— लेखाकार / वरिष्ठ लेखा लिपिक

संलग्नकः— यथोक्ते ।

भवदीय,

(उमाकान्त पवांर)
सचिव ।

संख्या—35/ix/1/2009, तददिनांकित ।

प्रतिलिपि:— मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त, सेक्टर—1, सी—30, डिफेन्स कालोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या—25/उ०सू०अ०/मु०सू०अ०/2009 दिनांक 03—01—2009 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

(गारिमा रौकली)
उप सचिव ।

**परिवहन विभाग के अभिलेखों का अभिलेखन (recording) एवं निर्दान (weeding) हेतु
निर्धारित अवधि का विवरण**

क्र० सं०	अभिलेख का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय।
रजिस्ट्रीकरण एवं कर/अतिरिक्त कर अनुभाग		
1	जिन वाहनों के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य सम्भाग के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षा हो चुकी है। उनकी पत्रावलियां	आठ वर्ष पश्चात
2	जिन वाहनों के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है व संविदा नहीं है या निरस्त की जा चुकी है और लेखा परीक्षा हो चुकी है। उनकी पत्रावलियां	पांच वर्ष पश्चात
3	जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है व कोई कर अथवा वाद लम्बित नहीं है। उनकी पत्रावलियां	तीन वर्ष पश्चात
4	जिन मामलों में व्यापार प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया हो उनकी पत्रावलियां निरस्तीकरण की तिथि से	दो वर्ष पश्चात
5	जिन मामलों में माल के संग्रह, अग्रेसन और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं की अनुज्ञापन का निरस्तीकरण कर दिया गया है उनकी पत्रावलियां निरस्तीकरण की तिथि से	दो वर्ष पश्चात
6	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की पत्रावलियां—आडिट हो जाने और कोई आपत्ति लम्बित न होने पर	दो वर्ष पश्चात
7	प्रतिदिन जारी वाहनों को ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी रजिस्टर आडिट हो जाने के पश्चात यदि कोई आपत्ति लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात
8	सरकारी वाहनों की पत्रावली— यदि वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो, कोई आपत्ति/वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
9	उन माल वाहनों की पत्रावलियां जिनका स्वामित्व हस्तान्तरण हो चुका है व कोई वाद अथवा कर/अतिरिक्त कर का मामला लम्बित नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है और अन्य कोई मामला लम्बित नहीं है।	एक वर्ष पश्चात
10	उन माल वाहनों की पत्रावलियां जिनके सम्बन्ध में अन्य सम्भाग अथवा प्रान्त के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तथा कोई वाद लम्बित नहीं है और लेखा परीक्षण हो चुका है।	एक वर्ष पश्चात
11	अन्य प्रान्त की माल वाहन जो उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है और प्रतिहस्ताक्षर की अवधि समाप्त हो चुकी है या निरस्त	एक वर्ष पश्चात

	किया जा चुका है उनकी पत्रावलियां।	
12	उन सार्वजनिक सेवा यानों की पत्रावलियां जिनके परमिट या तो यान स्वामियों ने स्वयं निरस्त करवा लिये हैं अथवा राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं और कोई वाद लम्बित नहीं है व कर देय नहीं है तथा लेखा परीक्षण हो चुका है।	एक वर्ष पश्चात
13	अस्थायी परमिटों का कर/अतिरिक्त कर निर्धारण तथा जमा करने से सम्बन्धित पत्रावली यदि किसी वाद में वांछित न हो और लेखा परीक्षण हो चुका हो।	दो वर्ष पश्चात
14	सहायक रोकड बही—आडिट होने और कोई आपत्ति लम्बित न होने पर	पांच वर्ष पश्चात
लाइसेंस अनुभाग		
1	शिक्षार्थी लाइसेंस की पत्रावलियां—आडिट होने तथा कोई वाद/आपत्ति लम्बित होने पर	एक वर्ष पश्चात
2	सर्विस वेतन भोगी लाइसेंसी के प्रार्थना पत्रों, पत्रावलियां जो निस्तारित हो चुके हों।	छःवर्ष पश्चात
3	कंडक्टर लाइसेंस के प्रार्थना पत्र/पत्रावलियां (मूल एवं अन्तिम प्रार्थना पत्र नवीनीकरण छोड़कर)	छःवर्ष पश्चात
4	प्राइवेट कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, एल0एम0वी0 के लाइसेंसों के प्रार्थना पत्र, पत्रावलियां (प्रथम मूल एवं अन्तिम नवीनीकरण छोड़कर)	दस वर्ष पश्चात
5	अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों के प्रार्थना पत्र—आडिट हो जाने के बाद	एक वर्ष पश्चात
6	लाइसेंस की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र	दो वर्ष पश्चात
7	लाइसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र	पाँच वर्ष पश्चात
8	पृष्ठांकन (इन्डोर्समेन्ट) हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र	छः वर्ष पश्चात
9	लाइसेंस से सम्बन्धी पत्राचार व इच्छावारी यदि कोई अनियमितता न पायी जाय व कोई वाद लम्बित न हो।	पाँच वर्ष पश्चात
10	लाइसेंस के विरुद्ध कार्यवाही की पत्रावली— यदि कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
11	कार्ड लाइसेंस, मशीन की पत्रावली— मशीन की निलामी होने के उपरान्त आडिट हो जाने और कोई आपत्ति/वाद लम्बित न होने पर	एक वर्ष पश्चात
परमिट अनुभाग		
1	विशेष अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र यदि किसी वाद में वांछित न हो उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो व आपत्ति, यदि कोई हो, का निस्तारण हो चुका हो।	एक वर्ष पश्चात
2	अस्थायी परमिटों के प्रार्थना पत्र, जो भार वाहनों व सवारी वाहनों को जारी किये गये, यदि किसी वाद अथवा विवाद में	एक वर्ष पश्चात

	वांछित न हो उनका लेखा परीक्षण हो चुका हो व आपत्ति, यदि कोई हो, का निस्तारण हो चुका हो।	
3	स्वीकृत किये गये परन्तु वाहन स्वामियों द्वारा उठाये नहीं गये परमिटों की पत्रावलियां यदि किसी वाद में वांछित न हो।	एक वर्ष पश्चात
4	परमिट धारकों द्वारा निरस्त करने हेतु परमिट समर्पित किये जाने की पत्रावलियां जिन पर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है और कोई वाद लम्बित नहीं है।	पाँच वर्ष पश्चात
5	मोटरयानों से सम्बन्धित अपील, रिवीजन व याचिकाओं की पत्रावलियां जिनको राज्य परिवहन अपील अधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया हो और उनके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही वांछित न हो।	पाँच वर्ष पश्चात
6	विशेष अस्थायी परमिटों का रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात
7	अस्थायी परमिटों का रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात
8	स्थायी परमिटों की पत्रावलियां जो किसी भी स्तर पर अस्वीकृत हो चुके हों, और कोई भी वाद न हो।	एक वर्ष पश्चात
9	परमिट प्रतिस्थापना रजिस्टर।	पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात
10	अस्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर जिनका लेखा परीक्षण हो गया है।	एक वर्ष पश्चात
11	मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका गाड़ी, निजी सेवायान, मंजिली गाड़ी, माल वाहन परमिट, नेशनल परमिट एवं अस्थायी परमिट से सम्बन्धित पत्रावलियां— यदि वाहन का परमिट निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो और कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
12	रिफन्ड पत्रावलियां— आडिट हो गया हो, कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात
13	विभिन्न मार्गों पर नये परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर—प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हो जाने पर।	दो वर्ष पश्चात
14	दुर्घटनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियां— आडिट हो गया हो, कोई मामला लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
15	जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दो वर्ष पश्चात
16	परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति की बैठक सम्बन्धी पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दो वर्ष पश्चात
17	विवरण पत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियां— यदि प्रत्येक वर्ष के अलग—अलग पत्रावली बनायी गयी हो।	दस वर्ष पश्चात

18	स्कूल बस पत्रावलियां— यदि वाहन का परमिट निरस्त हो गया हो, लेखा परीक्षण हो गया हो और कोई आपत्ति न हो, कोई वाद लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
19	बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति का रजिस्टर— आडिट होने पर यदि कोई आपत्ति लम्बित न हो।	एक वर्ष पश्चात
प्रवर्तन अनुभाग		
1	अभियोग पत्र (इन्फ्रेजमेंट रिपोर्ट) न्यायालय से मुकदमा निस्तारण के बाद	तीन वर्ष पश्चात
2	थानों में वाहने बन्द करने की सीजर बुक—बकाया वसूली के बाद	दो वर्ष पश्चात
3	चालकों की गिरफ्तारी की किताब—	दो वर्ष पश्चात
4	चालानों की किताब— लेखा परीक्षण व यदि कोई आपत्ति न हो।	दस वर्ष पश्चात
5	चैकिंग मेमोरेन्डम— निस्तारण के बाद	दस वर्ष पश्चात
6	चालानों का इंडेक्स रजिस्टर पूर्ण होने के बाद	दो वर्ष पश्चात
7	प्रदुषण संयंत्र रख रखाव पत्रावली— संयंत्र नीलामी के पश्चात आडिट होने के उपरान्त यदि कोई आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो।	एक वर्ष पश्चात
8	प्रदुषण चैकिंग सम्बन्धी विवरण	दस वर्ष पश्चात
9	प्रदुषण चैकिंग की नोटिस बुक समाप्त होने के बाद यदि कोई वाद लम्बित न हो।	दो वर्ष पश्चात
10	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी पत्रावली।	पांच वर्ष पश्चात
11	रिलीज आर्डर आडिट होने के बाद	एक वर्ष पश्चात
12	प्रवर्तन कार्मिकों को जारी आदेश/निर्देश पत्रावली	पांच वर्ष पश्चात
13	मार्ग सर्वेक्षण पत्रावली	पांच वर्ष पश्चात
14	सामान्य पत्राचार पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग बनी हो।	पांच वर्ष पश्चात
15	मासिक विवरण पत्रावली— यदि प्रत्येक वर्ष की अलग—अलग बनी हो।	दस वर्ष पश्चात
प्राविधिक अनुभाग		
1	प्रदुषण संयंत्रों के क्रय किये जाने सम्बन्धी पत्रावली— संयंत्र निस्तारण, आडिट होने कार्ड आपत्ति/वाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात
2	प्रदुषण जांच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली— मान्यता निरस्त करने, कोई विवाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात
3	मोटर वाहन गैराजों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रावली— मान्यता निरस्त करने, कोई विवाद लम्बित न होने पर।	एक वर्ष पश्चात

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या—7

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता
या जन—प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी
गयी व्यवस्था का विवरण।
(मई 2018 तक संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या—7

परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड ।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण ।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये वर्तमान में परिवहन विभाग में निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है :—

- (1) राज्य स्तर पर सड़क यातायात के योजनाबद्ध रूप से विकास तथा सड़क यातायात की समस्याओं पर विचार कर शासन को सलाह देने हेतु शासनादेश संख्या—111 / 35(परिवहन) / 2004 दिनांक 28 फरवरी 2004, व अधिसूचना संख्या—483 / ix / 35 / 2004 दिनांक 6 दिसम्बर 2005 के अन्तर्गत “उत्तरांचल परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति” का गठन एवं सदस्यों का नामांकन किया गया है। समिति में मा० परिवहन मंत्री, उत्तरांचल सरकार, अध्यक्ष के अतिरिक्त 27 सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं। समिति के वर्तमान सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :—

1	मा० परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	अध्यक्ष
2	श्री भागवत सिंह विष्ट, न्यू टिहरी	कार्यकारी अध्यक्ष
3	डा० आर० पी० रतूडी, धर्मपुर, देहरादून	उपाध्यक्ष
4	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह	सदस्य
5	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा	सदस्य
6	प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन, उत्तरांचल शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव / सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड	सदस्य
9	प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन	सदस्य
11	श्री विक्रम सिंह रावत, एडवॉकेट, चमोली	सदस्य
12	ले० जनरल पी०एस०विष्ट, देहरादून	सदस्य
13	श्री बलबन्त मेहरा, रामनगर, नैनीताल (प्रतिनिधि के० एम०ओ०य०)	सदस्य
14	श्री अशोक गुप्ता, डांडीपुर, देहरादून	सदस्य
15	श्री महेश तड़ागी, चम्पावत	सदस्य

16	श्री जिशानउल्लाह, इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून	सदस्य
17	श्री केसर सिंह राणा , एडवोकेट, नई टिहरी	सदस्य
18	श्री फुरकान अली, ज्वालापुर, हरिद्वार	सदस्य
19	श्री हुकुम सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, रुड़की, हरिद्वार	सदस्य
20	श्री बी0डी0गुप्ता, 8— रेसकोर्स, देहरादून	सदस्य
21	श्री राम सिंह रावत, विजय कालोनी, देहरादून	सदस्य
22	श्री रघुवीर सिंह वालिया, माजरा , देहरादून	सदस्य
23	श्री विजयपाल सिंह घनै, अध्यक्ष, टी0जी0एम0ओ0 ऋषिकेश	सदस्य
24	श्री चन्द्रमोहन खर्डकवाल, जी0एम0ओ0यू0	सदस्य
25	श्री दिनेश बहुगुणा, अध्यक्ष, गढवाल ट्रक आनर्स एसोसियेशन, ऋषिकेश	सदस्य
26	श्री मो0 इकबाल बारी, चौक जसपुर, उधमसिंहनगर	सदस्य
27	श्री सोम उनियाल, अध्यक्ष, महानगर बस सेवा, देहरादून	सदस्य
28	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव

समिति की समय—समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(2) मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट जारी करने हेतु नीति विषयक निर्णय लिये जाते हैं। जिसके लिये राज्य स्तर पर ‘राज्य परिवहन प्राधिकरण’ एवं सम्भाग स्तर पर चार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया है। जिनमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में जनप्रतिनिधि नामित हैं, जो प्राधिकरण में बैठकों में भाग लेते हुये नीति सम्बन्धी निर्णयों में सहभागिता करते हैं।

वर्तमान मे “उत्तराखण्ड परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति” के नाम से कोई समिति कियाशील नहीं है।

संलग्न अभिलेख :-

1— उत्तरांचल परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति का गठन— उत्तरांचल शासन परिवहन विभाग का कार्यालय ज्ञाप संख्या—111 / 35(परि0) / 2004 दिनांक 28 फरवरी 2004, एवं अधिसूचना संख्या—483 / ix / 35 / 2004 दिनांक 6 दिसम्बर 2005।

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या—111(1) / 04 / 35(परि0)04 / 2004
देहरादून: दिनांक 28 फरवरी, 2004

राज्य स्तर पर सडक यातायात के योजनाबद्ध रूप से विकास तथा सडक यातायात समस्याओं पर विचार कर शासन को सलाह देने हेतु श्री राज्यपाल महोदय “उत्तरांचल परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति” का निम्नवत गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1	मा० परिवहन मंत्री, उत्तरांचल शासन देहरादून	अध्यक्ष
2	श्री भागवत सिंह बिष्ट, न्यू टिहरी	कार्यकारी अध्यक्ष
3	श्री सुल्तान सिंह चौहान, सेलाकुई, देहरादून	उपाध्यक्ष
4	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह	सदस्य
5	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा	सदस्य
6	प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन उत्तरांचल शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव / सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास उत्तरांचल	सदस्य
9	प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन	सदस्य
11	श्री विक्रम सिंह रावत, एडवोकेट, चमोली	सदस्य
12	ले० जनरल पी०एस०बिष्ट, देहरादून	सदस्य
13	श्री बलवन्त मेहरा, रामनगर, नैनीताल, (प्रतिनिधि)	सदस्य
14	श्री अशोक गुप्ता, डांडीपुर, देहरादून	सदस्य
15	श्री महेश तडागारी, चम्पावत	सदस्य
16	श्री जिशानउल्लाह, इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून	सदस्य
17	श्री केसर सिंह राणा एडवोकेट, नई टिहरी	सदस्य
18	श्री फुरकान अली, ज्वालापुर, हरिद्वार	सदस्य
19	श्री हुकुम सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, रुडकी, हरिद्वार	सदस्य
20	श्री बी०डी० गुप्ता, ८ रेसकोर्स, देहरादून	सदस्य
21	श्री राम सिंह रावत, विजय कालोनी, देहरादून	सदस्य
22	श्री रघुवीर सिंह वालिया माजरा, देहरादून	सदस्य
23	श्री विजयपाल सिंह घनै, अध्यक्ष, टी०जी०एम०ओ० ऋषिकेश	सदस्य
24	श्री चन्द्रमोहन खर्डकवाल, जी०एम०ओ०य००	सदस्य
25	श्री दिनेश बहुगुणा, अध्यक्ष, गढवाल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ऋषिकेश	सदस्य
26	परिवहन आयुक्त उत्तरांचल	सदस्य सचिव

उक्त समिति की एक बैठक वर्ष में एक बार देहरादून में अवश्य आहूत की जायेगी। समिति का कार्यकाल 03 वर्ष होगा किन्तु राज्य सरकार कभी भी बिना किसी सूचना के समिति का विघटन कर सकेगी।

भवदीय

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्या—111(1) / 04 / 35(परि0)04 / 2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
- 3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
- 4— समस्त प्रमुख सचिव, / सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 5— परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
- 6— मण्डलायुक्त गढवाल / कुमायूँ।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 8— समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग उत्तरांचल।
- 9— समिति के मा० अध्यक्ष / मा० कार्यकारी अध्यक्ष / मा० सदस्य सचिव / मा० समस्त सदस्यगण।
- 10— एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय शाखा, देहरादून।
- 11— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जी० बी० औली
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या—483 / ix / 35 / 2004
देहरादून: दिनांक 06 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

कार्यालय ज्ञाप संख्या—11 / 35(परि0) / 2004 दिनांक 28 फरवरी, 2004 द्वारा
गठित “उत्तरांचल परिवहन एवं यातायात सलाहकार समिति” में आंशिक संशोधन करते
हुये श्री सुल्तान सिंह चौहान, सेलाकुर्झ, देहरादून के स्थान पर डा० आर० पी० रत्नूडी,
धर्मपुर, देहरादून को उपाध्यक्ष एवं श्री मो० इकबाल बारी, चौक जसपुर, उधमसिंहनगर
तथा श्री सोम उनियाल अध्यक्ष, महानगर बस सेवा, देहरादून को सदस्य नामित किये
जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस सीमा तक कार्यालय ज्ञाप 28 फरवरी 2004 संशोधित समझा जाय।

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्या—483 / ix / 35 / 2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
- 3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
- 4— निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री, उत्तरांचल शासन।
- 5— अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6— मण्डलायुक्त गढवाल / मण्डलायुक्त, कुमायूं।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 8— समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरांचल।
- 9— समिति के मा० अध्यक्ष / मा० कार्यकारी अध्यक्ष / मा० सदस्य सचिव / मा० समस्त सदस्यगण / सम्बन्धित सदस्य।
- 10— एन०आई०सी० उत्तरांचल सचिवालय शाखा देहरादून।
- 11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जी०बी० औली
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग—१
संख्या—६६२ / ix-१ / ३९ / २०१४
देहरादून दिनांक ०९—१२—२०१४
अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—२१५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के निम्न प्रकार गठन की स्वीकृति देते हैं—

१— सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
२— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
३— मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
४— जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
५— अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
६— मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम / अधिशासी अधिकारी, न०पा०प० / नगर पालिका	सदस्य
७— जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के परिवहन एसोसियेशन अथवा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवा संस्था के प्रतिनिधि (अधिकतम ०३)	सदस्य
८— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य सचिव
२. यह समिति जनपदीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति की समय—समय पर समीक्षा करेंगी तथा अपनी संस्तुतियां जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को देगी। समिति की साल में कम से कम ०२ बैठके होगी तथा समिति अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।	

एस० रामास्वामी
प्रमुख सचिव

संख्या ६६२(१) / IX-१ / ३९ / २०१४ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन / सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- २— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३— समिति के अध्यक्ष / समस्त सदस्य।
- ४— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ५— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- ६— अपर परिवहन आयुक्त / समस्त सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ७— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन साम्रगी, लीथो प्रेस, रुड़की को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

जीवन सिंह तिलाड़ा
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या— /ix-1 / 25/2015
देहरादून दिनांक 27-04-2015
अधिसूचना

भारत सरकार के पत्र संख्या— RT-25035/51/2013— RS दिनांक 01-11-2013 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—295/2012 में दिनांक 22-04-2014 को पारित आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु मुख्य समिति उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति के गठन की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति है:—

1—	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2—	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3—	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4—	प्रमुख सचिव / सचिव, चिकित्सा विभाग	सदस्य
5—	प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
6—	प्रमुख सचिव / सचिव, वन विभाग	सदस्य
7—	प्रमुख सचिव / सचिव, आबकारी विभाग	सदस्य
8—	प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग	सदस्य
9—	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
10—	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
11—	मुख्य अभियंता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
12—	सीमा सड़क संगठन के अधिकारी	सदस्य
13—	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य सचिव
2—	यह समिति राज्य स्तर पर लीड एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुये सड़क सुरक्षा एवं मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने नीतियों का निर्माण एवं उनके अनुपालन का अनुश्रवण करेगी। समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठके होगी तथा समिति अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।	

एन० रवि शंकर
मुख्य सचिव।

संख्या 316(1) / IX-1 / 25/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन/सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6— अपर परिवहन आयुक्त/समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन साम्रगी, लीथो प्रेस, रुड़की को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,
एस० रामास्वामी
प्रमुख सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—8

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य
निकायों का विवरण ।
(मई 2018 तक संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल संख्या—8
परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड |
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण।

“उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद”		
1	संबद्ध संस्था का प्रकार	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गठित परिषद।
2	संबद्ध संस्था का कार्यकाल	स्थायी (जब तक शासन द्वारा अन्यथा विघटित न कर दी जाय)
3	संक्षिप्त परिचय	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद मात्र परिवहन मंत्रीजी उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित जिसका कार्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों एवं सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा करना है।
4	संस्था की भूमिका	परामर्शी
5	मुख्य अधिकारी का नाम	प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन, परिषद के सदस्य सचिव है।
6	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन,
7	बैठक की आवृत्ति	वर्ष में न्यूनतम एक बार
8	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	प्रावधान नहीं है।
9	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है।	परिषद की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है।
10	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है, यदि हाँ तो प्रक्रिया का विवरण	सम्बन्धित कार्यवृत्त की प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पर आवेदन करने एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायी जा सकेगी।

संलग्न अभिलेख—

1— उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन विषयक शासनादेश संख्या—663 / ix-1 / 39 / 2014, दिनांक 09-12-2014

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग—1
संख्या—663 / ix-1 / 39 / 2014
देहरादून दिनांक 09—12—2014

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—215 की उपधारा (2) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के निम्न प्रकार गठन की स्वीकृति देते हैं:—

1—	मा० परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2—	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3—	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4—	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5—	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6—	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
7—	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	
8—	मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड	सदस्य
9—	मण्डलायुक्त, कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड	सदस्य
10—	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
11—	पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल जौन, उत्तराखण्ड	सदस्य
12—	पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊ जौन, उत्तराखण्ड	सदस्य
13—	सीमा सड़क संगठन के अधिकारी	सदस्य
14—	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव

2. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों एवं सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति की समय—समय पर समीक्षा करेगी। इस विषय पर प्रदेश शासन को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेंगी। परिषद की सील में कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी तथा परिषद अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

एस० रामास्वामी
प्रमुख सचिव

संख्या 663(1) / IX-1 / 39 / 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन/सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— परिषद के अध्यक्ष/समस्त सदस्यगण।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

- 5— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6— अपर परिवहन आयुक्त / समस्त सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन साम्रगी, लीथो प्रेस, रुड़की को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

जीवन सिंह तिलाड़ा
उप सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—9

अधिकारियों और कर्मचारियों की
निर्देशिका ।
(मई 2018 तक संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-9

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।

वर्तमान में परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित है तथा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
1	श्री डी० सेन्थिल पाण्डियन	परिवहन आयुक्त
2	श्रीमती सुनीता सिंह	अपर परिवहन आयुक्त
3	श्री एस. के. सिंह	सहायक परिवहन आयुक्त
4	श्री विक्रम सिंह	वित्त नियन्त्रक
5	सुश्री रश्मि पन्त	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय
6	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक लेखाधिकारी
7	श्री हीरा सिंह बर्गली	सहायक निदेशक (निःसंवर्गीय) लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा
8	श्री नरेश संगल	सहायक निदेशक (निःसंवर्गीय) लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा
9	श्री रमेश सिंह राना	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
10	श्री नवीन चन्द्र मैठानी	वरिठ प्रशासनिक अधिकारी
11	श्री धर्मपाल	वरिठ प्रशासनिक अधिकारी
12	श्री प्रमोद नौडियाल	वरिठ प्रशासनिक अधिकारी
13	श्री विपिन चन्द्र रमोला	प्रशासनिक अधिकारी
14	श्री हर्षमणी सेमवाल	प्रशासनिक अधिकारी
15	श्री उमेश चन्द	प्रशासनिक अधिकारी
16	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	लेखाकार
17	श्री अमित कुमार	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
18	श्री विजेन्द्र कुमार	सहा० लेखाकार
19	कु० आशा	सहा० लेखाकार
20	श्री कृष्ण चन्द्र जोशी	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक
21	श्रीमती अम्बिका कुकरेती	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक
22	पवन कुमार	वरिष्ठ वैयक्ति सहायक
23	श्री कमलकान्त सेमवाल	प्रधान सहायक
24	श्री शान्ति प्रसाद मैठानी	प्रधान सहायक
25	श्री विनोद पाठक	प्रधान सहायक
26	श्रीमती नीता भण्डारी	प्रधान सहायक
27	श्रीमती नीरा लोहनी	प्रधान सहायक
28	श्री गिरीश चन्द	प्रधान सहायक
29	श्री सुधीर कुमार राणा	वरिठ सहायक
30	श्रीमती बीना	वरिठ सहायक
31	श्री मनीष चन्द्रा	वरिठ सहायक

32	श्रीमती मीनाक्षी नैथानी	वैयक्ति सहायक
33	कु0 अंजना देवी	वैयक्ति सहायक
34	श्री संदीप भण्डारी	कनिष्ठ सहायक
35	श्रीमती तनुजा जोशी	कनिष्ठ सहायक
36	सुश्री स्वाती बधानी	कनिष्ठ सहायक
37	श्री महेश कुमार	कनिष्ठ सहायक
38	श्री प्रवीण उनियाल	कनिष्ठ सहायक
39	श्री आशीष सकलानी	कनिष्ठ सहायक
40	श्री भीम सिंह वर्तवाल	कनिष्ठ सहायक
41	श्री सुनील सिंह	कनिष्ठ सहायक
42	श्री रवि कुमार द्वितीय	कनिष्ठ सहायक
43	श्री विपिन कुमार	कनिष्ठ सहायक
44	श्री पाकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक
45	श्री गजेन्द्र सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर
46	श्री अरुण भारती	प्रवर्तन चालक
47	श्री गुरुसेवक सिंह	प्रवर्तन चालक
48	श्री रमेश चन्द्र	प्रवर्तन चालक
49	श्री विनोद रावत	प्रवर्तन सिपाही
50	श्री मेहताब अली	प्रवर्तन सिपाही
51	श्री रमेश चन्द्र पन्त	प्रवर्तन सिपाही
52	श्री अमित कुमार	प्रवर्तन सिपाही
53	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक
54	श्री मोहन थापा	अनुसेवक

परिवहन आयुक्त आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड मे तैनात / कार्यरत अधिकारी / कार्मिकों का विवरण दिनांक
01–04–2018 की स्थिति

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम
1	श्री सुधांशु गर्ग	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	देहरादून
2	श्री राजीव मेहरा	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	हल्द्वानी / अल्मोड़ा
3	श्री दिनेश चन्द्र पठोई	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	पौड़ी
4	श्री शैलेश कुमार तिवारी	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0(प्रशासन)	रुड़की
5	श्री सुनील शर्मा	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0	विकासनगर
6	कु0 अनीता चमोला	सहा0 सम्भा0 परिः0 अधिः0	ऋषिकेश
7	श्रीमती अनीता चन्द्र	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0(प्रशासन)	काशीपुर
8	श्री संदीप सैनी	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0(प्रशासन)	अल्मोड़ा एवं रानीखेत वर्तमान में निलम्बित पौड़ी सम्बन्ध
9	श्री गुरुदेव सिंह	सहा0 सम्भा0परिः0अधिः0(प्रवर्तन)	हल्द्वानी
10	श्री नन्द किशोर	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0(प्रशासन)	उधमसिंहनगर
11	श्री द्वारिका प्रसाद	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0प्रव/ प्र0	पौड़ी
12	श्री आनन्द जायसवाल	सहा0सम्भा0परिः0अधिः0	उत्तरकाशी वर्तमान में निलम्बित मुख्यालय सम्बद्ध
13	श्री अरविन्द पाण्डेय	सहा0सम्भा0परिः0 अधिकारी	देहरादून
14	श्री विमल पाण्डेय	सहा0सम्भा0परिः0 अधिकारी	रामनगर

15	श्री मनीष तिवारी	सहा०सम्भा०परि०अधिकारी, प्रशा०	हरिद्वार
16	श्रीमती रश्मि भट्ट	सहा०सम्भा०परि०अधिकारी(प्रशा०)	टनकपुर
17	कु० पूजा नयाल	सहा०सम्भा०परि०अधिकारी(प्रव.)	बागेश्वर
18	श्री संदीप वर्मा	सहा०सम्भा०परि०अधिकारी(प्रशा०)	हल्द्वानी
19	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहा०सम्भा०परि० अधिकारी	हरिद्वार
20	श्री रामप्रकाश राठौर	सहा०सम्भा०परि०अधिकारी प्रव०	उधमसिंहनगर
21	श्री रावत सिंह	स०स०प०अधिकारी	कोटद्वार
22	श्री चकपाणी मिश्रा	स०स०प०अधिकारी	उत्तरकाशी
23	श्री मोहित कुमार कोठारी	स०स०प०अधिकारी	रुद्रप्रयाग
24	एल्विन रॉक्सी	स०स०प०अधिकारी	कर्णप्रयाग
25	आलोक जोशी	स०स०प०अधिकारी	अल्मोड़ा
26	श्री ज्योतिशंकर मिश्र	परिवहन कर अधिकारी-१	ठिहरी
27	श्री विपिन कुमार सिंह	परिवहन कर अधिकारी-१	टनकपुर
28	श्री नवीन कुमार सिंह	परिवहन कर अधिकारी-१	पिथौरागढ़
29	श्री निखिलेश ओझा	परिवहन कर अधिकारी-१	प्र० दल, रुड़की
30	श्री अशीत कुमार झा	परिवहन कर अधिकारी-१	प्र० दल, नैनीताल
31	श्री पंकज श्रीवास्तव	परिवहन कर अधिकारी-१	रुद्रप्रयाग
32	श्री रत्नाकर सिंह	परिवहन कर अधिकारी-१	प्र० दल, चक्रताल
33	श्रीमती संगीता भट्ट	परिवहन कर अधिकारी-१	देहरादून
34	श्री कुलवन्त चौहान	परिवहन कर अधिकारी-१	ऋषिकेश
35	कृष्ण चन्द्र	परिवहन कर अधिकारी-१	रानीखेत
36	दामिनी अरोड़ा	परिवहन कर अधिकारी-१	अल्मोड़ा
37	शशि दूबे	परिवहन कर अधिकारी-१	कोटद्वार
38	नेहा झा	परिवहन कर अधिकारी-१	रामनगर
39	राजेन्द्र विराटिया	परिवहन कर अधिकारी-१	पौड़ी
40	जितेन्द्र बहादुर चन्द	परिवहन कर अधिकारी-१	उत्तरकाशी
41	निखिल शर्मा	परिवहन कर अधिकारी-१	बागेश्वर
42	अमन	परिवहन कर अधिकारी-१	कर्णप्रयाग
43	श्री दिग्विजय सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
44	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	पौड़ी
45	श्री मनोज सनवाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	टनकपुर
46	श्री दीपक कुमार शर्मा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	उत्तरकाशी
47	श्री के०आर० आर्य	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	काशीपुर
48	श्री सुशील निरंजन	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	विकासनगर
49	कु० प्रमोद मिश्रा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
50	श्री दिनेश कुमार वर्मा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मझौला
51	सुरेखा सपालोक	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
52	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	बागेश्वर
53	श्री हरि सिंह	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	गोवर्धनपुर
54	श्री सईद अहमद	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रुड़की
55	श्रीमती सुषमा चौधरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	उधमसिंहनगर
56	श्रीमती संद्या मिश्रा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ऋषिकेश
57	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	हल्द्वानी
58	श्रीमती मण्णी हयांकी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रामनगर
59	श्री सुरेश चन्द बछेटी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कुल्हाल
60	श्रीमती अर्चना शर्मा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
61	श्री दिलवर सिंह गुंसाई	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	नारसन
62	श्रीमती शांति पाण्डेय	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रामनगर
63	श्रीमती रुक्साना शम्सी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	आशारोड़ी
64	श्री मनोज नेगी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कौड़िया
65	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
66	श्री श्याम सिंह लटवाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	हल्द्वानी
67	श्री मोहन सिंह चम्पाल	प्रशासनिक अधिकारी	ऋषिकेश
68	श्री रमेश चन्द्र सनवाल	प्रशासनिक अधिकारी	बनबसा
69	श्री जगदीश गैरोला	प्रशासनिक अधिकारी	पौड़ी

70	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	हरिद्वार
71	श्री रेशम सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	हरिद्वार
72	श्री प्रेम दत्त बिजल्वाण	प्रशासनिक अधिकारी	ऋषिकेश
73	श्री संजीव कुमार मिश्रा	प्रशासनिक अधिकारी	हरिद्वार
74	श्री विजय सिंह गुंसाई	प्रशासनिक अधिकारी	रुडकी
75	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	प्रशासनिक अधिकारी	ऋषिकेश
76	श्री चन्द्रमोहन रावत	प्रशासनिक अधिकारी	हरिद्वार
77	श्री कृपाल दत्त जोशी	प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
78	श्री मुनेश नौडियाल	प्रशासनिक अधिकारी	हरिद्वार
79	श्री विजयपाल	प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
80	श्री मोहन लाल	प्रशासनिक अधिकारी	हरिद्वार
81	श्री कृष्ण किशोर	प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
82	श्री उपदेश मजखोला	प्रशासनिक अधिकारी	विकासनगर
83	श्री जितेन्द्र सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	रुद्रपुर
84	श्री बच्ची सिंह मेहरा	प्रशासनिक अधिकारी	हल्द्वानी
85	श्री आनन्दबल्लभ पाण्डे	प्रशासनिक अधिकारी	हल्द्वानी
86	श्री मुकुल मंगाई	प्रशासनिक अधिकारी	देहरादून
87	श्री मनोज कुमार त्यागी	सम्भागीय निरीक्षक	उधमसिंहनगर
88	श्री अरविन्द यादव	सम्भागीय निरीक्षक	ऋषिकेश
89	श्री देवेन्द्र सिंह	सम्भागीय निरीक्षक	हल्द्वानी
90	श्री आलोक कुमार	सम्भागीय निरीक्षक	देहरादून
91	श्री चन्द्रकान्त भट्ट	सम्भागीय निरीक्षक	हरिद्वार
92	श्री विनोद गुंज्याल	सम्भागीय निरीक्षक	अल्मोड़ा
93	श्री अजय कुमार आर्य	सम्भागीय निरीक्षक	कर्णप्रयाग
94	श्री रोमेश अग्रवाल	सम्भागीय निरीक्षक	रुद्रप्रयाग
95	श्री प्रदीप सिंह रौथाण	सम्भागीय निरीक्षक	कोटद्वार
96	श्री आनन्द वर्धन	सम्भागीय निरीक्षक	पौडी
97	श्री विकास सिंह	सम्भागीय निरीक्षक	ठिहरी
98	श्री राजेश कुमार	सम्भागीय निरीक्षक	पिथौरागढ़
99	श्री प्रवीण कुमार	सम्भागीय निरीक्षक	उत्तरकाशी
100	श्री भानु प्रकाश बडोनी	सम्भागीय निरीक्षक	बागेश्वर
101	श्री मुकेश कुमार सैनी	परिवहन कर अधिकारी-2	गोवर्धनपुर
102	श्री जितेन्द्र कुमार	परिवहन कर अधिकारी-2	पुलभट्टा
103	श्री सतेन्द्र राज	परिवहन कर अधिकारी-2	आशारोड़ी
104	श्री शान्ति प्रसाद	परिवहन कर अधिकारी-2	पुलभट्टा
105	श्रीमती निर्मला आर्य	परिवहन कर अधिकारी-2	रुद्रपुर चैक
106	श्री पी०सी० पाण्डे	परिवहन कर अधिकारी-2	भगवानपुर
107	श्री विमल कुमार उप्रेती	परिवहन कर अधिकारी-2	रुद्रपुर चैक
108	श्री प्रमोद चौधरी	परिवहन कर अधिकारी-2	चैक रुद्रपुर
109	क० विष्णु माया	परिवहन कर अधिकारी-2	आशारोड़ी
110	श्री राज विलोचन बहुगुणा	परिवहन कर अधिकारी-2	चिडियापुर
111	श्री अनिल सिंह	परिवहन कर अधिकारी-2	चिडियापुर
112	श्री प्रमोद कर्नाटक	परिवहन कर अधिकारी-2	काशीपुर चैक
113	श्री महावीर सिंह	परिवहन कर अधिकारी-2	कुल्हाल
114	श्री परीक्षित सिंह भण्डारी	परिवहन कर अधिकारी-2	आशारोड़ी
115	श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता	परिवहन कर अधिकारी-2	पुलभट्टा
116	श्री हरीश कुमार सती	परिवहन कर अधिकारी-2	कौडिया
117	क० नेहा झा	परिवहन कर अधिकारी-2	काशीपुर चैक.
118	क० श्वेता रौथान	परिवहन कर अधिकारी-2	आशारोड़ी
119	श्री भारत भूषण	परिवहन कर अधिकारी-2	नारसन
120	क० मनीशा शाह	परिवहन कर अधिकारी-2	चिडियापुर
121	श्री महिपाल पपनोई	परिवहन कर अधिकारी-2	कौडिया
122	क० संगीता धीमान	परिवहन कर अधिकारी-2	भगवानपुर
123	श्री विजय कुमार आर्य	परिवहन कर अधिकारी-2	काशीपुर चैक
124	श्री नन्दन प्रसाद आर्य	परिवहन कर अधिकारी-2	मझोला

		परिवहन कर अधिकारी-2	नारसन
125	श्री मुकेश भारती	लेखाकार	देहरादून
126	श्री धर्मन्द्र सिंह रावत	लेखाकार	देहरादून
127	श्री महेन्द्र कुमार	लेखाकार	देहरादून
128	श्री निवास चन्द्र गहतोडी	सहायक	हल्द्वानी
129	श्री पान सिंह रावत	प्रधान सहायक	पिथौरागढ़
130	श्री हरीश चन्द्र भद्री	प्रधान सहायक	उधमसिंहनगर
131	श्री किशन सिंह नेगी	प्रधान सहायक	देहरादून
132	श्री मनोज पाठक	प्रधान सहायक	कोटद्वार
133	श्री रूपेश गढवाली	प्रधान सहायक	चिडियापुर
134	श्री राजेन्द्र प्रसाद	प्रधान सहायक	देहरादून
135	श्री मुकेश नवानी	प्रधान सहायक	ऋशिकेश
136	श्री सुरेश कोटनाला	प्रधान सहायक	ऋशिकेश
137	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	प्रधान सहायक	देहरादून
138	श्री विजयपाल रावत	प्रधान सहायक	देहरादून
139	श्री सुन्दरलाल पाण्डे	प्रधान सहायक	देहरादून
140	श्री कृष्ण बिजल्याण	प्रधान सहायक	गोवधनपुर
141	श्री दौलतराम पाण्डे	प्रधान सहायक	देहरादून
142	श्री संजीव सिंह चौहान	प्रधान सहायक	ठिहरी
143	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रधान सहायक	पौड़ी
144	श्री जयन्त विश्विष्ट	प्रधान सहायक	उधमसिंहनगर
145	श्री मुकुल अग्रवाल	प्रधान सहायक	उधमसिंहनगर
146	श्री भाष्करानन्द जोशी	प्रधान सहायक	अल्मोड़ा
147	श्री जितेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रधान सहायक	देहरादून
148	श्री सत्येन्द्र भोज	प्रधान सहायक	अल्मोड़ा
149	श्री पूरन चन्द्र पाण्डेय	प्रधान सहायक	टनकपुर
150	श्री रमेश कुमार सुनेजा	प्रधान सहायक	पिथौरागढ़
151	श्री नीरज चौहान	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
152	श्रीआनन्द बल्लभ उप्रेती	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
153	श्री तारकेन्द्र वैष्णव	प्रधान सहायक	उधमसिंहनगर
154	श्री महेन्द्र सिंह नेगी	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
155	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	प्रधान सहायक	अल्मोड़ा
156	श्री ग्रेट वालिया	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
157	श्री भगवान सिंह	प्रधान सहायक	पिथौरागढ़
158	श्री गुरमुख सिंह	प्रधान सहायक	उमधसिंहनगर
159	श्री राजेन्द्र तिवारी	प्रधान सहायक	देहरादून
160	श्री जशवीर सिंह	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
161	श्री मुकेश तिवारी	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
162	श्री अमित कुमार सती	प्रधान सहायक	हल्द्वानी
163	श्री देवेन्द्र सिंह मनवाल	प्रधान सहायक	देहरादून
164	श्री कुलदीप सिंह नेगी	प्रधान सहायक	कोटद्वार
165	श्री मुकुल कन्नौजिया	प्रधान सहायक	देहरादून
166	श्री यशवीर सिंह विष्ट	प्रधान सहायक	देहरादून
167	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे	प्रधान सहायक	पिथौरागढ़
168	श्री अनिमेश अग्रवाल	प्रधान सहायक	हरिद्वार

169	श्री प्रदीप सिंह	प्रधान सहायक	देहरादून
170	श्री राजीव शर्मा	प्रधान सहायक	ऋषिकेश
171	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	प्रधान सहायक	काशीपुर
172	श्री फहीम अहमद	प्रधान सहायक	देहरादून
173	श्री नरेश चन्द्र पत्त	प्रधान सहायक	देहरादून
174	श्री यतिन तिवारी	वरिष्ठ सहायक	बागेश्वर
175	श्री संजय पुण्डीर	वरिष्ठ सहायक	नारसन
176	श्री संजय तिवारी	वरिष्ठ सहायक	हरिद्वार
177	श्री विनोद चमोली	वरिष्ठ सहायक	पिथौरागढ़
178	श्री अनिल सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	पिथौरागढ़
179	श्री रोहित मेलकानी	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
180	श्रीमती गंगोत्री गुंज्याल	वरिष्ठ सहायक	देहरादून
181	श्री खट्टी बलभद्र जोशी	वरिष्ठ सहायक	पुलभट्टा
182	श्री अजय नौडियाल	वरिष्ठ सहायक	कोटद्वार
183	श्री ललित मठपाल	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
184	श्री आशोष मोहन पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
185	श्री प्रदीप मन्द्रवाल	वरिष्ठ सहायक	देहरादून
186	कु० ज्योति बडोला	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
187	श्री नरेन्द्र मियां	वरिष्ठ सहायक	देहरादून
188	श्री राजेन्द्र बेहरा	वरिष्ठ सहायक	हरिद्वार
189	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	वरिष्ठ सहायक	टनकपुर
190	श्री जगदीश चन्द्र भट्ट	वरिष्ठ सहायक	टनकपुर
191	श्री नवनीत जोशी	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
192	श्रीमती पूजा खुल्बे	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
193	श्री बृजमोहन	वरिष्ठ सहायक	देहरादून
194	श्री हरिन्दर बाफिला	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
195	श्री निश्चय जोशी	वरिष्ठ सहायक	बागेश्वर
196	श्री प्रदीप कण्डारी	वरिष्ठ सहायक	चिडियापुर
197	श्री अमित कुमार गुप्ता	वरिष्ठ सहायक	आशारोड़ी
198	श्री खेम सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
199	श्री पवन भट्ट	वरिष्ठ सहायक	कर्णप्रयाग
200	श्री गोकुल सिंह	वरिष्ठ सहायक	पुलभट्टा
201	श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	चिडियापुर
202	श्री त्यागेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	भगवानपुर
203	श्री शेलेन्द्र सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	कुल्हाल
204	श्री मनोज सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	कोटद्वार
205	श्री मनीष पुरोहित	वरिष्ठ सहायक	कोटद्वार
206	श्रीमती सरिता बहुगुणा	वरिष्ठ सहायक	देहरादून
207	श्री नवीन भट्ट	वरिष्ठ सहायक	टनकपुर

208	श्री विजेन्द्र राणा	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
209	श्री अनूप लिंगवाल	वरिष्ठ सहायक	कर्णप्रयाग
210	कु0 नीतू सक्सेना	वरिष्ठ सहायक	उधमसिंहनगर
211	मो0 आसिफ	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
212	श्री प्यार दास वर्मा	वरिष्ठ सहायक	कुल्हाल
213	श्री गजपाल सिंह	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
214	श्रीमती मीरा रावत	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
215	श्री अमित कन्नौजिया	वरिष्ठ सहायक	चिड़ियापुर
216	श्री जावेद अख्तार	वरिष्ठ सहायक	देहरादून
217	श्री राम सिंह पिंगल	वरिष्ठ सहायक	उधमसिंहनगर
218	श्री महमूद	वरिष्ठ सहायक	यिकासनगर
219	श्री विनय राणा	वरिष्ठ सहायक	ऋषिकेश
220	श्री ललित मोहन आर्य	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
221	श्री सूरजपाल	वरिष्ठ सहायक	भगवानपुर
222	श्री अनिल भारती	वरिष्ठ सहायक	टिहरी
223	श्री हरीश चन्द्र	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
224	श्री अमित राज	वरिष्ठ सहायक	टनकपुर
225	श्री कमल प्रसाद गौड	वरिष्ठ सहायक	ऋषिकेश
226	श्री प्रकाश नाथ	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
227	श्री जनवीर सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	ऋषिकेश
228	श्री नरेन्द्र सिंह महिपाल	वरिष्ठ सहायक	दौराहा
229	श्री विनीत कुमार	वरिष्ठ सहायक	हरिद्वार
230	श्री असलम अली	वरिष्ठ सहायक	यिकासनगर
231	श्री विनोद कुमार	वरिष्ठ सहायक	उत्तरकाशी
232	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	मूल नारसन ।
233	श्री नवीन कुमार	वरिष्ठ सहायक	यिकासनगर
234	श्री चन्दन प्रकाश	वरिष्ठ सहायक	मझौला
235	श्री मनोज कुमार	वरिष्ठ सहायक	रुद्रप्रयाग
236	श्री चारू चन्द्र	वरिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
237	श्री विनोद निराला	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
238	श्री अमित लिंगवाल	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
239	कु0 सपना रानी	वरिष्ठ सहायक	हरिद्वार
240	श्री प्रवीण नावरिया	वरिष्ठ सहायक	काशीपुर चैक
241	श्री दीपक पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	ऋषिकेश
242	कु0 मनोरमा आर्या	वरिष्ठ सहायक	उधमसिंहनगर
243	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सहायक	कोटद्वार
244	श्री कल्याण सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	कोटद्वार
245	श्री गोविन्द सिंह ढेला	वरिष्ठ सहायक	उधमसिंहनगर

246	सुमनलता नैथानी	वरिष्ठ सहायक	हरिद्वार
247	श्री अनिल सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
248	श्री भूषेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
249	श्री धनवीर दनोसी	वरिष्ठ सहायक	पौड़ी
250	श्री मो ० अकरम	वरिष्ठ सहायक	कोडिया
251	श्री आशीष भण्डारी	वरिष्ठ सहायक	रुद्रप्रयाग
252	श्री सचिन कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-2	अल्मोड़ा
253	श्री अखिलेश कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-2	हल्द्वानी
254	श्री दीपक कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-2	देहरादून
255	श्री अनिल कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-2	पौड़ी
256	श्री कौस्तुभानन्द पन्त	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
257	श्री सुरेन्द्र दत्त खण्डूरी	कनिष्ठ सहायक	देहरादून
258	श्री कपिल सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	देहरादून
259	श्री विमल सनवाल	कनिष्ठ सहायक	उधमसिंहनगर
260	श्री कृष्ण चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	देहरादून
261	श्री भुवनेश गुसाई	कनिष्ठ सहायक	उत्तरकाशी
262	श्रीमती सरिता देवी	कनिष्ठ सहायक	पौड़ी
263	श्री विक्रम सिंह	कनिष्ठ सहायक	पौड़ी
264	श्रीमती अंजनी नपलच्याल	कनिष्ठ सहायक	पिथौरागढ़
265	श्री राकेश नेगी	कनिष्ठ सहायक	कर्णप्रयाग
266	श्री प्रेम सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
267	श्री राकेश गंगोला	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
268	श्री चन्द्र प्रकाश	कनिष्ठ सहायक	बागेश्वर
269	श्री बलवन्त सिंह	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
270	श्री वसीम अहमद	कनिष्ठ सहायक	अल्मोड़ा
271	श्री सुधीर रमोला	कनिष्ठ सहायक	पौड़ी
272	श्री राकेश बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	पौड़ी
273	श्रीमती यशोदा बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	रुद्रप्रयाग
274	श्रीमती कल्पना भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
275	श्री हेम चन्द्र आर्य	कनिष्ठ सहायक	टनकपुर
276	श्री चंदन सिंह मेहरा	कनिष्ठ सहायक	अल्मोड़ा
277	श्री राहुल	कनिष्ठ सहायक	उत्तरकाशी
278	श्री मनोज कुमार मिश्रा	कनिष्ठ सहायक	अल्मोड़ा
279	श्री अतुल नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	कर्णप्रयाग
280	श्री जयपाल सिंह राणा	कनिष्ठ सहायक	काशीपुर
281	श्रीमती कविता पन्त	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
282	श्री तारा दत्त खोलिया	कनिष्ठ सहायक	बागेश्वर
283	श्री रवीन्द्र कुमार आर्य	कनिष्ठ सहायक	रुद्रपुर चैक
284	श्री राजकुमार साहनी	कनिष्ठ सहायक	रामनगर
285	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	कोटद्वार
286	श्रीमती रशिम नेगी	कनिष्ठ सहायक	रुद्रप्रयाग
287	श्री गिरीजा शंकर पाण्डे	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
288	श्री कपिल उनियाल	कनिष्ठ सहायक	उत्तरकाशी
289	श्री रवि कुमार-प्रथम	कनिष्ठ सहायक	उत्तरकाशी
290	श्री चन्द्रपाल	कनिष्ठ सहायक	बागेश्वर
291	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	अल्मोड़ा
292	श्री हिमांशु तड़ागी	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
293	श्री हीरा बल्लभ जोशी	कनिष्ठ सहायक	देहरादून
294	श्री नीतिश मैठाणी	कनिष्ठ सहायक	हरिद्वार

295	श्री इमरान अली	कनिष्ठ सहायक	टिहरी
296	श्री संतोष डबराल	कनिष्ठ सहायक	हरिद्वार
297	राकेश आई.एस मेहता	कनिष्ठ सहायक	उधमसिंहनगर
298	श्री शेखर सैनी	कनिष्ठ सहायक	ऋषिकेश
299	श्री धुव सिंह	कनिष्ठ सहायक	कोटद्वार
300	श्री अरुण कुमार सैनी	कनिष्ठ सहायक	कर्णप्रयाग
301	श्री रोहित कुमार	कनिष्ठ सहायक	टनकपुर
302	श्री आकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	काशीपुर
303	श्री अजय प्रकाश	कनिष्ठ सहायक	टिहरी
304	श्री आकाश कुमार	कनिष्ठ सहायक	रुद्रप्रयाग
305	कु0 बरखा	कनिष्ठ सहायक	ऋषिकेश
306	श्री अजय सिंह	कनिष्ठ सहायक	रुड़की
307	श्री संजय सिंह	कनिष्ठ सहायक	रुड़की
308	कु0 राजेश्वरी	कनिष्ठ सहायक	कर्णप्रयाग
309	कु0 शिवानी मूगरा	कनिष्ठ सहायक	देहरादून
310	श्रीमती दीपा विष्ट	कनिष्ठ सहायक	हल्द्वानी
311	श्री नत्थी लाल भट्ट	प्रवर्तन सुपरवाइजर	ऋषिकेश
312	श्री भगवान सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	उधमसिंहनगर
313	श्री जगदीश जोशी	प्रवर्तन सुपरवाइजर	टनकपुर
314	श्री सुरेश चन्द्र वर्मा	प्रवर्तन सुपरवाइजर	देहरादून
315	श्री विरेन्द्र सिंह टोलिया	प्रवर्तन सुपरवाइजर	नारसन
316	श्री महिपाल सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	पौड़ी
317	श्री जमन सिंह भैसोड़ा	प्रवर्तन सुपरवाइजर	टनकपुर
318	श्री जगत सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	अल्मोड़ा
319	श्री दिलीप सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	पिथौरागढ़
320	बलवन्त सिंह राणा	प्रवर्तन सुपरवाइजर	उधमसिंहनगर
321	आनन्द सिंह बिष्ट	प्रवर्तन सुपरवाइजर	टनकपुर
322	देव सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	हल्द्वानी
323	श्री अर्जुन सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	कोटद्वार
324	श्री रामचन्द्र	प्रवर्तन सुपरवाइजर	हल्द्वानी
325	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रवर्तन सुपरवाइजर	कुल्हाल
326	श्री राकेश थपलियाल	प्रवर्तन सुपरवाइजर	नारसन
327	श्री सन्तोष सेमवाल	प्रवर्तन सुपरवाइजर	नारसन
328	श्री रंजन मजूमदार	प्रवर्तन सुपरवाइजर	नारसन
329	श्री जेटू सिंह	प्रवर्तन सुपरवाइजर	भगवानपुर
330	श्री आनन्द असवाल	प्रवर्तन सुपरवाइजर	नारसन
331	श्री दर्शन सिंह राणा	प्रवर्तन चालक	देहरादून
332	श्री सोहन लाल	प्रवर्तन चालक	पिथौरागढ़
333	श्री धर्मप्रकाश	प्रवर्तन चालक	टिहरी
334	श्री अयोध्या प्रसाद	प्रवर्तन चालक	पौड़ी
335	श्री गोपाल सिंह	प्रवर्तन चालक	उत्तरकाशी
336	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	प्रवर्तन चालक	हरिद्वार
337	श्री महेन्द्र सिंह	प्रवर्तन चालक	पिथौरागढ़
338	श्री संजय कुमार	प्रवर्तन चालक	ऋषिकेश
339	श्री कमल कुमार बंसल	प्रवर्तन चालक	ऋशिकेश
340	श्री पुरन सिंह बिष्ट	प्रवर्तन चालक	हल्द्वानी
341	श्री शिव प्रकाश रावत	प्रवर्तन चालक	हल्द्वानी
342	श्री गिरीश चन्द्र सती	प्रवर्तन चालक	काशीपुर
343	श्री सूर्यप्रकाश चौधरी	प्रवर्तन चालक	हल्द्वानी दल
344	श्री बृजमोहन चन्देल	प्रवर्तन चालक	उधमसिंहनगर
345	श्री इजहारूल हक	प्रवर्तन चालक	हरिद्वार
346	श्री सुशील कुमार	प्रवर्तन चालक	कोटद्वार
347	श्री देव भाशकर	प्रवर्तन चालक	पौड़ी
348	श्री तुलसी चौहान	प्रवर्तन चालक	देहरादून
349	श्री सुरेन्द्र सिंह कडियाल	चालक	देहरादून

350	श्री हरीश सिंह	चालक	अल्मोड़ा
351	श्री दौलत सिंह	चालक	कर्णप्रयाग
352	श्री अंशुल रोथाण	चालक	विकासनगर
353	शंकर लाल	चालक	रामनगर
354	श्री जयचन्द	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया
355	श्री नरेश नेगी	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
356	श्री मुकेश कुमार वर्मा	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
357	श्री अश्वनी चौहान	प्रवर्तन सिपाही	हरिद्वार
358	श्री बारमल	प्रवर्तन सिपाही	विकासनगर दल
359	श्री गोविन्द फर्त्याल	प्रवर्तन सिपाही	हल्द्वानी
360	श्री गोकुल सुप्याल	प्रवर्तन सिपाही	पिथौरागढ़
361	श्री आनन्द रट्टू	प्रवर्तन सिपाही	देहरादून
362	श्री संजय कुमार	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया
363	श्री शुभेंदु सिंह	प्रवर्तन सिपाही	कर्णप्रयाग
364	श्री गिरीश कण्डवाल	प्रवर्तन सिपाही	अल्मोड़ा
365	श्रीमती लता भट्ट	प्रवर्तन सिपाही	हल्द्वानी
366	कु0 लक्ष्मी थापा	प्रवर्तन सिपाही	देहरादून
367	श्री राजेन्द्र सिंह	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर
368	श्री राकेश जोशी	प्रवर्तन सिपाही	आशारोड़ी
369	श्री गणेश चन्द्र	प्रवर्तन सिपाही	हल्द्वानी
370	श्री देवेन्द्र सिंह	प्रवर्तन सिपाही	हल्द्वानी
371	श्री कुलदीप सिंह	प्रवर्तन सिपाही	हरिद्वार
372	श्री दीपक कुमार	प्रवर्तन सिपाही	चिड़ियापुर
373	श्री नवीन नौटियाल	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर चैक
374	श्री सुरेन्द्र पाल राणा	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर चैक
375	श्री सुबोध गैरोला	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
376	श्री अनंतराम रावत	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
377	श्री अनिल कुमार	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
378	श्री भवान सिंह	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
379	श्री अरविन्द सिंह	प्रवर्तन सिपाही	काशीपुर चैक
380	श्री राजेन्द्र प्रसाद	प्रवर्तन सिपाही	टनकपुर
381	श्री शौं सिंह	प्रवर्तन सिपाही	विकासनगर
382	श्री अजीत कुमार	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
383	श्री महेश चन्द्र जोशी	प्रवर्तन सिपाही	दोराहा
384	श्री अनिल कुमार	प्रवर्तन सिपाही	दोराहा
385	श्री विरेन्द्र सिंह	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
386	श्री मनोज सिंह भण्डारी	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
387	श्री विजयपाल	प्रवर्तन सिपाही	पिथौरागढ़
388	श्री पुनीत कुमार नागर	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
389	श्री गुलाब सिंह	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
390	श्री देवेन्द्र गिरी	प्रवर्तन सिपाही	बागेश्वर
391	श्री प्रमोद सिंह	प्रवर्तन सिपाही	कुल्हाल
392	श्री मो0 मुस्सीन	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
393	श्री पुश्कर सिंह नेगी	प्रवर्तन सिपाही	भगवानपुर
394	श्री महेन्द्र सिंह	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर
395	श्री सोनू	प्रवर्तन सिपाही	काशीपुर चैक
396	श्री अरविन्द हयांकी	प्रवर्तन सिपाही	टनकपुर
397	श्री शंकर सिंह पुण्डीर	प्रवर्तन सिपाही	काशीपुर
398	श्री नीरज	प्रवर्तन सिपाही	रुड़की
399	श्री दीपक नौटियाल	प्रवर्तन सिपाही	देहरादून
400	श्री मुख्तार अब्बास	प्रवर्तन सिपाही	काशीपुर चैक
401	श्री पवन सिंह	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर
402	श्री मोहर सिंह	प्रवर्तन सिपाही	गोर्खनपुर
403	श्री कुशाल सिंह बिष्ट	प्रवर्तन सिपाही	देहरादून, दल
404	श्री दिनेश केशवटे	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया

405	श्री विरेन्द्र कुमार जोशी	प्रवर्तन सिपाही	अल्मोड़ा
406	श्री विजेन्द्र प्रसाद	प्रवर्तन सिपाही	ऋषिकेश
407	श्री हरीश मेहरा	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
408	श्री अर्जुन सिंह राणा	प्रवर्तन सिपाही	आशारोड़ी
409	श्री नवीन गोस्वामी	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया
410	श्री अनिल कुमार सिंह	प्रवर्तन सिपाही	हरिद्वार
411	श्री माया राम	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया
412	श्री अनिल कुमार कार्की	प्रवर्तन सिपाही	बागेश्वर
413	श्री संदीप कुमार	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया
414	श्री प्रेमपाल	प्रवर्तन सिपाही	कौड़िया
415	श्री मो० इरशाद	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
416	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	प्रवर्तन सिपाही	भगवानपुर
417	श्री मनमोहन सिंह	प्रवर्तन सिपाही	चिड़ियापुर
418	श्री योगेश बिष्ट	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर चैक
419	श्री रविन्द्र सिंह	प्रवर्तन सिपाही	काशीपुर चैक
420	श्री संदीप कुमार	प्रवर्तन सिपाही	भगवानपुर
421	श्री तिरमल सिंह	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
422	श्री प्रमोद कुमार	प्रवर्तन सिपाही	विकासनगर दल
423	श्री कुन्दन सिंह	प्रवर्तन सिपाही	चिड़ियापुर
424	श्री अरविन्द भरत सिंह	प्रवर्तन सिपाही	मझौला
425	श्री राजीव तिवारी	प्रवर्तन सिपाही	टनकपुर
426	श्री योगेश चन्द्र जोशी	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रपुर चैक
427	श्री प्रमोद कुमार	प्रवर्तन सिपाही	आशारोड़ी
428	श्री विक्रम सिंह	प्रवर्तन सिपाही	कुल्हाल
429	श्री पंपल कुमार	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
430	श्री भुपेन्द्र कुमार	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
431	श्री भगत सिंह	प्रवर्तन सिपाही	कोटद्वार
432	श्री शशीकान्त तेंगोवाल	प्रवर्तन सिपाही	चिड़ियापुर
433	श्री सुशील कुमार	प्रवर्तन सिपाही	ऋषिकेश
434	श्री गणेश प्रसाद	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रप्रयाग
435	श्री दिवान सिंह पंवार	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
436	श्री शिवकुमार बहुगुणा	प्रवर्तन सिपाही	पिथौरागढ़
437	श्री रणधीर सिंह	प्रवर्तन सिपाही	हरिद्वार
438	श्री प्रबीन्द्र लाल	प्रवर्तन सिपाही	कोटद्वार
439	श्री आदर्श कुमार	प्रवर्तन सिपाही	ऋषिकेश
440	श्री कृष्ण अन्तिवाल	प्रवर्तन सिपाही	पौड़ी
441	श्री कपिल प्रसाद	प्रवर्तन सिपाही	देहरादून
442	श्री ललित मोहकण्डारी	प्रवर्तन सिपाही	चिड़ियापुर
443	श्री नवीन कुमार	प्रवर्तन सिपाही	काशीपुर चैक
444	श्री नीरज कुमार	प्रवर्तन सिपाही	गोवर्धनपुर
445	श्री सुमित कुमार	प्रवर्तन सिपाही	भगवानपुर
446	श्री अरुण कुमार	प्रवर्तन सिपाही	गोबर्द्धनपुर
447	श्री आशीष नैनवाल	प्रवर्तन सिपाही	पुलभट्टा
448	श्री नवीन सिंह	प्रवर्तन सिपाही	चिड़ियापुर
449	श्री चन्दन सिंह सुप्याल	प्रवर्तन सिपाही	अल्मोड़ा
450	श्री गोधन सिंह बिष्ट	प्रवर्तन सिपाही	बागेश्वर
451	श्री कुलदीप सिंह नेगी	प्रवर्तन सिपाही	हरिद्वार
452	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	प्रवर्तन सिपाही	अल्मोड़ा
453	श्री चन्दन सिंह ढैला	प्रवर्तन सिपाही	मझौला
454	श्री प्रदीप कुमार	प्रवर्तन सिपाही	नारसन
455	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	प्रवर्तन सिपाही	टिहरी
456	श्री सुनील कोटनाला	प्रवर्तन सिपाही	ऋषिकेश
457	श्री अश्वनी कुमार	प्रवर्तन सिपाही	हरिद्वार
458	श्री लक्ष्मण भण्डारी	प्रवर्तन सिपाही	पौड़ी
459	श्री अजय सिंह	प्रवर्तन सिपाही	आशारोड़ी

460	श्री प्रकाश सेमवाल	प्रवर्तन सिपाही	देहरादून
461	श्री नवरत्न सिंह	प्रवर्तन सिपाही	पौड़ी
462	श्री नन्दन सिंह	प्रवर्तन सिपाही	उधमसिंहनगर
463	श्री जयप्रकाश	प्रवर्तन सिपाही	कर्णप्रयाग
464	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	प्रवर्तन सिपाही	रुद्रप्रयाग
465	श्री अमोद प्रकाश	प्रवर्तन सिपाही	पौड़ी
466	श्री ओमप्रकाश	अनुसेवक	हल्द्वानी
467	श्री नरेन्द्र सिंह	अनुसेवक	हल्द्वानी
468	श्रीमती विमला मेहरा	अनुसेवक	हल्द्वानी
469	श्रीमती विमला रोतैला	अनुसेवक	हल्द्वानी
470	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	अनुसेवक	हल्द्वानी
471	श्रीमती ममता पन्त	अनुसेवक	हल्द्वानी
472	श्रीमती पुष्पा देवी	अनुसेवक	उधमसिंहनगर
473	श्री भूपेन्द्र सिंह	अनुसेवक	टनकपुर
474	श्री गाविन्द गुंज्याल	अनुसेवक	अल्मोड़ा
475	श्री भुवन चन्द्र मिश्रा	अनुसेवक	बागेश्वर
476	श्रीमती अंजू देवी	अनुसेवक	पिथौरागढ़
477	श्रीमती देवेष्वरी भण्डारी	अनुसेवक	देहरादून
478	श्री भगवती थपलियाल	अनुसेवक	देहरादून
479	श्री गजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	देहरादून
480	श्री गोपाल कप्प	अनुसेवक	देहरादून
481	श्री प्रीतम सिंह	अनुसेवक	देहरादून
482	श्री जगदीश गर्वाल	अनुसेवक	हरिद्वार
483	श्री सुरेश कुमार सिंघल	अनुसेवक	हरिद्वार
484	श्री मुन्नालाल	अनुसेवक	ऋषिकेश
485	श्री भरत सिंह नेगी	अनुसेवक	टिहरी
486	श्री प्रदीप सिंह सजवाण	अनुसेवक	पौड़ी
487	श्री किशोर बहुगुणा	अनुसेवक	कर्णप्रयाग
488	श्री जशोदा लिंगवाल	अनुसेवक	कोटद्वार
489	श्रीमती आशा वर्मा	अनुसेवक	देहरादून
490	श्री रामगोपाल	अनुसेवक	ऋषिकेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा
प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण
की पद्धति ।
(मई 2018 तक संशोधित)

उत्तराखण्ड शासन
वित (वे०आ०—सा०नि०)अनुभाग—७
संख्या: २९९ / XXVII(7)५०(१६) / २०१६
देहरादून: दिनांक: ३० दिसम्बर, २०१६

अधिसूचना संख्या—२९९ / XXVII(7)५०(१६) / २०१६ दिनांक २८ दिसम्बर, २०१६ द्वारा प्रख्यापित
 “उत्तराखण्ड सरकारी सेवकर वेतन नियम, २०१६” दिनांक ०१.०६.२०१६ से प्रभावी।

अनुसूची—१
वेतन मैट्रिक्स

वेतन बँड	५२००—२०२००					९३००—३४८००				
	ग्रेड वेतन	१८००	१९००	२०००	२४००	२८००	४२००	४८००	४८००	५४००
लेवल	१	२	३	४	५	६	७	८	९	
१	१८०००	१९९००	२१७००	२५५००	२९२००	३५४००	४४९००	४७६००	५३१००	
२	१८५००	२०५००	२२४००	२६३००	३०१००	३६५००	४६२००	४९०००	५४७००	
३	१९१००	२११००	२३१००	२७१००	३१०००	३७६००	४७६००	५०५००	५६३००	
४	१९७००	२१७००	२३८००	२७९००	३१९००	३८७००	४९०००	५२०००	५८०००	
५	२०३००	२२४००	२४५००	२८७००	३२९००	३९९००	५०५००	५३६००	५९७००	
६	२०९००	२३१००	२५२००	२९६००	३३९००	४११००	५२०००	५५२००	६१५००	
७	२१५००	२३८००	२६०००	३०५००	३४९००	४२३००	५३६००	५६९००	६३३००	
८	२२१००	२४५००	२६८००	४१४००	३५९००	४३६००	५५२००	५८६००	६५२००	
९	२२८००	२५२००	२७६००	३२३००	३७०००	४४९००	५६९००	६०४००	६७२००	
१०	२३५००	२६०००	२८४००	३३३००	३८१००	४६२००	५८६००	६२२००	६९२००	
११	२४२००	२६८००	२९३००	३४३००	३९२००	४७६००	६०४००	६४१००	७१३००	
१२	२४९००	२७६००	३०२००	३५३००	४०४००	४९०००	६२२००	६६०००	७३४००	
१३	२५६००	२८४००	३११००	३६४००	४१६००	५०५००	६४१००	६८०००	७५६००	
१४	२६४००	२९३००	३२०००	३७५००	४२८००	५२०००	६६०००	७००००	७७९००	
१५	२७२००	३०२००	३३०००	३८६००	४४१००	५३६००	६८०००	७२१००	८०२००	
१६	२८०००	३११००	३४०००	३९८००	४५४००	५५२००	७००००	७४३००	८२६००	
१७	२८८००	३२०००	३५०००	४१०००	४६८००	५६९००	७२१००	७६५००	८५१००	
१८	२९७००	३३०००	३६१००	४२२००	४८२००	५८६००	७४३००	७८८००	८७७००	
१९	३०८००	३४०००	३७२००	४३५००	४९६००	६०४००	७६५००	८१२००	९०३००	
२०	३१५००	३५०००	३८३००	४४८००	५११००	६२२००	७८८००	८३६००	९३०००	
२१	३२४००	३६१००	३९४००	४६१००	५२६००	६४१००	८१२००	८६१००	९५८००	
२२	३३४००	३७२००	४०६००	४७५००	५४२००	६६०००	८३६००	८८७००	९८७००	
२३	३४४००	३८३००	४१८००	४८९००	५५८००	६८०००	८६१००	९१४००	१०१७००	
२४	३५४००	३९४००	४३१००	५०४००	५७५००	७००००	८८७००	९४१००	१०४८००	
२५	३६५००	४०६००	४४४००	५१९००	५९२००	७२१००	९१४००	९६९००	१०७९००	
२६	३७६००	४१८००	४५७००	५३५००	६१०००	७४३००	९४१००	९९८००	११११००	
२७	३८७००	४३१००	४७१००	५५१००	६२८००	७६५००	९६९००	१०२८००	११४४००	
२८	३९९००	४४४००	४८५००	५६८००	६४७००	७८८००	९९८००	१०५९००	११७८००	
२९	४११००	४५७००	५००००	५८५००	६६६००	८१२००	१०२८००	१०९१००	१२१३००	
३०	४२३००	४७१००	५१५००	६०३००	६८६००	८३६००	१०५९००	११२४००	१२४९००	
३१	४३६००	४८५००	५३०००	६२१००	७०७००	८६१००	१०९१००	११५८००	१२८६००	
३२	४४९००	५००००	५४६००	६४०००	७२८००	८८७००	११२४००	११९३००	१३२५००	
३३	४६२००	५१५००	५६२००	६५९००	७५०००	९१४००	११५८००	१२२९००	१३६५००	
३४	४७६००	५३०००	५७९००	६७९००	७७३००	९४१००	११९३००	१२६६००	१४०६००	
३५	४९०००	५४६००	५९६००	६९९००	७९६००	९६९००	१२२९००	१३०४००	१४४८००	
३६	५०५००	५६२००	६१४००	७२०००	८२०००	९९८००	१२६६००	१३४३००	१४९१००	
३७	५२०००	५७९००	६३२००	७४२००	८४५००	१०२८००	१३०४००	१३८३००	१५३६००	
३८	५३६००	५९६००	६५१००	७६४००	८७०००	१०५९००	१३४३००	१४२४००	१५८२००	

39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800
15800—39100			37400—67000			67000— 79000		80000	
5400	6600	7600	8700	8900	10000	—	—	—	
10	11	12	13	13	15	16	16	17	
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	225000		
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700			
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300			
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100			
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
71100	85800	99800	150200	166100	182700				
73200	88400	102800	154700	171100	188200				
75400	91100	105800	159300	176200	193800				
77700	93800	109100	164100	181500	199600				
80000	96600	112400	169000	186900	205600				
82400	99500	115800	174100	192500	211800				
84900	102500	119300	179300	198300	218200				
87400	105600	122900	184700	204200					
90000	108800	126600	190200	210300					
92700	112100	130400	195900	216600					
95500	115500	134300	201800						
98400	119000	138300	207900						
101400	122600	142400	214100						
104400	126300	146700							
107500	130100	151100							
110700	134000	155600							
114000	138000	160300							
117400	142100	165100							
120900	146400	170100							
124500	150800	175200							
128200	155300	180500							
132000	160000	185900							
136000	164800	191500							
140100	169700	197200							
144300	174800	203100							
148600	180000	209200							
153100	185400								
157700	191000								
162400	196700								
167300	202600								
172300	208700								
177500									

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—11

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।
(मई 2018 तक संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या—11

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।

बजट आवंटनः— अनुदान संख्या—24

लेखाशीर्षक— 3055— सड़क परिवहन

5055— सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

7077— सड़क परिवहन के लिए कर्ज

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रम संख्या	मद	वर्ष 2017–18 बजट प्राविधानित धनराशि	आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि (माह जनवरी 2018 तक)
(अ)	राजस्व	345651	298501	246165
(ब)	पूँजीगत	1511302	1120272	1086272
योग आयोजनेत्तर + आयोजनागत		1856953	1418773	1332437

वर्ष 2017–18 की वित्तीय स्वीकृतियां एवं प्रगति

अनुदान संख्या—24

लेखाशीषक— 3055— सड़क परिवहन

5055— सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

7077— सड़क परिवहन के लिए कर्ज

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र० सं०	लेखाशीषक	अनु० संख्या	प्राविधानित बजट	स्वीकृत बजट	कुल व्यय
1	3055 00 001 03— परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान	24	286501	286501	234165
2	3055 00 001 07— राज्य सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अधिष्ठान	24	1250	0	0
3	3055 00 001 09 — उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष के कियान्वयन हेतु गठित समिति को अनुदान	24	30000	0	0
4	3055 00 190 03— परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	24	2000	2000	2000
5	3055 00 190 06— उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं की निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति	24	20000	10000	10000
6	3055 00 190 07— परिवहन निगम के कार्मिकों को वी0आर0एस0 हेतु अनुदान	24	400	0	0
7	3055 00 190 08— उत्तराखण्ड के वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में छूट	24	5000	0	0
8	3055 00 190 09— मुख्यमंत्री व्यवसायिक चालक बीमा योजना	24	500	0	0
9	5055 00 050 03 00 परिवहन आयुक्त/जनपदीय कार्यालयों के अनावसीय भवन भूमि क्रय	24	9400	0	0
10	5055 00 050 04 00 देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	24	8000	8000	8000
11	5055 00 050 05 00 किंच्छा खटीमा बड़ी रेललाईन का निर्माण	24	1	0	0
12	5055 00 050 06 00 मुजफ्फरनगर—रुड़की रेल लाईन निर्माण	24	1200000	1000000	1000000
13	5055 00 050 07 00 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना	24	1900	1500	1500

14	5055 00 050 08 00 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्य/भवन निर्माण	24	1000	0	0
15	5055 00 050 09 00 सिमुलेटर का क्य मशीन और सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	24	5000	0	0
16	5055 00 050 10 00 हल्द्वानी में आई0एस0बी0टी0 की स्थापना	24	80000	0	0
17	5055 00 050 13 00 रामनगर मे आई0एस0बी0टी0 की स्थापना	24	1000	0	0
18	5055 00 050 14 00 अल्मोड़ा में आई0एस0बी0टी0 की स्थापना	24	20000	20000	0
19	5055 00 050 15 00 बस अड्डो का निर्माण	24	20000	6000	0
20	5055 00 050 16 00 नरेन्द्र नगर मे बस अड्डे का निर्माण	24	20000	0	0
21	5055 00 190 01 00 उत्तराखण्ड परिवहन निगम मे अंश पूंजी	24	1	0	0
22	5055 00 190 03 00 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्डों के निर्माण हेतु अनुदान (सितारगंज / बागेश्वर बस स्टैण्ड)	24	20000	6000	6000
23	5055 00 800 03 00 चालकों के प्रशिक्षण हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स का निर्माण	24	15000	0	0
24	7055 00 101 05 00 बसों के क्य हेतु ऋण के ब्याज हेतु भुगतान	24	100000	65439	65439
25	5055 00 800 03 00 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण	30	5000	5000	5000
26	5055 00 190 03 00 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों/बस डिपो के निर्माण (बाजपुर बस स्टैण्ड)	30	3000	0	0
27	5055 00 800 03 00 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण	31	1000	0	0
28	5055 00 190 03 00 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों/बस डिपो के निर्माण	31	1000	333	333
योग			1856953	1418773	1332437

**वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित
बजट प्राविधान**

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राजस्व/पूँजीगत मद में प्रस्तावित बजट प्राविधान—

अनुदान संख्या—24

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र० सं०	मानक मद का नाम	धनराशि (हजार रूपये में)
1	परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान	331141.00
2	उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अधिष्ठान	1300.00
3	उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति को अनुदान	70000.00
4	परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	150000.00
5	उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं की निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति	20000.00
6	उत्तराखण्ड के वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में छूट	5000.00
7	परिवहन आयुक्त/जनपदीय कार्यालयों के अनावसीय भवन भूमि क्रय	9400.00
8	देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	7729.00
9	किंच्छा खटीमा बड़ी रेललाईन का निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रतिकर	1.00
10	मुजफ्फरनगर—रुड़की रेल लाईन निर्माण	1500000.00
11	ऋषिकेश, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना	40000.00
12	हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण	1000.00
13	चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु सिमुलेटर का क्रय	5000.00
14	चालकों के प्रशिक्षण हेतु ड्राइविंग ट्रैक्स का निर्माण	15000.00
15	हल्द्वानी में आई०एस०बी०टी० की स्थापना	60000.00
16	रामनगर में आई०एस०बी०टी० की स्थापना	20000.00
17	अल्मोड़ा में आई०एस०बी०टी० की स्थापना	20000.00
18	बस अड्डों का निर्माण	40000.00
19	नरेन्द्र नगर में बस अड्डे का निर्माण	10000.00
20	उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अंश पूँजी निवेश/ऋण	1.00
21	बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज हेतु अनुदान	100000.00
22	चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों	3000.00

	को नि: शुल्क प्रशिक्षण (SCSP)	
23	उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों/बस डिपो के निर्माण (SCSP)	10000.00
24	चालक प्रशक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नि: शुल्क प्रशिक्षण (TSP) 1000.00	1000.00
25	उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्डों के निर्माण हेतु अनुदान (TSP)	1000.00
कुल योग—		2420572.00

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के
क्रियान्वयन की रीति ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-12

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति ।

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 (यथा उत्तराखण्ड में लागू), उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचनाओं/निर्देशों को लागू करते हुये राजस्व वसूली, प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा कोई सब्सिडी कार्यक्रम संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

-XXXXX-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं
के सम्बन्ध में विवरण ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-13

परिवहन आयुक्ता, उत्तराखण्ड ।

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विवरण ।

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989, उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 एवं उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत निम्नलिखित छूट प्रदान की गयी हैः—

चालक लाईसेन्स सम्बन्धी

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत मोटर यानों के ड्राइवरों को अनुज्ञापन के अन्तर्गत निम्न प्रकार छूट उपलब्ध है ;

- (1) ऐसे व्यक्ति जो ड्राइवर के रूप में सरकारी नियोजन में हो या सरकारी नियोजन में हो और ड्राइवर पद के प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया हो, चालन अनुज्ञाप्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञाप्ति या उनका नवीनीकरण या चालन हेतु क्षमता परीक्षा फीस से छूट है ।
- (2) रोड रोलर के ड्राइवरों को चालन अनुज्ञाप्ति से छूट प्रदान की गयी है ।

वाहनों के पंजीयन सम्बन्धी

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 50 एवं 51 के अन्तर्गत मोटर यानों को रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत निम्न प्रकार की छूट उपलब्ध है ।

- (1) सभी रोड रोलरों को मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त है ।
- (2) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से (Solely) प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रेलर और लोकोमोटिव को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है ।

- (3) पूर्त संस्थाओं (Charitable institute) के स्वामीत्वाधीन और केवल बीमारो या धायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से (Solely) प्रयोग किये जाने वाले मोटर एम्बुलेन्स को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।
- (4) ऐसे मोटर यान जो सरकार के स्वामित्वाधीन हो या तस्समय सरकार के सेवा में है को रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है।

परमिट सम्बन्धी

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 की उपधारा (12) के अन्तर्गत निम्न प्रकार के परिवहन यानों को परमिट की आवश्यकता से छूट उपलब्ध हैः—

- (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का परिवहन यान जो ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई सम्बन्ध न हो को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (2) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन हो और जिसका उपयोग केवल सड़क साफ करने, सड़क पर जल छिड़कने या सफायी के लिए किया जाता है को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (3) पुलिस, दमकल या रोगी वाहन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाने वाला परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (4) शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (5) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी बिगड़े हुए यान का अनुकरण करने के लिए या किसी बिगड़े हुए यान से माल को निरापद स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (6) अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत कोई परिवहन यान जब वह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली हो, किसी स्थान को जा रहा हो, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।

- (7) कोई ऐसा परिवहन यान जिसे बाढ़, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर बाधा या अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण किसी अन्य मार्ग पर, भले ही वह राज्य के अन्दर हो या बाहर, इस दृष्टि से भेज जाना आवश्यक है कि वह गंतव्य स्थान तक पहुँच जाये को, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (8) कोई माल यान जिसका सकल यान भार 3000 किंग्रा० से अधिक न हो को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।
- (9) कोई परिवहन यान जो अवक्रय (Hire purchase), पट्टा (Lease) या आडमान करार (Hypothecation agreement) के अधीन है और जिसे स्वामी के व्यतिक्रम (Defult) के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार दिया है, कब्जे में ले लिया गया है, जिससे कि ऐसा मोटर यान अपने गंतव्य तक पहुँच सके, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (10) कोई ऐसा परिवहन यान जब वह खाली हो और मरम्मत के प्रयोजन के लिए जा रहा है, को परमिट की आवश्यकता से छूट है।
- (11) किसी विनिर्माता द्वारा विज्ञापन, प्रदर्शन, रोड टेस्ट इन्डूरेन्स टेस्ट, टेस्ट ग्राउण्ड, निर्यात के उद्देश्य से बनाये और प्रयोग में लाये जाने वाले यान को केन्द्र सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) की खण्ड (छ) के अधीन परमिट की आवश्यक से छूट प्रदान की गयी है।
- (12) किसी दुर्घटना, बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा या किसी आकस्मिक परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री या अन्य सहायता पूर्ति (Relief Supplies) को ले जाने वाले या ऐसे व्यक्तियों और उनके सामान को ले जाने वाले परिवहन यान को केन्द्र सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 की उपधारा 3 के खण्ड (ठ) के अधीन परमिट की आवश्यकता से छूट प्रदान की गयी है।

- (13) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 2क मे उल्लेखित ई-रिक्षा को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 78 के अधीन निम्नलिखित के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले परिवहन यान को परमिट से छूट प्राप्त है :-

- (1) अस्पृश्यता हटाये जाने और अनुसूचित जाति कल्याण कार्य के निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनन्य रूप (Solely) से प्रयुक्त परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।
- (2) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संगठित खादी और ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित विकास कार्यक्रम के लिए अनन्य रूप (Solely) से प्रयुक्त परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।
- (3) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित अत्यन्त सेफिस्टिकेटैड कम्पोनेन्ट्स के प्रदर्शन के लिए इलैक्ट्रानिक्स प्रदर्शन गाड़ी को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।
- (4) महिला एवं बाल कल्याण कार्य के निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा अनन्य रूप (Solely) से प्रयुक्त परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है।

कर भुगतान से छूट सम्बन्धी

1— उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 28 के अधीन निम्नलिखित वर्गों के मोटर यानों को कर के भुगतान से पूर्णतया छूट प्राप्त है।

- (1) मोटर यान (भाडे पर सामान तथा यात्रियों को ले जाने वाले से भिन्न), जो कि भारत सरकार या भारत के किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में हो और उनके द्वारा या उनकी ओर से अनन्य रूप से उपयोग में लाये जाते हैं।
- (2) मोटर यान (भाडे पर समान तथा यात्रियों को ले जाने वाले से भिन्न) जो उत्तराखण्ड में स्थित किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हों और उनके द्वारा या उनकी ओर से (अनन्य रूप) से उपयोग में लाये जाते हैं;

- (3) मोटर यान जिनका उपयोग आग बुझाने के लिए आशयित हो और अनन्य रूप से इसी उपयोग में लाये जा है;
- (4) एम्बुलेंस नामक मोटर यान जिनका उपयोग रोगी को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए आशयित हो और अनन्य रूप से इसी उपयोग में लाये रहे हैं;
- (5) पशुओं पर निर्दयता रोकने के लिए और एकमात्र बीमार पशुओं के प्रवहण के लिए उपयोग में लाये जा रहे समिति के स्वामित्व वाले मोटर यान ,
- (6) ऑक्जीलरी फोर्स ऐक्ट, 1920, इंडियन टेरीटोरियल फोर्सेज ऐक्ट, 1920 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कराधान से दी गयी छूट वाले मोटर यान ,
- (7) 'ट्रिप-टायकयू' या कारनेट-डि-पैसेज के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में आयातित या आने के पश्चात तीस दिन से अनधिक अवधि में लिए आ रहे मोटर यान,
- (8) कृषि प्रयोजनों हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त ट्रैक्टर एवं फार्म से बाजार या कारखाने तक जाने वाली सड़क पर मात्र कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर ट्रैलर ;
- (9) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के उपयोग के लिए निर्मित या विशेष रूप से अंगीकृत परिवहन यान से भिन्न यान , जहां ऐसे यान ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में हों और उनके द्वारा निजी एवं वैयक्तिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं ;
- (10) अनन्य रूप से शोकाकुल व्यक्तियों सहित शवों को ले जाने वाले मोटरयान।

3— उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 की धारा 14 के अधीन निम्नलिखित वर्गों के मोटरयानों को परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर से छूट प्राप्त है :—

- (1) भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवाएं, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा० उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान।
- (2) विभिन्न प्रदेशों के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उप सभापति विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद से सम्बन्धित मोटरयान।
- (3) अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनायी गयी मोटरयान।
- (4) मोटर साईकिल और स्कूटर और कृषि प्रयोजन हेतु ड्रैक्टर (जब कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त हो)।
- (5) उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—14

इलैक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-14

परिवहन आयुक्ता, उत्तराखण्ड ।

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें ।

- (1) परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं वैबसाईट पर उपलब्ध हैं। विभागीय वैबसाईट का address निम्नवत् हैः—

<http://transport.uk.gov.in>

उक्त वैबसाईट में निम्नलिखित सूचनाएं अवलोकनीय उपलब्ध हैं :—

- 1— विभाग के शासन/मुख्यालय/संभागीय/उपसंभागीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण ।
- 2— सभी सम्भागीय/उपसंभाग के लिए वाहनों के पंजीयन चिन्ह का विवरण ।
- 3— राज्य में संचालित निजी क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण के मानक एवं प्रदूषण जांच केन्द्रों का विवरण ।
- 4— राज्य में संचालित निजी क्षेत्र के चालक प्रशिक्षण स्कूलों का विवरण ।
- 5— लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन/परमिट के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी, फार्म की सूची व प्रारूप तथा देय फीस का विवरण ।
- 6— मोटरवाहन कर के सम्बन्ध में वाहन वार सूचना एवं कर निर्धारण का विवरण ।
- 7— वाहनों के चालान के सम्बन्ध में निहित अपराधों का विवरण, धाराएं, प्रशमित शुल्क का विवरण ।
- 8— मार्ग संकेत चिन्हों के सम्बन्ध में जानकारी ।
- 9— राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्यों का विवरण ।
- 10— परिवहन विभाग की राज्य की सीमा में स्थित चैक पोस्टों का विवरण (सम्भागवार) मानचित्र सहित ।
- 11— चार धाम यात्रा का संक्षिप्त विवरण ।

- 12— वाहन स्वामियों, चालको एवं यात्रियों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। अर्थात् क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है के सम्बन्ध में जानकारी।
- 13— विभाग से सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचनाएं।
- 14— विभिन्न श्रेणियों की वाहनों पर देय कर की दरों का विस्तृत विवरण।
- 15— उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003।
- 16— उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003।
- 17— वैबसाईट में मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के लिंक भी दिये गये हैं।
- 18— राज्य परिवहन प्राधिकरण अनुभाग द्वारा किये जा रहे समस्त प्रकार के परमिटों का विवरण।
- 19— शासन स्तर पर जारी होने वाले विभागीय शासनादेश भी एन0आई0सी0 के वैबसाईट gov.ua.nic.in पर उपलब्ध है।
- 20— विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित सेवाएं आनलाइन रूप में उपलब्ध करायी जा रही है—
- (1) उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेशों से आने वाली व्यवसायिक वाहनों द्वारा आनलाइन कर भुगतान।
 - (2) राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों (स्टेज कैरेज को छोड़कर) द्वारा आनलाइन कर भुगतान।
 - (3) समस्त परिवहन कार्यालयों में आनलाइन डीलर प्लाइन्ट द्वारा एन्ट्री एवं कर भुगतान
 - (4) वर्ष 2017–18 में 14 सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी 4.0 साप्टवेयर में लाइसेंस सम्बन्धी समस्त प्रकार के आवेदन प्रमाण पत्र, शुल्क भुगतान सम्बन्धी कार्य।
 - (5) आकर्षक पंजीयन नम्बर की आनलाइन बुकिंग/नीलामी
 - (6) ई-चालान योजना
 - (7) 'वाहन 4.0 साप्टवेयर में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस एस एस के माध्यम से वाहन स्वामियों का बकाया राजस्व, फिटनेस की वैधता समाप्ति पर परमिट की वैधता समाप्ति पर, बीमा प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति पर एवं गैर परिवहन यान की पंजीकर वैधता समाप्ति पर सूचना दी जा रही है।

-XXXXX-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को
उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-15

परिवहन आयुक्ता, उत्तराखण्ड ।

**सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध
सुविधाओं की विशिष्टयां ।**

वर्तमान में नागरिकों को उनके द्वारा मांगी गयी सूचनाएं एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के सम्बन्ध में सूचना, मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में विहित प्रक्रिया/प्रावधानों के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में आवेदन करने पर उपलब्ध करायी जाती है। विभाग में अलग से किसी पुस्तकालय/वाचन कक्ष की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं विभागीय वैबसाइट <http://transport.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

-XXXXX-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम
और अन्य विशिष्टियाँ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-16

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

लोक सूचना अधिकारी

क्र० सं०	नाम पदनाम	एस०टी० डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	श्री एस. के. सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त, (प्रशासन) उत्तराखण्ड ।	0135	2608105	—	—	—	कार्यालय परिवहन आयुक्त, कल्हान, सहस्रत्रधारा रोड देहरादून ।

प्रथम अपील अधिकारी (विभागीय)

क्र० सं०	नाम पदनाम	एस० टी० डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती सुनीता सिंह अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।	0135	2608107	—	—	—	कार्यालय परिवहन आयुक्त, कल्हान, सहस्रत्रधारा रोड देहरादून ।

**सम्भागीय एवं उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में नामित सहायक लोक सूचना
अधिकारियों की सूची ।**

1— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, देहरादून)

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एस०टी० डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री अरविन्द पाण्डेय	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून	0135	2743432	—	—	—	105—ए राजपुर रोड, देहरादून ।

2— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, हरिद्वार)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री मनीष तिवारी	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), हरिद्वार	01334	260221	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, कचहरी परिसर रोशनाबाद हरिद्वार।

3— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, ऋषिकेश)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	कु0 अनीता चमोला	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) ऋषिकेश	01335	2430623	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, बाईपास रोड ऋषिकेश।

4— लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग, टिहरी :—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	—	प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी	01376	233623	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, बोराडी, नई टिहरी।

5— लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग, उत्तरकाशी :—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	—	प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी	01374	223860	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, बडेथी, उत्तरकाशी

6— लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग, विकासनगर :—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री सुनील शर्मा	प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन, अधिकारी, विकासनगर	01360	224004	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ढालीपुर, विकासनगर

7— लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग, रुड़की :—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री शैलेश कुमार, तिवारी	सहायक सम्भागीय परिवहन, अधिकारी, रुड़की	01332	226767	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, मोहनपुर, रुड़की

प्रथम अपील अधिकारी (विभागीय)

क्र0 सं0	नाम पदनाम	एस0 टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	0135	2743432	2745077	—		105—ए राजपुर रोड, देहरादून

1— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, पौड़ी)

क्रं0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री द्वारका प्रसाद	प्रभारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी ।	01368	223002	—	—	—	संभागीय परिवहन कार्यालय, निकट कोषागार पौड़ी

2— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, कोटद्वार)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री रावत सिंह	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) कोटद्वार।	01382	229412	—	—	—	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, सिम्मल चौक, कोटद्वार

3— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, कर्णप्रयाग)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	एलिवन रॉक्सी	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) कर्णप्रयाग।	01363	241568	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, कालेश्वर बद्रीनाथ रोड कर्णप्रयाग

4— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, रुद्रप्रयाग)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री मोहित कुमार कोठारी	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) कर्णप्रयाग।	01364	233914	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, गुलाबराय, बद्रीनाथ रोड, रुद्रप्रयाग

प्रथम अपील अधिकारी (विभागीय)

क्र0 सं0	नाम पदनाम	एस0 टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	श्री दिनेश चन्द्र पठोई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी,	01368	223002	—	—	—	संभागीय परिवहन कार्यालय, निकट कोषागार पौड़ी

1— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, हल्द्वानी)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री संदीप वर्मा	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी।	05946	260207	—	—	—	संभागीय परिवहन कार्यालय, कुसुमखेडा हल्द्वानी।

2— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, उधमसिंहनगर)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री नन्द किशोर	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर	05944	247620	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, कचहरी परिसर उधमसिंहनगर।

3— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, टनकपुर)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्रीमती रशिम भट्ट	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर	05943	266498	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत रोड टनकपुर, (चम्पावत)।

4— लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग, काशीपुर

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्रीमती अनिता चन्द	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, काशीपुर	05962	254009	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर रोड काशीपुर

5— लोक सूचना अधिकारी परिवहन विभाग, रामनगर

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री विमल पाण्डेय	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रामनगर	—	—	—	—	—	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, शंकरपुर मूल रामनगर, नैनीताल

प्रथम अपील अधिकारी (विभागीय)

क्र0 सं0	नाम पदनाम	एस0 टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	श्री राजीव मेहरा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी।	05946	260207	—	—	—	संभागीय परिवहन कार्यालय, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।

1— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, अल्मोड़ा)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री आलोक जोशी	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा।	05962	254009	—	—	—	संभागीय परिवहन कार्यालय, लोहिया बाजार, अल्मोड़ा।

2— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, पिथौरागढ़)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	—	प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़।	05964	228222	—	—	—	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, एंचोली, पिथौरागढ़।

3— लोक सूचना अधिकारी (परिवहन विभाग, बागेश्वर)

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	पूजा नयाल	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर	05963	220099	—	—	—	उप संभागीय परिवहन कार्यालय, काण्डा रोड बागेश्वर

प्रथम अपील अधिकारी (विभागीय)

क्र0 सं0	नाम पदनाम	एस0 टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई—मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा।	05962	254009	—	—	—	संभागीय परिवहन कार्यालय, लोहिया बाजार, अल्मोड़ा।

संलग्न अभिलेख :-

- 1—लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित करने विषयक परिवहन अनुभाग उत्तराँचल शासन की आदेश संख्या —876/नौ/308/2005 दिनांक 24—8—2005।
- 2—सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग व टनकपुर में लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/सू0अ0/6—112/2006 दिनांक 16—5—2006।
- 3—सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1034/सू0अ0/6—112/2006 दिनांक 16—5—2006।

-XXXXX-

उत्तरांचल शासन
परिवहन अनुभाग
संख्या 876 / ix / 308 / 2005
देहरादून दिनांक 24 अगस्त, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 एवं धारा 19 में क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं। इन व्यवस्थाओं के अधीन परिवहन विभाग के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु संलग्न प्रारूप के अनुरूप नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इन कार्मिकों को इन कार्यों हेतु अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या— 876 / ix / 308 / 2005 / तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— सचिव, सूचना विभाग उत्तरांचल शासन।
- 2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3— स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4— आयुक्त गढवाल/कुमायूं मण्डल।
- 5— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
- 6— परिवहन आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जी0बी0 औली
संयुक्त सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
**लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का वितरण—**

विभाग का नाम— परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

क्र० सं०	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून	सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय		अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय देहरादून	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) देहरादून सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) हरिद्वार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश		सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून
3	सम्भागीय परिवहन कार्यालय पौड़ी	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) पौड़ी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी कर्णप्रयाग		सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी
4	सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) हल्द्वानी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) उधमसिंहनगर		सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी
5	सम्भागीय परिवहन कार्यालय अल्मोड़ा	सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) अल्मोड़ा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) पिथौरागढ़		सम्भागीय परिवहन अधिकारी अल्मोड़ा

अभ्युक्ति— 1— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, परन्तु जिस सम्भाग में सहा०सम्भागीय परिवहन अधिकारी

(प्रशासन) तैनात नहीं होंगे वहाँ सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ही लोक सूचना अधिकारी तैनात किये जायेंगे।

2— ऋषिकेश, कोटद्वार, कर्णप्रयाग एवं पिथौरागढ़ में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का एक ही पद सृजित है अतः प्रारूप पर (प्रशासन/प्रवर्तन) नहीं दर्शाया गया है।

3— टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टनकपुर (चम्पावत) में यद्यपि कार्यालय सृजन की स्वीकृति हो चुकी है, परन्तु अभी तक कार्यालय संचालित न होने के कारण इन कार्यालयों के सूचना अधिकारियों हेतु नाम सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल
228—मोहित नगर, देहरादून।

संख्या— 1033 / सू0अ0 / 6—112 / 2006

दिनांक 16 मई, 2006

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित शासनादेश संख्या 876 / ix / 308 / 2005 दिनांक 24.08.2005 के क्रम में परिवहन विभाग में पूर्व में नामित लोक सूचना अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे दी गयी सूची के कालम—2 में उल्लिखित लोक प्राधिकारी इकाई के अधीन कालम—3 में उल्लिखित कार्यालयों हेतु कालम—4 में उल्लिखित लोक सूचना अधिकारी एवं कालम—5 में उल्लिखित सहायक लोक सूचना अधिकारी एतदद्वारा नामित किये जाते हैं। जिनके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 19 के अधीन विभागीय अपील अधिकारी कालम—6 में उल्लिखित अधिकारी होंगे।

परिवहन विभाग में पूर्व में नामित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना के अतिरिक्त नामित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की सूची—

क्र० सं0	लोक इकाई	कार्यालय का नाम	लोक अधिकारी	सूचना सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	विभागीय अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6	
1	सम्भागीय परिवहन कार्यालय पौड़ी।	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, रुद्रप्रयाग	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	वरिष्ठ मुख्य सहायक	वरिष्ठ मुख्य सहायक यात्रीकरणीकरण	सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी।	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय टनकपुर	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर	वरिष्ठ यात्रीकरणीकरण	वरिष्ठ यात्रीकरणीकरण	सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तरांचल शासन।
- 2— मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, उत्तरांचल।
- 3— सचिव, सूचना विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4— मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूं मण्डल।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6— समस्त सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल
228—मोहित नगर, देहरादून।

संख्या— 1034 / सू0अ0 / 6—112 / 2006

दिनांक 16 मई, 2006

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित शासनादेश संख्या—876 / ix / 308 / 2005 दिनांक 24.08.2005 के क्रम में परिवहन विभाग में संलग्न सूची के कालम 2 में उल्लिखित कार्यालय एवं कालम 3 में उल्लिखित लोक सूचना अधिकारी के लिये कालम 4 में उल्लिखित सहायक लोक सूचना अधिकारी एतदद्वारा नामित किये जाते हैं।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1— प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन।
2— मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, उत्तरांचल।
3— सचिव, सूचना विभाग, उत्तरांचल शासन।
4— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6— समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी।

एस0 रामास्वामी
परिवहन आयुक्त।

परिवहन विभाग में नामित सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूची ।

क्र०सं	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून ।	सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	सहायक लेखाधिकारी
2	सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय देहरादून ।	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) देहरादून	सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)
3	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हरिद्वार	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) हरिद्वार	वरिष्ठ यात्रीकर अधीक्षक
4	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ऋषिकेश	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश	यात्रीकर अधिकारी
5	सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पौड़ी	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) पौड़ी	वरिष्ठ मुख्य सहायक
6	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कोटद्वार	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार	वरिष्ठ यात्रीकर अधीक्षक
7	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कर्णप्रयाग	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कर्णप्रयाग	यात्रीकर अधिकारी
8	सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) हल्द्वानी	वरिष्ठ यात्रीकर अधीक्षक
9	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय उधमसिंहनगर	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) उधमसिंहनगर	वरिष्ठ यात्रीकर अधीक्षक
10	सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) अल्मोड़ा	वरिष्ठ यात्रीकर अधीक्षक
11	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / (प्रवर्तन) पिथौरागढ़	वरिष्ठ यात्रीकर अधीक्षक

एस० रामास्वामी
परिवहन आयुक्त ।

लोकसूचना अधिकारी

क्र०सं	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	मो० नं०
1	परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।	श्री राजीव कुमार मेहरा	सहायक परिवहन आयुक्त	9411112159
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।	श्री संदीप सैनी	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	7830354847
3	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर	श्री सुनील शर्मा	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9411112163
4	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	श्री आनन्द कुमार जायसवाल	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9917267391
5	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	श्री मनीष तिवारी	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9411112169
6	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, रुडकी	श्री शैलेश तिवारी	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9411112155
7	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	श्री द्वारिका प्रसाद	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9719790890
8	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9411112156
9	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा	श्री विमल पाण्डे	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9358192234
10	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, नई टिहरी	श्री ज्योतिशंकर मिश्रा	परिवहन कर अधिकारी— 1	9410540872
11	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़	श्री नवीन कुमार सिंह	परिवहन कर अधिकारी— 1	9411112152
12	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, रुद्रप्रयाग	श्री पंकज श्रीवास्तव	परिवहन कर अधिकारी— 1	9719076999
13	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर	श्री नंदकिशोर	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9720502762
14	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय,	श्रीमती अनिता चमोला	सहायक सम्भागीय अधिकारी	9411112157

	ऋषिकेश			
15	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर	श्रीमती अनिता चंद	सहायक संभागीय अधिकारी	9458302376
16	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर	श्रीमती रश्मि भट्ट	सहायक संभागीय अधिकारी	9917222944
17	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	श्री संदीप वर्मा	सहायक संभागीय अधिकारी	9837903787
18	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर	श्री विमल पाण्डे	सहायक संभागीय अधिकारी	9358192234
19	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग	श्री पंकज श्रीवास्तव	परिवहन कर अधिकारी— 1	9719076999

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	मो० नं०/फोन नं०
1	श्रीमती सुनीता सिंह	अपर परिवहन आयुक्त	परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड	0135—2608107
2	श्री सुधांशु गर्ग	संभागीय परिवहन अधिकारी	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	9411112166
3	श्री दिनेश चन्द पठोई	संभागीय परिवहन अधिकारी	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	9411112160
4	श्री सनत कुमार सिंह	संभागीय परिवहन अधिकारी	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा	9411112167

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन आयुक्ता, उत्तराखण्ड ।

मैनुअल संख्या—17

महत्वपूर्ण सूचनायें।
(मई 2018 तक संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल संख्या-17

परिवहन आयुक्ता, उत्तराखण्ड ।

महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ ।

मोटरयानों पर लाल एवं नीली बत्ती का प्रयोग :—

1—केन्द्र सरकार की अधिसूचना :—

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 के परन्तुक के खण्ड (3) के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0-52(अ) दिनांक 11-01-2002 द्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहे यान में निम्नानुसार लाल बत्ती का प्रयोग किया जाना अनुमन्य किया गया है।

(क) यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :—

- (1) राष्ट्रपति ;
- (2) उपराष्ट्रपति ;
- (3) प्रधान मंत्री ;
- (4) भूतपूर्व राष्ट्रपति ;
- (5) उपप्रधान मंत्री ;
- (6) भारत का मध्य न्यायमूर्ति ;
- (7) लोक सभा का अध्यक्ष ;
- (8) संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य ;
- (9) उपाध्यक्ष, योजना आयोग ;
- (10) भूतपूर्व प्रधान मंत्री ;
- (11) राज्य सभा और लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता ;
- (12) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ;

(ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :—

- (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ;
 - (2) भारत का नियंत्रक—महालेखा परीक्षक ;
 - (3) उप सभापति, राज्यसभा ;
 - (4) उपाध्यक्ष, लोक सभा ;
 - (5) संघ के राज्य मंत्री ;
 - (6) योजना आयोग के सदस्य ;
 - (7) भारत का महान्यायवादी ;
 - (8) मंत्रिमंडल सचिव ;
 - (9) तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जो पूर्ण जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हों ;
 - (10) संघ के उपमंत्री ;
 - (11) तीनों सेनाओं के स्थानापन अध्यक्ष जो लेफिटनेंट जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हों ;
 - (12) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ;
 - (13) अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ;
 - (14) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ;
 - (15) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
- (ग) कोई यान, जो ऐसे उच्चपदस्थ व्यक्ति को ले जा रहे हो, जो रैंक, प्रासिथति और प्रसुविधाओं में ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्सम्बन्धी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए हकदार होगा। ऐसा यान जो उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा उनकी निजी हैसियत में रैंक समनुदेशित की गई है, उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, समनुदेशित तत्थानी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने का हकदार होगा ।

(घ) यदि कोई यान जिस के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथास्थिति, अपनी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जैसे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्ति और न्यायाधीश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के सभापति, अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्यों आदि के सम्बन्ध में लाल बत्ती के उपयोग पर ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी करेंगे।

2-उत्तरांचल सरकार का शासनादेश :-

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 के परन्तुक के खण्ड (3) के अधीन परिवहन विभाग उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-308/परिःस0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05-02-2001 सपष्टित शासनादेश संख्या-56/परिः/2003 दिनांक 07-02-2003 एवं शासनादेश संख्या-473/नौ/61(परि)/2002/2006 दिनांक 02-06-2006 के द्वारा निम्नलिखित को ले जाने वाले राजकीय वाहन पर उनके सम्मुख उल्लिखित के अनुसार लाल बत्ती/नीली बत्ती प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है:-

1	महामहीम श्री राज्यपाल	लाल बत्ती टाप पर
2	उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री उप मंत्री	लाल बत्ती टाप पर
3	उत्तरांचल के विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष	लाल बत्ती टाप पर
4	उत्तरांचल विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष	लाल बत्ती टाप पर
5	भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तरांचल	लाल बत्ती टाप पर
6	उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण	लाल बत्ती टाप पर
7	मुख्य सचिव, उत्तरांचल	लाल बत्ती टॉप पर
8	पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल	लाल बत्ती टॉप पर
9	जिलाधिकारी, उत्तरांचल	छत पर नीली बत्ती
10	जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिस जिले में जैसी स्थिति हो)	छत पर नीली बत्ती
11	उत्तरांचल के न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके समकक्ष अधिकारीगण	लाल बत्ती टाप पर

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी व अन्य को लाल बत्ती व नीली का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

शासकीय अधिसूचना संख्या 09/ix-1/61(2002)/2014 दिनांक 06 जनवरी, 2014 द्वारा निम्नलिखित महानुभावों को उनके शासकीय वाहनों में हूटर रहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया—

- (1) महामहिम राज्यपाल,
- (2) उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री,
- (3) उत्तराखण्ड के विधानसभा के अध्यक्ष,
- (4) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
- (5) राज्य मंत्री मण्डल के सदस्य
- (6) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष
- (7) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण

शासकीय अधिसूचना संख्या 37/ix-1/61(2002)/2014 दिनांक 15 जनवरी, 2014 द्वारा महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड को उनके शासकीय वाहन में शासकीय कार्य के दौरान हूटर रहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया।

शासकीय अधिसूचना संख्या 332/ix-1/61(2002)/2014 दिनांक 09 जून, 2014 द्वारा निम्नलिखित महानुभावों को उनके शासकीय वाहन में शासकीय कार्य के दौरान हूटर रहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया—

- (1) उत्तराखण्ड विधान सभा के उपाध्यक्ष
- (2) कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त सभा सचिव
- (3) कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त विधान सभा सदस्य

केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.05.2017

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 423(अ) दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 के उपनियम (1) के परन्तुक (iii) जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तिगण के शासकीय वाहन में लाल बत्ती का प्रयोग करने सम्बन्धी उपबंध को विलुप्त कर दिया गया। इसी प्रकार उपनियम (1) के परन्तुक के

खण्ड (v) एवं उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) एवं उपनियम (5) को भी विलुप्त कर दिया गया।

मोटरयानों की गति सीमा का निर्धारण

परिवहन अनुभाग—1 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 52 / ix / 424 / 2009 दिनांक 30 जनवरी, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित मार्गों पर सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से भारी तथा हल्के वाहनों की अधिकतम तथा न्यूनतम गति सीमाएं निर्धारित की गयी हैं—

क्र०सं०	मार्ग का नाम	भारी वाहन	हल्का वाहन
1	2	3	4
जनपद—पौड़ी			
1	पौड़ी—देवप्रयाग	25	30
2	पौड़ी—कांसखोत—कोटद्वार	25	30
3	पौड़ी—ल्वाली—गुमाई—धनाऊ	20	25
4	पौड़ी—अदवानी—बगानीखाल—बसन्तपुर—बहेड़ाखाल—खाण्डा	20	25
5	पौड़ी—घुडदोड़ी—जामनाखाल	20	25
6	पौड़ी—पैठानी—स्योली—गिन्दोखाल—कर्णप्रयाग	20	25
7	पौड़ी—कोटमहादेव—फिरोजपुर	20	25
8	पौड़ी—चाकीसैण—त्रिपालीसैण—बूंगीधार	20	25
9	पौड़ी—खिर्सू—खेड़ाखाल—रुद्रप्रयाग	20	25
10	पौड़ी—पिटुण्डी—डबरुखाल	20	25
11	पौड़ी—श्रीनगर—बुधाण—चमधार	20	30
12	पौड़ी—मुंडानेश्वर—बौंसाल—सतपुली	25	30
13	पौड़ी—कांसखेत—बाडियूं—व्यासधार	20	25
14	पौड़ी—मासौं—खिर्कू—सन्तूधार—पाटीसैण	20	25
15	पौड़ी—कोटद्वार	25	30
16	श्रीनगर—बुधाणी—खिर्सू—पौड़ी	20	25
17	श्रीनगर—काण्डई	25	30
18	श्रीनगर—उफल्डा—देहलचौरी	25	30
19	श्रीनगर—चमधार—बुधाणी	20	25
20	श्रीनगर—झूंगरीपथ—खेड़ाखाल—छान्तीखाल	20	25
21	खिर्सू—पावों—मुसागली—दमदेवल	20	25
22	पौड़ी—सुरपुर—डाण्डा नागराजा	25	30
23	खिर्सू—चोबटाखाल—हुलाकीखाल—कठुली	20	25
24	पौड़ी—माण्डाखाल—पोखरीखेत—ज्वालपोवी—पाटीसैण	20	25
25	पौड़ी—थैलीसैण—बैजरो—धुमाकोट—रामनगर	20	25

26	कोटद्वार—कालागढ़—रामनगर	30	35
27	कोटद्वार—चण्डीघाट—हरिद्वार	30	35
28	कोटद्वार—भोगपुर—विदासनी—कनखल	20	30
29	कोटद्वार—रथवाढाव—ढिकाला—रामनगर	20	30
30	कोटद्वार—लैन्सडॉन	25	30
31	कोटद्वार—रामणी—बल्ली	20	25
32	कोटद्वार—कलालघाटी	30	35
33	कोटद्वार—फतेहपुर—मैदावान	25	30
34	गुमखाल—द्वारीखाल—चैलूसैण—ऋषिकेश	25	30
35	डेरियाखाल—रिखणीखाल—मैदावन	25	30
36	सतपुली—रीठाखाल—स्यंसी—रामनगर	25	30
37	सतपुली—ऐकेश्वर—नौगांवखाल—देवराजखाल	25	30
38	सतपुली—मरोड़ा—बाडियू—व्यासघाट	25	30
39	पौड़ी—धूमाकोट—नैनीडान्डा	20	25
40	पाटीसैण—सन्तुधार—दमदेवली	20	25
41	पाटीसैण—सन्तुधार—खिर्कू—मासौ—पावौ	20	25
42	कोटद्वार—रिखलीखाल—सिद्धखाल—घिरौली	20	25
43	सतपुली—दुधारखाल	20	25
44	कोटद्वार—चौबट्टाखाल—गवाँडी—घिरौली	20	25
45	बैजरो—उफराई	20	25
46	कोटद्वार—बिजोरापानी—कुण्जखाल	25	30
47	नौगांवखाल—डियूल्ड	25	30
48	गुमखाल—लैन्सडॉन	25	30
49	बैजरो—जोगीमढ़त्री—सराईखेत	25	30
50	सौपखाल—सुगरिया—ललितपुर	25	30
51	संगुरखाल—सीकूखाल—ज्वालपादेवी	25	30
52	कनमोठिलिया—नौगांवखाल	25	30
53	कोटद्वार—कर्णवाश्रम	30	35
54	हल्दुखाल—सिंगडडी	30	35
55	कौड़ियाचौकी—मोटाढाक	30	35
56	कोटद्वार—दुगड़ा—कान्डी—लक्ष्मणझूला—बैराज	25	30
57	दुगड़ा—रथवाढाव—हल्दुखाल—नैनीडाण्डा	25	30
58	बसडा—बूंगा	20	25
59	बसडा—बूंगा—रथवाढाव	20	25
60	बसडा—तिमलसैण—जुकनिया—बड़खेत	20	25
61	पौखाल—भंवासी	25	30
62	बन्घूरी—तिमली	25	30
63	चैलूसैण—सिलोगी—घट्टूगाड़	25	30
64	बेदीखाल—भरोलीखाल	20	25
65	पौखडा—बैजरो	25	30

66	बैजरो—चौखाल—उफराईखाल—बछुवाबाण	25	30
67	मरचुला—भेरंगखाल—सौपखाल	25	30
68	थैलीसैण—पीरसैण—देघाट	20	25
69	कोटद्वार—डाडामण्डी—जमेली	25	30
70	कोटद्वार—नालीखाल—नाथूखाल	25	30
जनपद—चम्पावत			
1	ठनकपुर—पिथौरागढ मोटरमार्ग पर कि०मी० 1.88 से कि०मी० 20 तक	15	15
2	ठनकपुर—पिथौरागढ मोटरमार्ग पर कि०मी० 20 से कि०मी० 120 घाट तक	30	30
3	चम्पावत—हल्द्वानी मोटर मार्ग	30	30
4	लोहाघाट—पंचेश्वर मोटर मार्ग	30	30
5	चम्पावत—मंच मोटर मार्ग	30	30
जनपद—उत्तरकाशी			
1	उत्तरकाशी—भटवाडी—लंका—गंगोत्री	25	30
2	उत्तरकाशी—तेखला—महिडाण्डा	15	20
3	उत्तरकाशी—गंगोरी—संगमचट्टी	20	25
4	उत्तरकाशी—भटवाडी—रैथल	20	25
5	उत्तरकाशी—धौतरी—लम्बगांव	20	25
6	उत्तरकाशी—धरासू—पौडी	20	25
7	उत्तरकाशी—बनचौरा—नैनबाग	20	25
8	उत्तरकाशी—बड़कोट बड़कोट—हनुमानचट्टी	25	30
9	उत्तरकाशी—सिलक्यारा सिलक्यारा—वनगांव—वनचौरा	20	25
10	उत्तरकाशी—बड़कोट—नौगांव—पुरोला—मोरी मोरी—सांकरी	20	25
11	मोरी—त्यूनी—आराकोट—खूनीगाड	20	25
12	आराकोट—चिंवा	15	20
13	साकोणाधार—धनारी—देवीधार—उत्तरकाशी	20	25
14	पुरोला—गुन्दिघाट गांव	15	20
15	उत्तरकाशी—नौगांव—राजगढ़ी	20	25
16	राडी—कफनोल—बरनीगाड—कुंवा	20	25
17	बड़कोट—नौगांव—यमुनाब्रिज	25	30
18	उत्तरकाशी—धौतरी—सटियालधार—कमद	20	25
19	चिन्यालीसौड—जोगत	20	25
20	सांकरी—जखोल	20	25
21	राजगढ़ी—सरनोल	10	15
22	बरनोली—झोटाडी	20	25

23	नेटवाड सेवा:			
	1— लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर	20	25	
	2—वन विभाग के मार्ग पर	10	15	
24	पुरोला—खलाड़ी—घटोली	20	25	
25	पुरोला—कुफारा (हल्का वाहन मार्ग)	—	20	
26	दीवारीखोल—गड़ोली	20	25	
27	हुडोली—पाणीगांव	10	15	
28	पुरोला—कुमोला—नोरी—गडोली	15	20	
29	धौलधार—बियाली	10	15	
30	द्वारी—रैथल	20	25	
31	कत्याणी—जखारी	20	25	
32	ज्ञानसू—साल्ट—उपरीकोट	15	20	
33	नालूपानी—पटारा—डांग—स्यालना	15	20	
34	नौगांव—मंजियारी—पलेठा	20	25	
35	डामटा—कंडारी	20	25	
36	कल्याणी—जुणगा (हल्का वाहन मार्ग)	—	20	
37	राजगढ़ी—रस्तर	20	25	

जनपद—पिथौरागढ़

1	पिथौरागढ़—बड़डा—झूलाघाट	25	30	
2	पिथौरागढ़—अड़किनी—कवीतड़	25	30	
3	पिथौरागढ़—बॉस	25	30	
4	पिथौरागढ़—जाख पुरान	25	30	
5	एंचोली—बड़वे	25	30	
6	एंचोली—पाबे	25	30	
7	पिथौरागढ़—सातसीलिंग—मुवानी—थल	25	30	
8	देवलथल—कनालीछीना—पीपली	25	30	
9	थल—पांखु—धरमधर—पचार	25	30	
10	थल—डीडीहाट—ओगला	25	30	
11	ओलगा—भागीचौरा	25	30	
12	डीडीहाट—दूनाकोट	25	30	
13	थल—तेजम—कवीटी—मुनस्यारी	25	30	
14	मुनस्यारी—मदकोट—जोलजीवी—धारचूला	25	30	
15	धारचूला—तवाघाट	25	30	
16	देवलथल—थल—मुवानी	25	30	
17	चौकड़ी—बेरीनाग—गंगोलीहाट—पनार	25	30	
18	रायआगर—चौडमान्या	25	30	
19	सेराघाट—रायआगर	25	30	
20	बेरीनाग—पुरानाथल	25	30	
21	सनदेव—पुन्तोली	25	30	
22	नाचनी—बांसबगड़	25	30	

जनपद—बागेश्वर				
1	बागेश्वर—गरुड मोटरमार्ग	20	30	
2	बागेश्वर—कपकोट—भराडी मोटरमार्ग	20	30	
3	बागेश्वर—काण्डा मोटरमार्ग	20	30	
4	बागेश्वर—रीमा—धरमधर मोटरमार्ग	20	30	
5	बागेश्वर—चोगाबछीना मोटरमार्ग	20	30	
जनपद—रुद्रप्रयाग				
1	कलियासौङ—नगरासू मार्ग	30	30	
2	रुद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड मार्ग	25	25	
3	जनपद के शेष मार्ग तथा लिंक मार्ग	20	20	
जनपद—अल्मोड़ा				
1	द्वाराहाट—चौखुटिया	30	35	
2	मोहान—भतरोजखान—रानीखेत	25	35	
3	अल्मोड़ा—हल्द्वानी	35	40	
4	अल्मोड़ा—बाडेछीना	20	30	
5	बाडेछीना—सेराघाट	20	30	
6	बाडेछीना—पनुवानौला—आरतोला—दन्या—पनार	25	30	
7	अल्मोड़ा—कफड़खान—ताकुला	25	30	
8	अल्मोड़ा—मजखाली—रानीखेत	35	40	
9	अल्मोड़ा—कोसी—सोमेश्वर—कौसानी	35	40	
10	धिधरीखाल—गगास—द्वाराहाट—चौखुटिया	25	30	
11	रानीखेत—खैरना	35	40	
12	रानीखेत—भतरोजखान—भिकियासैण—जैनल—मासी—चौखुटिया	30	35	
13	मनीला—सल्ट	20	25	
14	जैनल—देघाट	20	25	
15	अल्मोड़ा—जलना—शहरफाटक	20	25	
जनपद—टिहरी				
1	ऋषिकेश—टिहरी—भलिडयाना—धारकोट—रजाखेत	30	30	
2	ऋषिकेश—चम्बा	30	30	
3	चम्बा—धरासू	30	30	
4	नई टिहरी—भागीरथीपुरम—टिहरी	30	30	
5	ऋषिकेश—चम्बा—रानीचौरी—नकोट—डाडाचली	30	30	
6	ऋषिकेश—खाड़ी—गजा—देवप्रयाग	30	30	
7	ऋषिकेश—खाड़ी—गजा—नकोट—बामनी—गजा—नई टिहरी—क्यारी—पेंटार्स—जीरो— प्वाइन्ट—छोलगांव—गडौलिया	30	30	
8	ऋषिकेश—कीर्तिनगर—टिहरी	30	30	
9	ऋषिकेश—टिहरी—घनसाली—तिलवाडा—सौराखाल—ढौढाताल	30	30	
10	ऋषिकेश—कीर्तिनगर—बड़ियारगढ़—महादेव—धौलगी	30	30	
11	ऋषिकेश—घनसाली—मूलगढ़—धमातोली—गतकुड़ीसैण	30	30	
12	ऋषिकेश—घनसाली—मयाली	30	30	

13	ऋषिकेश—घनसाली—धुत्तू	30	30
14	ऋषिकेश—मसूरी—वाया चम्बा—नैनबाग	30	30
15	ऋषिकेश—देवप्रयाग—टिहरी	30	30
16	ऋषिकेश—लम्बगांव—उत्तरकाशी	30	30
17	ऋषिकेश—विनयखाल—बूढ़ाकेवार	30	30
18	ऋषिकेश—बनचौरा—दीवारीखाल—अगलाड पुल—विकासनगर	30	30
19	ऋषिकेश—कोटालगांव—चमियाला	30	30
20	ऋषिकेश—थत्यूड—भवन—अगलाडपुल—बनाली—रायपुर—देहरादून	30	30
21	कद्दूखाल—मरोडापुल—बनाली—रायपुर—देहरादून	30	30
22	कीर्तिनगर—डांग	30	30
23	जामणीखाल—जुराना	30	30
24	रोडधार—पौड़ीखाल	30	30
25	दुगड़ा सौड—पिपलीधार	30	30
26	किलकिलेश्वर—सिल्काखाल	30	30
27	नैनबाग—घोड़ाखुरी—पंतवाडी—दिवारीखाल	30	30
28	चौधार—ओखला—काणडा—मदननेगी	30	30
29	टिहरी—घनसाली—बड़वाली	30	30
30	कीर्तिनगर—डांगधारी—झिरकोटी	30	30
31	घनसाली—कोटी	30	30
32	रजाखेत—भटवाड़ा—सिलियारा—मन्दार	30	30
33	छतियार—विनयखाल—पौड़ीखाल—मल्याकोट	30	30
34	गोमुख—जाखणीधार	30	30
35	रजाखेत—नकोट—कफलोग	30	30
36	रानीचौरी—नकोट—चामनी	30	30
37	पांगरखाल—नई टिहरी	30	30
38	घनसाली—पांवली—अखोडी	30	30
39	कोटी—अखोड़ी—मेगाधार	20	30
40	कोड़ी—पाख	20	30
41	गूलर—गजा ग्राम नाई तक	20	25
42	हिण्डोलाखाल—शिवपुरी	20	25
43	आगराखाल—कुसरैला—कुडारना—भोगपुर	20	25
44	बडियारगढ़—तेगड—घणजी—खोला	25	25
45	तेगड—खतवाड	25	25
46	बगवान—ललूडी	25	25
47	गुलर—गजा	20	25
48	सिल्काखाल—बागसैण	25	25
49	छाम—मैण्डखाल	20	30
50	दुगड़ासासैड—पिपलीधार	25	25
51	भटवाडा—मदननेगी—कण्डल तक	20	30
52	महादेव—घुरेट—धण्डियालाधार	25	25

53	जामनीखाल—ललुडीखाल	25	25
54	घणजी—खोला	25	25
55	लक्ष्मोली—हिंसरियाखाल—जामणीखाल	25	25
56	लम्बगांव—कोटालगांव—चमियाला	20	30
57	कोडार—दीनगांव—मुखेम	20	30
58	क्यारी—जेवला—पोखरियालगांव	20	30
59	बगवान—जामनीखाल	25	25
60	हिण्डोलाखाल—बनगढ़—लक्ष्मोली—पौड़ीखाल	25	25
61	डाबरखाल—कुण्डा—रानीचौरी—सिल्काखाल—चोनीखाल—पांडव	20	25
62	लाटा—सीताकोट	20	30
63	मोटणा—छेरपधार—मदननेगी	20	30
64	सुनहरीगाड़—मन्दार	20	30
65	छेरपधार—मदननेगी—रजाखेत	20	30
66	रजाखेत—गडोलिया वाया पीपलडाली सिल्यारा पटूडगांव जनपद—उधमसिंहनगर	20	30
	जनपद—चमोली	50	35
		30	25

उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों के पंजीयन चिन्ह कोड :-

जनपद का नाम	पंजीयन चिन्ह कोड
अल्मोड़ा	UK - 01
बागेश्वर	UK - 02
चम्पावत	UK - 03
नैनीताल	UK - 04
पिथौरागढ़	UK - 05
उधमसिंहनगर	UK - 06
देहरादून	UK - 07
हरिद्वार	UK - 08
टिहरी	UK - 09
उत्तरकाशी	UK - 10
चमोली	UK - 11
पौड़ी	UK - 12
रुद्रप्रयाग	UK – 13

ऋषिकेश	UK – 14
कोटद्वार	UK – 15
विकासनगर	UK – 16
रुड़की	UK – 17
काशीपुर	UK – 18
रामनगर	UK – 19
रानीखेत	UK – 20

उत्तराखण्ड में संचालित मोटर ड्राइविंग स्कूल :-

उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची—

क्र. सं.	चालक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का वर्ग
1	2	3
देहरादून		
1	मैसर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च, उत्तराखण्ड, झाझरा, देहरादून।	हल्की/भारी वाहन एचआर-26एडब्ल्यू-4487 एचआर-26एडब्ल्यू-4492 एचआर-26एडब्ल्यू-4412 एचआर-26एडब्ल्यू-4413 एचआर-26एडब्ल्यू-4490 एचआर-26एडब्ल्यू-4486
2	मैसर्स सागर मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल, निकट डील फैक्ट्री, रायपुर रोड, देहरादून।	हल्की/भारी वाहन यूपी 15-6565, कार, यूएडब्ल्यू-3655 कार यूजीवाई-9905 ट्रक यूआरएम-1355 ट्रक यूके 07 सीए-7685 ट्रक
3	मैसर्स पंकज मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग कॉलेज, बालावाला, देहरादून	हल्की वाहन यूके07 एवी-7024 कार यूके07 एवी-7028 कार
4	मैसर्स स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग कॉलेज, मोहित नगर, देहरादून	हल्की वाहन यू के 07 एवी-2227 कार
5	मैसर्स पैन्यूली मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग कॉलेज, अजबपुर डांडा, पो0300-नेहरूग्राम, देहरादून	हल्की वाहन यू पी-08-1515 कार
6	मैसर्स सच्चा मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल, 15-फालतू लाईन, देहरादून	हल्की वाहन यूपी07 के-3704 कार

		यूपी07 ए-1541 जीप
7	मैसर्स प्यूचर ऑटो व्हील प्रा० लि० मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मोहब्बेवाला, देहरादून।	हल्की वाहन यूके 07 एटी-2806 कार यूके 07 एयू-3892 कार
8	मैसर्स साई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कन्हारवाला, भानियावाला, देहरादून।	हल्की वाहन यू पी 07 जे-7585 कार
9	मैसर्स पूजा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मोथरोवाला, देहरादून	हल्की वाहन यू पी 07 एफ-2058 कार
10	मैसर्स रोहन मोटर्स लि० मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 130 / 1, चक्राता रोड, देहरादून।	हल्की वाहन यूके 07टीए-8952 कार यूके 07टीए-8951 कार
11	मैसर्स गोल्डन की मो०ड्डा०ट्रे० स्कूल, 514 ए०ए०स०सी०, क्लेमेंटाउन, देहरादून	हल्की वाहन यू के 07 जी ए-1346 टाटा मैजिक
12	मैसर्स आरुष मो०ड्डा०ट्रे०स्कूल, बंजारावाला, देहरादून	हल्की वाहन यूपी 07 ई-5300 कार
13	मैसर्स निर्मल मो०ड्डा०ट्रे०निंग स्कूल, विकास नगर, देहरादून।	हल्की/भारी वाहन यू पी 10 बी-0288 कार एचआर38 सी-4027 ट्रक
14	मैसर्स उत्तराखण्ड मो०ड्डा०ट्रे०स्कूल, विकासनगर, देहरादून।	हल्की वाहन यूपी 11-4041 कार
15	मैसर्स सूर्या मो०ड्डा०ट्रे० स्कूल, विजय पार्क चक्राता रोड, देहरादून।	हल्की/भारी वाहन यू पी 07 जी-0139 ट्रक यू ए 07 जी-4241 कार
ऋषिकेश		
16	मैसर्स उत्तराचंल मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग कॉलेज, ढालवाला, ऋषिकेश।	हल्की/भारी वाहन यू पी-07-4114 कार यू पी० 08-1631 ट्रक यू पी 08-1785 ट्रक
17	मैसर्स यूनिक मोटर ड्राइविंग स्कूल, यात्रा बस स्टैंड, ऋषिकेश।	हल्की/भारी वाहन यूए-07 एए-6946 कार यूपी०1-3174 ट्रक
ठिहरी गढ़वाल		
18	मैसर्स शिव ओम मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल, बौराड़ी, ठिहरी गढ़वाल।	हल्की वाहन यूपी०8 3700 कार
उत्तरकाशी		
19	मैसर्स विश्वनाथ, मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग कॉलेज, जोशियाड़ा, उत्तरकाशी।	हल्की/भारी वाहन यूपी०7 एल 8878 कार यूपी०7 एफ 2461 ट्रक
हरिद्वार		
20	मैसर्स ईलाइट मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल, पश्चिमी सोलानी पुरम, रुड़की, हरिद्वार।	हल्की/भारी वाहन यू पी 07 एफ-2976 कार एच आर-58-0542 ट्रक

21	मैसर्स किरन मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, आवास विकास कालोनी, हरिद्वार।	हल्की/भारी वाहन यू पी-30-5048 कार यू पी-07ए0-3707 ट्रक एचआर 38सी-8607 ट्रक
22	मैसर्स चौधरी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, बाहदराबाद, हरिद्वार।	हल्की/भारी वाहन डी एल05सीए-7480 कार यू के 08 सी-4060 ट्रक
23	मैसर्स नितिका मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, आर्यनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।	हल्की/भारी वाहन यूके जेड-9089 कार यू पी 07 सी-3047 ट्रक
24	मैसर्स शाकुम्भरी आटो० मो०ड्डा०ट्र०० स्कूल, इन्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार	हल्की वाहन यूके 08 जेड-5791 कार यूके 08 जेड-5790 कार
25	मैसर्स शिव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ज्वालापुर, हरिद्वार।	हल्की वाहन यूके 08 आर-4083 कार
श्रीनगर (गढ़वाल)		
26	मैसर्स उत्तराखण्ड मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, श्रीनगर (गढ़वाल)	हल्की वाहन यूपी-07एच 9055 कार
27	मैसर्स कृष्णा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, प्रेम नगर, पौड़ी	हल्की वाहन यूए-12-2202 कार
कोटद्वार		
28	मैसर्स भट्ट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार	हल्की/भारी वाहन डी०डी०डी०-8434 कार यू के 12सीबी-0435 ट्रक
29	मैसर्स ओम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार	हल्की वाहन यू के 12 बी-4360 कार
रुद्रप्रयाग		
30	मैसर्स शिवम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, नया बस अड्डा, रुद्रप्रयाग	हल्की वाहन यू ए 11-0042 कार
31	मैसर्स अन्नु मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, भाणादार, रुद्रप्रयाग।	हल्की वाहन यू ए 11-0171 कार
32	मैसर्स ब्राइटलेंड मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	हल्की वाहन यूए 07 के-8651 कार यूए 07 ई-5215 कार
चमोली		
33	मैसर्स सती मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, शक्ति नगर, कर्णप्रयाग, चमोली	हल्की वाहन यूपी 10-2700 कार
34	मैसर्स गुरुकृपा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, गोचर, चमोली	हल्की वाहन यूपी 07 डी-4569 कार
35	मैसर्स झीम मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, सलियाणा बैन्ड, चमोली।	हल्की वाहन यूके11-9325 कार
हल्द्वानी		
36	मैसर्स कुमायू मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, गोरा पडाव,	हल्की/भारी वाहन

	हल्द्वानी	यूके 04 एन-0436 कार यूटीएल-5447 ट्रक यूके 04 पीए-0653 बस
37	मैसर्स जयदुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल।	हल्की/भारी वाहन यू पी 04 ई-5740 कार यू पी 65 एच-9840 ट्रक यू पी 03-1337 बस
38	मैसर्स अजय मोटर्स, निकट-पी0डब्ल्यू0डी0 गेस्ट हाउस, तिकोनिया, हल्द्वानी।	हल्की वाहन यू ए 04 ई-2855 कार
39	मैसर्स साई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कलावती कालोनी, हल्द्वानी।	हल्की वाहन यू पी 25 जी-3106 कार दूसरी गाड़ी लगाये जाने की स्वीकृति
40	मैसर्स अम्बिका मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, उंचा पुल, हल्द्वानी।	हल्की वाहन डीएल 3सीडी-2961 कार
41	मैसर्स नैनीताल मोटर्स, रामपुर रोड, जीतपुर नेगी, हल्द्वानी।	हल्की वाहन यू के 04 के-3507 कार
42	मैसर्स चित्रांश मो0 ड्रा0ट्रे0स्कूल, हल्द्वानी	हल्की वाहन यूए 04 ए-6815 कार
43	मैसर्स पर्वतीय मो0 ड्रा0 ट्रे0 स्कूल, हल्द्वानी	हल्की वाहन यूके 04 टीए-8483 कार
44	मैसर्स न्यू भारत मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, रेलवे बाजार, हल्द्वानी	हल्की वाहन यूए05 2786 कार
45	मैसर्स निर्मल मो0ड्रा0ट्रे0 स्कूल, रामनगर, नैनीताल	हल्की/भारी वाहन यूए04 6377 मिनी बस यूए01 1111 कार यूके04 एच 7225 ट्रक
उधमसिंहनगर		
46	मैसर्स एक्सीलेन्ट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर, किंच्छा, उधमसिंहनगर।	हल्की/भारी वाहन यूटीडी-7507 कार यूटी0एस0-5563 ट्रक
47	मैसर्स मां वैष्णो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर, किंच्छा, उधमसिंहनगर।	हल्की/भारी वाहन यूटी एफ-1512 ट्रक यूए 06 सी/1598 कार यूपी07 सी 3116 बस
48	मैसर्स जशोदा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।	हल्की/भारी वाहन यूए06 वी-5190 यू0ए0-06-7659 कार एच0आर0-3525 ट्रक
49	मैसर्स मारुति/आकांक्षा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, किंच्छा बाईपास रोड रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।	हल्की वाहन यूके-06 टीए-0087 कार
50	मैसर्स भगवती मोटर ट्रेनिंग स्कूल, खटीमा, उधमसिंह नगर	हल्की वाहन डीएल 06 सीडी 9902कार
51	पुलिस मोटर वाहन प्रशिक्षण केन्द्र, 31 वी वाहिनी, पी0	हल्की/भारी वाहन

	ए० सी०, रुद्रपुर	यूपी-०२ बी-९७१५ ट्रक
काशीपुर		
52	मैसर्स जय शिव शंकर मोटर ड्रा० ट्रे० स्कूल, रमपुरा, काशीपुर	भारी वाहन एच पी-३३-५५१७ बस
53	मैसर्स महक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, रामनगर रोड, काशीपुर।	हल्की/भारी वाहन यूपी ७७-०५८९ कार एचपी ३३-५५१७ बस
चम्पावत		
54	मैसर्स शारदा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पीलीभीत रोड, टनकपुर, चम्पावत।	हल्की वाहन डीएल०३ सीसी ३५९९ कार
55	मैसर्स संजय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, आमबाग, टनकपुर, चम्पावत।	भारी वाहन यूपी०-०३ -०६७३ ट्रक
56	मैसर्स जयशंकर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, चम्पावत।	हल्की/भारी वाहन यू पी ०७-५८९९ बस यूए०४ - १४७९ बस यू पी २६-६७७३ कार
57	मॉ पूर्णागिरी मोटर ड्रा० ट्रे० स्कूल, ज्ञान खेड़ा, टनकपुर	हल्की/भारी वाहन डीएल ०८ सी-७१९० कार यू ए ०३-१२९४ ट्रक
अल्मोड़ा		
58	मैसर्स भारद्वाज मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कालेज, रावतपुर, लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा।	हल्की वाहन यूपी०-०१-७२० कार
59	मैसर्स राणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कालेज, खत्याड़ी टोप, अल्मोड़ा	हल्की वाहन डीएल०२ सीसी १८०५ कार
60	मैसर्स न्यू साई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कालेज, अल्मोड़ा	हल्की/भारी वाहन एच०आर०-२६-६१४७ कार यू ए ०१-३८२८ ट्रक
बागेश्वर		
61	मैसर्स ए०बी० मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कालेज, पिण्डारी बाईपास मार्ग, बागेश्वर	हल्की वाहन यूपी-२८ ०३१६ कार
62	मैसर्स मन्नु मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, नदी गाँव, बागेश्वर	हल्की वाहन यूके ०२-४३२८ कार
पिथौरागढ़		
63	मैसर्स भगवती मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, एंचोली पिथौरागढ़।	हल्की वाहन यूपी ०३-२८११ कार
64	मैसर्स मेघा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पिथौरागढ़	हल्की वाहन यूए०५-२१५१ कार
65	मैसर्स लक्ष्य मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बिजडम नर्सरी, टकाना, पिथौरागढ़	हल्की वाहन यूए००७डी-४३४३ कार

**परिवहन विभाग, उत्तरांचल द्वारा जारी मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच
केन्द्रो की सूची ।**

**उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वैध प्रदूषण जांच केन्द्रो
की सूची—**

कुल संख्या	क्रम संख्या	प्रदूषण जांच केन्द्र का नाम	संयंत्र का नाम (डीजल / पेट्रोल)	मान्यता अवधि	अभियुक्ति
जिला—देहरादून					
1	1	मैसर्स कोचर मोटर्स देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	28.05.2015 से 23.09.2019	
2	2	मैसर्स गुणा वर्कशाप देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	08.02.2015 से 29.05.2020	
3	3	मैसर्स ओबराय मोटर्स देहरादून।	डीजल	19.11.2013 से 10.11.2018	
4	4	मैसर्स सागर मोटर इंजिनिंग स्कूल, प्र०ज००केन्द्र देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	17.05.2016 से 16.05.2021	
5	5	मैसर्स वन एवं पर्यावरण (प्रदूषण) बहुदेशीय विकास समिति, विकासनगर, देहरादून।	डीजल	29.03.2016 से 28.03.2021	
6	6	मैसर्स डी० डी० मोटर्स, देहरादून।	पेट्रोल	01.06.2016 से 31.05.2021	
7	7	मैसर्स श्री गुरु कैलापीर सोसाइटी, देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	14.03.2014 से 13.06.2018	
8	8	मैसर्स बालाजी पर्यावरण समिति, देहरादून, आई०आई०पी० मोहकमपुर देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	24.08.2012 से 17.07.2017 (नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान)	
9	9	मैसर्स बालाजी पर्यावरण समिति, पंडित बाड़ी प्रेमनगर देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	01.05.2014 से 30.04.2019	
10	10	मैसर्स बालाजी पर्यावरण समिति, आई०एस०बी०टी० देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	14.02.2013 से 13.02.2018	नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान
11	11	मैसर्स बालाजी पर्यावरण समिति, 28 बाडीगार्ड कैनाल रोड, देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	27.09.2016 से 26.09.2021	
12	12	मैसर्स जस्सल पर्यावरण विकास समिति, देहरादून।	डीजल	30.10.2014 से 29.10.2019	
13	13	मैसर्स श्रीकृष्णा जन जागरण समिति, देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	30.01.2016 से 19.02.2020	
14	14	मैसर्स हिमगिरी जनजागृति समिति, ट्रोन्सपोर्ट नगर देहरादून।	डीजल	13.11.2013 से 12.11.2018	
15	15	मॉ शाकुम्बरी देवी पर्यावरण सेवा समिति, विकासनगर देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	19.09.2015 से 11.06.2020	
16	16	मैसर्स प्यूचर ऑटो व्हील प्रा०लि०, मोहब्बेवाला, देहरादून।	डीजल / पेट्रोल	27.04.2012 से 26.04.2017	
17	17	मैसर्स उत्तरांचल प्रदूषण पर्यावरण निवारण समिति, ढालवाला, ऋषिकेश।	डीजल	01.06.2015 से 31.05.2020	
18	18	मैसर्स राकेश आटोमोबाइल्स इंजिनियर्स, ऋषिकेश।	डीजल / पेट्रोल	01.06.2015 से 31.05.2020	

19	19	मैसर्स गढ़वाल गैसोलिन स्टेशन, ऋषिकेश।	डीजल/पेट्रोल	16.11.2017 से 15.11.2022	
20	20	मैसर्स सोहन सिंह एण्ड सन्स, ऋषिकेश।	डीजल/पेट्रोल	21.12.2013 से 20.12.2018	
21	21	मैसर्स लक्ष्मी आटोमोबाइल्स इंजीनियर्स, ऋषिकेश।	डीजल/पेट्रोल	17.03.2015 से 16.03.2020	
22	22	मैसर्स भागीरथी पेट्रोल पम्प, ऋषिकेश।	डीजल	03.12.2012 से 02.12.2017	(नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान)
23	23	मैसर्स सावन पर्यावरण निवारण समिति, ऋषिकेश।	डीजल/पेट्रोल	14.06.2016 से 19.06.2020	
24	24	मैसर्स ग्रीन हिल्स सोसाइटी, ऋषिकेश।	डीजल	15.10.2016 से 15.12.2020	
25	25	मैसर्स हिमालयन प्रदूषण पर्यावरण निवारण समिति, तहसील चौक, ऋषिकेश।	डीजल/पेट्रोल	07.05.2016 से 03.09.2020	
26	26	मैसर्स स्टार पेट्रोलियम, ढालवाला, ऋषिकेश जनपद-देहरादून	डीजल/पेट्रोल	07.10.2017 से 06.10.2022	

जिला—टिहरी गढ़वाल

27	1	शहीद दलवीर सिंह फिलिंग स्टेशन, टिहरी।	डीजल	27.03.2017 से 26.03.2022	
28	2	मैसर्स भागीरथी प्रदूषण निवारण समिति, बौराड़ी, नई टिहरी।	डीजल	14.05.2013 से 18.04.2017	मान्यता समाप्ति की कार्यवाही गतिमान।
29	3	मैसर्स यातायात और पर्यटन विकास संघ, (पेट्रोल), टिहरी।	डीजल/पेट्रोल	21.07.2014 से 14.04.2019	
		मैसर्स टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड,	डीजल/पेट्रोल	30.11.2010 से 29.11.2015	मान्यता समाप्त

जिला—उत्तरकाशी

30	1	मैसर्स गंगा हिमालय पर्यावरण संरक्षण समिति (पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था) ग्राम—सिमोड़ी, पो0—भटवाड़ी, जिला—उत्तरकाशी	डीजल/पेट्रोल	21.08.2017 से 20.08.2022	
----	---	---	--------------	--------------------------	--

जिला—हरिद्वार

31	1	मैसर्स चौधरी मो0ड्हा0ट्रे0 स्कूल, प्रदूषण जॉच केन्द्र, निकट—शनिदेव मंदिर दिल्ली रोड, बहादराबाद हरिद्वार।	डीजल	18.11.2010 से 17.11.2015 तक	मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान।
32	2	मैसर्स दक्ष पर्यावरण सेवा समिति, बहादराबाद, हरिद्वार।	डीजल	19.09.2015 से 15.10.2019	
33	3	मैसर्स हरिकृपा फिलिंग स्टेशन, जी0 टी0 रोड, हरिद्वार।	पेट्रोल	01.04.2017 से 31.03.2022	
34	4	मैसर्स किरन मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, प्रदूषण जॉच केन्द्र, डी-100 शिवालिक नगर, हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	01.04.2016 से 31.03.2021	

35	5	मैसर्स किरन पर्यावरण एवं यातायात संरक्षण समिति, सिडकुल, बाईपास रोड, हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	26.06.2015 से 08.04.2019	
36	6	मैसर्स देवभूमि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति, मायापुर हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	19.07.2015 से 18.07.2021	
37	7	मैसर्स जकी पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण समिति, कस्सावान ज्वालापुर हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	21.01.2017–20.01.2022	
38	8	मैसर्स भगवती पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण समिति, आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	20.01.2017 से 1901.2022	
39	9	मैसर्स श्रीराम पर्यावरण कल्याण समिति, रामनगर रुड़की।	डीजल/पेट्रोल	17.07.2014 से 14.04.2019	
40	10	मैसर्स सिंह आटोमोबाइल्स, रुड़की।	डीजल/पेट्रोल	01.09.2016 से 31.08.2021	
41	11	मैसर्स जस पर्यावरण समिति, मंगलौर, रुड़की हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	27.06.2016 से 26.06.2021	
42	12	मैसर्स ए टू जेड आटोमोबाइल्स, निकट सोनाली ब्रिज, रुड़की, हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	16.03.2017 से 15.03.2022	
43	13	मैसर्स देवभूमि पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, निकट—एसबीआई दिल्ली रोड, मोहनपुर रुड़की हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	20.01.2017 से 19.01.2022	
44	14	मैसर्स गुरुकृपा पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण समिति, न्यू भगवान पुर, हरिद्वार।	डीजल	15.04.2014 से 14.04.2019	
45	15	मैसर्स किरन पर्यावरण एवं यातायात संरक्षण समिति, शिवालिक नगर, हरिद्वार, द्वारा—बस स्टैन्ड, चोली, भगवानपुर, हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	01.04.2016 से 31.03.2021	
46	16	मैसर्स किरन पर्यावरण एवं यातायात संरक्षण समिति, शिवालिक नगर, मुख्य बाजार, भगवानपुर, हरिद्वार।	डीजल/पेट्रोल	25.02.2016 से 24.02.2021	
47	17	मैसर्स अमन पर्यावरण सेवा समिति, मकान नं 0-38, खेमपुर, तहसील—रुड़की जिला—हरिद्वार	डीजल/पेट्रोल	13.04.2017 से 12.04.2022	
मैसर्स देवभूमि पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, आर्यनगर, ज्वालापुर जनपद—हरिद्वार।		डीजल/पेट्रोल	मान्यता समाप्त	प्रति संलग्न	
मैसर्स श्रीराम पर्यावरण कल्याण समिति, ऋषिकेश बाईपास रोड, हरिद्वार।		डीजल/पेट्रोल	मान्यता समाप्त	प्रति संलग्न	
जिला—पौड़ी गढ़वाल					
48	1	मैसर्स ओम आटोमोबाइल्स, कोटद्वार।	डीजल/पेट्रोल	06.10.2017 से 05.10.2022	
49	2	मैसर्स गढ़वाल मोटर्स आनर्स यूनियन लिंग कोटद्वार।	डीजल/पेट्रोल	06.08.2013 से 05.08.2018	
50	3	मैसर्स श्री आटोमोबाइल सर्विस सेन्टर, यूनिवर्सिटी गेट, श्रीनगर गढ़वाल।	डीजल	13.01.2015 से 20.10.2019	
51	4	मैसर्स कृष्णा मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल, प्र०ज००केन्द्र पौड़ी गढ़वाल।	डीजल/पेट्रोल	18.03.2016 से 17.03.2021	
52	5	मैसर्स भट्ट मोटर वर्कशाप, कोटद्वार।	डीजल/पेट्रोल	13.04.2017 से 12.	

				04.2022	
53	6	मैसर्स गणपति वाहन प्रदूषण नियन्त्रण एवं पर्यावरण विकास समिति, (स्वैच्छिक पंजीकृत संस्था) श्री बद्रीनाथ मार्ग, मौहल्ला एजेन्सी, श्रीनगर जिला—पौड़ी गढ़वाल।	डीजल/पेट्रोल	14.02.2018 से 13.02.2023	
54	7	मैसर्स विचार पर्यावरण प्रदूषण एवं निवारण समिति (पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था) बर्थवाल भवन, सर्किट हाऊस, देवप्रयाग रोड, पौड़ी गढ़वाल।	डीजल/पेट्रोल	03.04.2018 से 02.04.2023	
55	8	मैसर्स वीरचक शहीद कुलदीप फिलिंग स्टेशन, पौड़ी।	डीजल/पेट्रोल	07.05.2018 से 06.05.2023	
जिला—चमोली गढ़वाल					
56	1	मैसर्स उरमान भारत मोटर गैराज, कर्णप्रयाग, चमोली।	डीजल/पेट्रोल	07.03.2016 से 06.03.2021	
57	2	मैसर्स प्रगति बहुदेशीय सहकारी समिति, कर्णप्रयाग चमोली।	डीजल	19.09.2015 से 15.10.2019	
जिला—रुद्रप्रयाग					
58	1	मैसर्स प्रगति बहुदेशीय सहकारी समिति, रुद्रप्रयाग।	डीजल	12.12.2016 से 11.12.2021	
59	2	मैसर्स ग्रीन पीस सोसायटी, भाणाधार, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग।	पेट्रोल	14.11.2017 से 13.11.2022	
जिला—नैनीताल					
60	1	मैसर्स कृष्णा पोल्यूशन सेन्टर, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल।	डीजल/पेट्रोल	28.07.2016 से 27.07.2021	
61	2	मैसर्स आयूष पोल्यूशन सेन्टर, हल्द्वानी।	डीजल	27.07.2016 से 26.07.2021	
62	3	मैसर्स अजय मोटर्स, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	18.10.2014 से 29.04.2019	
63	4	मैसर्स जय बाबा हेड़ाखान एग्रीकल्चर वर्क्स, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	20.04.2015 से 28.10.2019	
64	5	मैसर्स जीवन चेतना पर्यावरण कल्याण समिति, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	19.11.2013 से 04.07.2017	
65	6	मैसर्स श्री गोलज्यू पर्यावरण एवं ग्रामोद्योग समिति, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	26.04.2013 से 29.11.2017	
66	7	मैसर्स रावत पर्यावरण सेवा समिति, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	19.07.2014 से 31.01.2019	
67	8	मैसर्स पर्वतीय पर्यावरण विकास समिति, तिकोनिया, हल्द्वानी	डीजल/पेट्रोल	21.10.2014 से 20.10.2019	
68	9	मैसर्स जयदुर्गा एग्रीकल्चर वर्क्स, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	13.01.2015 से 20.10.2019	
69	10	मैसर्स निर्मल पर्यावरण विकास समिति, रामनगर नैनीताल।	डीजल/पेट्रोल	06.10.2016 से 05.10.2021	
70	11	मैसर्स देवांचल पर्यावरण समिति, कैनाल रोड, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	30.05.2015 से 29.05.2020	
71	12	मैसर्स अजय हिमालयन पर्यावरण सेवा समिति, हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	18.06.2016 से 27.02.2021	
72	13	मैसर्स रौतेला ग्लोबल सोसाइटी, शीषमहल,	डीजल/पेट्रोल	13.04.2015 से 28.	

		काठगोदाम हल्द्वानी।		10.2019	
73	14	मैसर्स रियाज पर्यावरण सेवा समिति, (पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था), 37-सी, रामनगर, नैनीताल।	डीजल/पेट्रोल	22.04.2017 से 21.04.2022	
74	15	मैसर्स सर्वजन हितकारी पर्यावरण विकास समिति, रामनगर नैनीताल।	डीजल/पेट्रोल	31.05.2017 से 30.04.2022	
75	16	मैसर्स देशवाल देवभूमि पर्यावरण सेवा समिति, ईदगाह रोड, खताड़ी, तहसील-रामनगर, नैनीताल।	डीजल/पेट्रोल	31.03.2016 से 17.03.2020	
		मैसर्स उत्तराचल युवा कल्याण समिति, दुमबाडुंगा, काठगोदाम हल्द्वानी।	डीजल/पेट्रोल	17.07.2014 से 14.11.2016	मान्यता समाप्त
जिला—चम्पावत					
76	1	मैसर्स टनकपुर सर्विस स्टेशन, टनकपुर।	डीजल/पेट्रोल	09.02.2016 से 08.02.2021	
77	2	मैसर्स जय शंकर पर्यावरण निवारण समिति, टनकपुर चम्पावत।	डीजल/पेट्रोल	10.04.2013 से 25.10.2017	
78	3	मैसर्स पूर्णागिरी सर्विस स्टेशन, टनकपुर चम्पावत।	डीजल/पेट्रोल	18.12.2013 से 17.12.2018	
जिला—अल्मोड़ा					
79	1	मैसर्स ब्रसव आटो फेब्रिकेशन, अल्मोड़ा।	डीजल/पेट्रोल	30.03.2016 से 29.03.2021	
80	2	मैसर्स मंगलदीप विकास समिति, अल्मोड़ा।	डीजल/पेट्रोल	20.10.2014 से 29.04.2019	
जिला—बागेश्वर					
81	1	मैसर्स मन्तू मो0ड्हा0ट्रो0 स्कूल प्र0जॉ0 केन्द्र बागेश्वर।	डीजल/पेट्रोल	16.06.2015 से 15.06.2020	
82	2	मैसर्स ए0 बी0 मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल, प्र0जॉ0केन्द्र बागेश्वर।	डीजल/पेट्रोल	07.04.2017 से 06.04.2022	
83	3	मैसर्स ए0 बी0 पर्यावरण सेवा समिति, गरुड़, बागेश्वर।	डीजल/पेट्रोल	24.08.2016 से 23.08.2021	
जिला—पिथौरागढ़					
84	1	मैसर्स पिथौरागढ़ महिला उत्थान समिति, पिथौरागढ़।	डीजल	04.10.2012 से 13.08.2015 (नवीनीकरण की कार्यवाही गतिमान)	
85	2	मैसर्स कार केयर सेन्टर कैंट रोड, जाखनी पिथौरागढ़।	डीजल/पेट्रोल	13.07.2016 से 12.07.2021	
86	3	मैसर्स यूनिवर्सल वैलफेयर सोयाइटी, कैन्ट रोड, विण, तहसील व जिला—पिथौरागढ़।	डीजल/पेट्रोल	11.01.2018 से 09.08.2022	
जिला—उधमसिंह नगर।					
87	1	मैसर्स मुस्कान पर्यावरण सेवा समिति, उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	08.09.2016 से 07.09.2021	
88	2	मैसर्स पर्यावरण वैलफेयर सोसायटी बरेली बाईपास रोड, उधमसिंह नगर।	डीजल	15.12.2015 से 11.08.2019	
89	3	मैसर्स बालाजी सर्विस सेन्टर, रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	15.12.2015 से 14.12.2020	

90	4	मैसर्स आकांक्षा आटोमोबाइल्स, प्राइलि किच्छाबाई पास रोड, रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	06.09.2013 से 05.09.2018	
91	5	मैसर्स दीक्षित पर्यावरण सेवा समिति, उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	21.02.2014 से 19.11.2018	
92	6	मैसर्स बालाजी आटोलिंक, रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	15.03.2013 से 20.01.2018	
93	7	मैसर्स गोग्रीन सेवा समिति, प्रीतविहार उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	26.10.2012 से 25.10.2017	
94	8	मैसर्स स्वास्तिक पर्यावरण सेवा समिति, रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	डीजल	15.12.2015 से 14.12.2019	
95	9	मैसर्स हरि पर्यावरण समिति, रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	31.12.2016 से 30.12.2021	
96	10	मैसर्स आर्य समाजोत्थान समिति, प्रीतविहार रुद्रपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	11.09.2013 से 10.09.2018	
97	11	मैसर्स आदर्श पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा समिति, सितारगंज उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	06.03.2017 से 30.10.2022	
98	12	मैसर्स विमलेश पर्यावरण कल्याण सेवा समिति, लोकविहार रुद्रपुर उधमसिंहनगर।	डीजल/पेट्रोल	15.12.2015 से 14.12.2020	
99	13	मैसर्स कामिनी पर्यावरण सेवा समिति, काशीपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	14.12.2016–13.12.2021	
100	14	मैसर्स राकेश वेल्फेयर सोसायटी, (पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था), सिरौली कलां किंच्छा, उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	29.04.2017 से 28.04.2022	
101	15	मैसर्स बजरंग पर्यावरण समिति, वार्ड नं-01, जगतपुरा रुद्रपुर जिला—उधमसिंह नगर।	डीजल	01.11.2017 से 31.10.2022	
102	16	मैसर्स देवभूमि पर्यावरण सेवा समिति, केशवनगर, बाजपुर जिला—उधमसिंह नगर।	डीजल	15.06.2017 से 14.06.2022	
103	17	मैसर्स आशीष पर्यावरण सेवा समिति, केशवनगर, बाजपुर जिला—उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	30.08.2017 से 29.08.2022	
104	18	मैसर्स रुद्रा पर्यावरण विकास समिति, काशीपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	02.06.2013 से 01.06.2018	
105	19	मैसर्स चन्द्रसेन राम यशपाल डीलर बीपीसीएल आयल डिस्ट्रीब्यूटर, काशीपुर रोड, जसपुर उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	07.05.2016 से 06.09.2019	
106	20	मैसर्स गहलौत सर्विस स्टेशन, आई०ओ०सी०एल० पेट्रोल पम्प, काशीपुर रोड, जसपुर जिला—उधमसिंह नगर।	डीजल/पेट्रोल	16.10.2017 से 15.10.2022	

सरकारी वाहनों की मरम्मत के लिये मान्यता प्राप्त गैराजों की सूची :-

क्रम सं०	गैराज का नाम
1— देहरादून	मैसर्स बंसल एशोसियेट्स एड इंजीनियर्स इंडस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
2	मैसर्स गुणा वर्कशाप, चक्राता रोड़, देहरादून।
3	मैसर्स नेशनल मोटर्स राजपुर रोड़, देहरादून।
4	मैसर्स कोचर मोटर्स हरिद्वार रोड़, देहरादून
5	मैसर्स डी ० डी० मोटर्स १ –सी, त्यागी रोड़, देहरादून
6—ऋषिकेश	मैमर्स लक्ष्मी आटोमोबाइल्स, यात्रा बस स्टैण्ड ऋषिकेश
7	मैमर्स राकेश आटोमोबाइल्स, इंजीनियर्स, हरिद्वार रोड ऋषिकेश
8	मैसर्स गढ़वाल गैसोलीन स्टेशन, लक्ष्मण झूला रोड़, ऋषिकेश
09	मैसर्स सोहन सिंह एंड सन्स, लक्ष्मण झूला रोड़,, ऋषिकेश।
10— हरिद्वार	मैसर्स सिंह आटो मोबाइल्स निकट महन्त पेट्रोल पम्प रामपुर रोड़, रुड़की, हरिद्वार।
11—	मैसर्स एटूजेडआटोमोबाइल्स, निकट—सोलानी ब्रिज, रुड़की, जनपद—हरिद्वार।
12— पौड़ी	श्री आटोमोबाइल सर्विस सेन्टर, श्रीनगर गढ़वाल
13— कोटद्वार	मैसर्स ओम आटोमोबाइल्स, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार
14	मैसर्स भट्ट मोटर्स, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार।
15— चमोली	मैसर्स उस्मान भारत मोटर वर्कशाप, गोपेश्वर रोड, चमोली
16— हल्द्वानी	मैसर्स अजय मोटर्स, निकट—पी०डब्ल्यू०डी० गेस्ट हाउस, तिकोनिया, हल्द्वानी।
17	मैसर्स जय इंजिनियरिंग सर्विस, स्टेशन रोड, निकट — प्रेम टाकेज हल्द्वानी
18	मैसर्स जयदुर्गा एग्रीकल्चर वर्क्स, मोटाहल्दू रोड, हल्द्वानी, नैनीताल
19	मैसर्स हरियाल कार स्कैनस, गोजाजली, बरेली रोड, हल्द्वानी।
20	मैसर्स जयबाबा हेड़ाखान, हल्द्वानी
21	मैसर्स जनरल मोटर्स, हल्द्वानी
22—चम्पावत	मैसर्स टनकपुर सर्विस सेन्टर, टनकपुर चम्पावत
23— अल्मोड़ा	मैसर्स ब्रसव आटोफेब्रीकेशन, पताल देवी अल्मोड़ा
24— बागेश्वर	मैसर्स इष्टदेव आटो मोबाइल गैराज बागेश्वर

संलग्न अभिलेख :-

- 1—राजकीय वाहन पर लाल/नीली बत्ती का प्रयोग करने विषयक केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—108 के परन्तुक के खण्ड (3) के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—का0आ0 52(अ) दिनांक 11—01—2002।
- 2—राजकीय वाहन पर लाल/नीली बत्ती का प्रयोग करने विषयक केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—108 के परन्तुक के खण्ड (3) के अधीन परिवहन विभाग उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 3—8/परि0स0/उत्तरांचल/2001 / 245 दिनांक 05—02—2001 सपष्टित शासनादेश संख्या—56/परि0/2003 दिनांक 07—02—2003 एवं शासनादेश संख्या—473/नौ/61(परि)/2002/2006 दिनांक 02—06—2006। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 09/ix—1/61(2002)/2014 दिनांक 06 जनवरी 2014, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 37/ix—1/61(2002)/2014 दिनांक 15 जनवरी 2014, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 332/ix—1/61(2002)/2014 दिनांक 09 जून 2014, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. 423(अ) दिनांक 01 मई 2017
- 3— उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों को पंजीयन कोड आवंटित करने से सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 683/ix—1/109/2013 दिनांक 12.09.2013, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 45/ix—1/2017/109(2013) दिनांक 12.01.2017
- 4— उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय मार्गों पर भारी एवं हल्के वाहनों की अधिकतम व न्यूनतम गति सीमा नियत करने विषयक उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 52/ix/424/2009 दिनांक 30.01.2009

-XXXXX-

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग—II-खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II Section-3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2002 / पौष 21, 1923

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2002/PAUSA 21, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 11 जनवरी, 2002

का.आ. 52(अ.)— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के परन्तुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी यान को जो उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो, निम्नलिखित का प्रयोग करने का अनुज्ञा होगी,—

(क) यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी डयूटी पर हो:—

- (1) राष्ट्रपति
- (2) उपराष्ट्रपति
- (3) प्रधानमंत्री
- (4) भूतपूर्व राष्ट्रपति

- (5) उप प्रधानमंत्री
 - (6) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
 - (7) लोक सभा का अध्यक्ष
 - (8) संघ के मंत्रिमण्डल के सदस्य
 - (9) उपाध्यक्ष, योजना आयोग
 - (10) भूतपूर्व प्रधानमंत्री
 - (11) राज्य सभा और लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता
 - (12) उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश
- (ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो—
- (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
 - (2) भारत का नियंत्रक—महालेखा परीक्षक
 - (3) उप सभापति राज्यसभा
 - (4) उपाध्यक्ष, लोक सभा
 - (5) संघ के राज्य मंत्री
 - (6) योजना आयोग के सदस्य
 - (7) भारत का महान्यायवादी
 - (8) मंत्रिमण्डल सचिव
 - (9) तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो पूर्ण जनरल के रैंक समतुल्य रैंक के हो
 - (10) संघ के उपमंत्री
 - (11) तीनों सेनाओं के स्थानापन्न अध्यक्ष जो लेपिटनेंट जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हो
 - (12) अध्यक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
 - (13) अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग
 - (14) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग
 - (15) अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग

(ग) कोई यान जो ऐसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो जो रैंक/प्रारिथिति और प्रसुविधाओं में ऊपर पद "क" और "ख" में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्सम्बन्धी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का उपयोग करने के लिये हकदार होगा। ऐसा यान जो उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो जिन्हे गृह मंत्रालय द्वारा उनकी निजी है सियत में रैंक समनुदेशित की गयी है उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट किये गये हैं समनुदेशित तत्थानी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(घ) यदि कोई यान जिस पर के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुयी है उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जायेगा।

(ङ) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथारिथिति अपनी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जैसे कि राज्यपाल, मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायधीश राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडलों के सभापति अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्यों आदि के सम्बन्ध में लाल बत्ती के उपयोग पर ऐसी ही अधिसूचनायें जारी करेंगे।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2002

S.O. 52(E)— In pursuance of powers under clause (iii) of proviso to rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules 1989, the Central Government hereby specifies that a vehicle carrying high dignitaries shall be permitted to

(a) red light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the country:-

(1) President

(2) Vice President

- (3) Prime Minister
- (4) Former Presidents
- (5) Deputy Prime Minister
- (6) Chief Justice of India
- (7) Speaker of the Lok Sabha
- (8) Cabinet Ministers of the Union
- (9) Deputy Chairman Planning Commission
- (10) Former Prime Minister

संख्या—३—८ / परिसंख्या / उत्तरांचल / 2001 / 245

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा
सचिव,
परिवहन विभाग
उत्तरांचल शासन—१

सेवा में,

- 1— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
- 2— अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।

दिनांक 05.02.2001

महोदय,

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 108(द) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड 3 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग तथा उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 3434टी/३०— ४—८७—२५पी/८७ दिनांक 23.07.89 का अतिक्रमण करते हुये राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार उत्तरांचल शासन ने निम्नलिखित को उनके समुख उल्लिखित के अनुसार लाल बत्ती व नारंगी बत्ती का प्रयोग करने के लिये अधिकृत किया है—

- | | |
|---|------------------|
| 1— महामहिम श्री राज्यपाल | लाल बत्ती टाप पर |
| 2— उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री | लाल बत्ती टाप पर |

- 3— उत्तरांचल के विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लाल बत्ती टाप पर
- 4— उच्च न्यायालय उत्तरांचल के मुख्य न्यायधीश और लाल बत्ती टाप पर न्यायधीशगण
- 5— मुख्य सचिव, उत्तरांचल बोनट पर छोटी लाल बत्ती
- 6— पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल बोनट पर छोटी लाल बत्ती
- 7— जिलाधिकारी, उत्तरांचल बोनट पर छोटी नारंगी बत्ती
- 8— जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिसे जिले में जैसी स्थिति बोनट पर छोटी नारंगी बत्ती हो)
- 9— उत्तरांचल के न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके लाल बत्ती टाप पर समकक्ष अधिकारीगण
- उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी व अन्य को लाल बत्ती व नारंगी का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त विभिन्न वाहनों में लाल/नीली बत्ती लगी है जो कि निर्दिष्ट सीमा में नहीं है और लाल व नीली बत्ती लगाने के लिये अधिकृत भी नहीं है। इस प्रकार की बत्तियों को मोटर यान अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत हटाने के लिये 15 फरवरी 2001 की समय सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समय सीमा के पश्चात यदि किसी वाहन में, जो उक्त बत्ती लगाने के लिये अधिकृत नहीं है, लाल/नीली/नारंगी बत्ती लगी हुयी पायी जाती है जो उनके विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

पी०सी०शर्मा
सचिव।

संख्या—3—8(1)/परिस ०/उत्तरांचल/2001 तददिनांक/245
प्रतिलिपि

- 1— मुख्य सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल।
- 3— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 4— पुलिस, महानिदेशक, उत्तरांचल।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।

पी०सी०शर्मा
सचिव।

प्रेषक,

एन०एस० नपलच्याल
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

परिवहन विभाग

देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2003

विषय— राजकीय वाहन पर बत्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०—३—८ / परिरोस० / उत्तरांचल / 2001 / 245
दिनांक 05.02.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 05.02.2001 को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश के क्रमांक 7 व 8 पर अंकित अधिकारियों को उनके राजकीय वाहन पर निम्नानुसार बत्तियों के प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है—

- | | |
|--|------------------|
| (1) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल | छत पर नीली बत्ती |
| (2) जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक (जो जिले के प्रभारी हो) | छत पर नीली बत्ती |

कृपया शासनादेश सं०—३—८ / परिरोस० / उत्तरांचल / 2001 / 245 दिनांक 05.02.2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

एन०एस० नपलच्याल
सचिव।

संख्या— (2) / परिरो/ 2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव चन्द्र जोशी
अपर सचिव।

प्रेषक,

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन |

सेवा में

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
 2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
 3. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल।
 4. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी /
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।

परिवहन अनुभाग, देहरादून

दिनांक 02 जून, 2006

विषय— राजकीय वाहन पर बत्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-3-8 / परिस0 / उत्तरांचल / 2001 / 245

दिनांक 05.02.2001 तथा शासनादेश सं0—56 / परि0 / 2003 दिनांक 07 फरवरी, 2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तरांचल एवं उत्तरांचल राज्य के नेता प्रतिपक्ष को उनके राजकीय वाहनों में निम्नानुसार बत्तियों के प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है—

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1— भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तरांचल | लाल बत्ती टाप पर |
| 2— उत्तरांचल राज्य के नेता प्रतिपक्ष | लाल बत्ती टाप पर |

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 05.02.2001 में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त शासनादेश के क्रमांक 5 एवं 6 पर अंकित अधिकारियों को उनके राजकीय वाहनों पर बोनट पर छोटी लालबत्ती के स्थान पर निम्नानुसार बत्तियों के प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है—

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1— मुख्य सचिव, उत्तरांचल | लाल बत्ती टाप पर |
| 2— पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल | लाल बत्ती टाप पर |

कृपया शासनादेश सं0-3-8/परिरोस0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05.02.2001
को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय.

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-473(1) / IX / 61(परि) / 2002 / 2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
- 2— सचिव, विधान सभा, सचिवालय उत्तरांचल।
- 3— स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4— निजी सचिव, भूतपूर्व मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
- 5— नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, उत्तरांचल।
- 6— पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
- 7— पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

वी० राम
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-09 / ix-1 / 61(2002) / 2014
देहरादून : दिनांक 06 जनवरी 2014

अधिसूचना

मा० उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीब पिटीशन (सी) संख्या-25237 / 2010 अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा स्पेशल लीब पिटीशन (सी) संख्या 23984 / 2010 अभय सिंह बनाम भारत संघ व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-12-2013 के अनुक्रम में सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2002 एवं अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2005 में परिभाषित पदों के अनुरूप राज्य सरकार के महानुभावों को चिन्हित करते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लाल बत्ती की अनुमन्यता से सम्बन्धित समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित महानुभावों को उनके शासकीय वाहनों में हूटर रहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिये अधिकृत किया है :-

- (1) महामहिम राज्यपाल
- (2) उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री
- (3) उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष
- (4) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- (5) उत्तराखण्ड मंत्रिमण्डल के सदस्य
- (6) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष
- (7) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव

संख्या-09(1) / ix-1 / 61(2002) / 2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 4- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
- 5- रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 6- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

- 8- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 10- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड ।
- 11- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 12- मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
- 13- निजी सचिव, मार्ग विधान सभा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
- 14- निजी सचिव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
- 15- निदेशक, एनोआईसी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 16- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा० उमाकान्त पंवार)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग—1
संख्या—37 / ix-1 / 61(2002) / 2014
देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—09 / ix-1 / 61(2002) / 2014 दिनांक 06 जनवरी 2014 के अनुक्रम में महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड को उनके शासकीय वाहन में शासकीय कार्य के दौरान हूटर रहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या—37(1) / ix-1 / 61(2002) / 2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 6- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 7- आयुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 8- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
- 9- रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 10- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 12- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 14- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 15- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 16- मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 17- निजी सचिव, मा० विधान सभा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 18- निजी सचिव, मा० नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखण्ड।
- 19- निजी सचिव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 20- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 21- समस्त सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
- 22- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा० उमाकान्त पंवार
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-332 / ix-1 / 61(2002) / 2014
देहरादून : दिनांक 9 जून, 2014
अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-09 / ix-1 / 61(2002) / 2014 दिनांक 06 जनवरी 2014 एवं
संख्या-37 / ix-1 / 61(2002) / 2014 दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुक्रम में निम्नलिखित महानुभावों
को उनके शासकीय वाहन में शासकीय कार्य के दौरान हूटर रहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिये
अधिकृत किया जाता है :-

- (1) उत्तराखण्ड विधान सभा के उपाध्यक्ष।
- (2) कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त सभी सचिव।
- (3) कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त विधान सभा सदस्य।

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव

संख्या-332(1) / ix-1 / 61(2002) / 2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 6- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 7- आयुक्त कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 8- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
- 9- रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 10- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 12- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 14- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 15- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 16- मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 17- निजी सचिव, मा० विधान सभा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 18- निजी सचिव, मा० विधान सभा उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

- 19- निजी सचिव, मा० नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखण्ड ।
- 20- समस्त निजी सचिव, कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त सभी सचिव ।
- 21- समस्त निजी सचिव, कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त मा० विधान सभा सदस्य ।
- 22- निजी सचिव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
- 23- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 24- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 25- समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 26- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

एस० रामास्वामी
प्रमुख सचिव ।

नई दिल्ली, सोमवार, मई 01,2017 /वैशाख 11,1939
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

सा.का.नि. 423 (अ)– केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय प्रारूप नियम, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उन प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा की गई थी, दस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

जबकि उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध कर दी गई थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटरयान (सांतवा संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 में,—
 - (क) उपनियम (1) के परंतुक में—
 - (i) खण्ड (ii) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—
 - (ii) एंबर लाइट यदि किसी दिशा सूचक द्वारा प्रदर्शित की जाती है या टाप लाइट जिसका वायु पत्तनों, पत्तनों जैसे परिसर के भीतर उन परिसरों के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर जाए बिना चलने वाले यान पर उपयोग किया जाता है;
 - (iii) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;
 - (iv) खंड (v) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (4) में “आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

टिप्पणी— मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 271(अ), तारीख 20.03.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-683 / ix-1 / 109 / 2013
देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) सपष्टित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 50 के उपनियम (3) के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या— 22 / 3-4 / स०प० / कैम्प / 2000—2001 दिनांक 30 नवम्बर 2000 के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को उनके समुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

क्रमांक	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय	वांछित पंजीयन कोड
1	ऋषिकेश	UK 14
2	कोटद्वार	UK 15
3	विकासनगर	UK 16
4	रुड़की	UK 17
5	काशीपुर	UK 18

(डा० उमाकान्त पंवार)
 सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-45/ix-1/2017/109(2013)
देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) सपष्टित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 50 के उपनियम (3) के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या- 22/3-4/स0प0/कैम्प/2000-2001 दिनांक 30 नवम्बर 2000 के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को उनके समुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

क्रमांक	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय	वांछित पंजीयन कोड
1	रामनगर	UK 19
2	रानीखेत	UK 20

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या— (1)ix-1/2017/109(2013)—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— वरिष्ठ निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— समस्त राज्यों के परिवहन आयुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।
- 4— समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 5— समस्त पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 6— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8— गार्ड फाईल।

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2009 ई०

माघ 10, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या 52/ix-1/424/2009

देहरादून 30 जनवरी, 2009

अधिसूचना

प0आ0-26

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि अनुसूची में उल्लिखित मार्गों पर सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से भारी तथा हल्के वाहनों की अधिकतम तथा न्यूनतम गति सीमायें नियत की जायें;

अतः, राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 की उपधारा (2) सपष्टित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के नियम 178 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके अनुसूची में उल्लिखित मार्गों पर भारी तथा हल्के वाहनों की अधिकतम तथा न्यूनतम गति सीमायें नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र०सं०	मार्ग का नाम	निर्धारित गति सीमा (किमी० प्रति घंटा)	
		भारी वाहन	हल्का वाहन
1	2	3	4
जनपद—पौड़ी			
1	पौड़ी—देवप्रयाग	25	30
2	पौड़ी—कांसखोत—कोटद्वार	25	30
3	पौड़ी—ल्वाली—गुमाई—धनाऊ	20	25
4	पौड़ी—अदवानी—बगानीखाल—बसन्तपुर—बहेड़ाखाल—खाण्डा	20	25
5	पौड़ी—घुड़दोड़ी—जामनाखाल	20	25
6	पौड़ी—पैठानी—स्योली—गिन्दोखाल—कर्णप्रयाग	20	25
7	पौड़ी—कोटमहादेव—फिरोजपुर	20	25

8	पौड़ी—चाकीसैण—त्रिपालीसैण—बूंगीधार	20	25
9	पौड़ी—खिर्सू—खेड़ाकाल—रुद्रप्रयाग	20	25
10	पौड़ी—पिटुण्डी—डबरुखाल	20	25
11	पौड़ी—श्रीनगर—बुधाण—चमधार	20	30
12	पौड़ी—मुंडानेश्वर—बौंसाल—सतपुली	25	30
13	पौड़ी—कांसखेत—बाड़ियूं—व्यासघाट	20	25
14	पौड़ी—मासौं—खिर्कू—सन्तुधार—पाटीसैण	20	25
15	पौड़ी—कोटद्वार	25	30
16	श्रीनगर—बुधाणी—खिर्सू—पौड़ी	20	25
17	श्रीनगर—काण्डई	25	30
18	श्रीनगर—उफल्डा—देहलचौरी	25	30
19	श्रीनगर—चमधार—बुधाणी	20	25
20	श्रीनगर—ड़ूंगरीपंथ—खेड़ाखाल—छान्तीखाल	20	25
21	खिर्सू—पावों—मुसागली—दमदेवल	20	25
22	पौड़ी—सुरपुर—डाण्डा नागराजा	25	30
23	खिर्सू—चोबटाखाल—हुलाकीखाल—कठुली	20	25
24	पौड़ी—माण्डाखाल—पोखरीखेत—ज्वालपोवी—पाटीसैण	20	25
25	पौड़ी—थैलीसेण—बैजरो—धूमाकोट—रामनगर	20	25
26	कोटद्वार—कालागढ़—रामनगर	30	35
27	कोटद्वार—चण्डीधाट—हरिद्वार	30	35
28	कोटद्वार—भोगपुर—विदासनी—कनखल	20	30
29	कोटद्वार—रथवाढाव—ढिकाला—रामनगर	20	30
30	कोटद्वार—लैन्सडॉन	25	30
31	कोटद्वार—रामणी—बल्ली	20	25
32	कोटद्वार—कलालधाटी	30	35
33	कोटद्वार—फतेहपुर—मैदावान	25	30
34	गुमखाल—द्वारीखाल—चैलूसैण—ऋषिकेश	25	30
35	डेरियाखाल—रिखणीखाल—मैदावन	25	30
36	सतपुली—रीठाखाल—स्यंसी—रामनगर	25	30
37	सतपुली—ऐकेश्वर—नौगांवखाल—देवराजखाल	25	30
38	सतपुली—मरोड़ा—बाड़ियूं—व्यासघाट	25	30
39	पौड़ी—धूमाकोट—नैनीडान्डा	20	25
40	पाटीसैण—सन्तुधार—दमदेवली	20	25
41	पाटीसैण—सन्तुधार—खिर्कू—मासौं—पावो	20	25
42	कोटद्वार—रिखलीखाल—सिद्धखाल—घिरौली	20	25
43	सतपुली—दुधारखाल	20	25
44	कोटद्वार—चौबट्टाखाल—गवाँडी—घिरौली	20	25
45	बैंजरो—उफराई	20	25
46	कोटद्वार—बिजोरापानी—कुण्जखाल	25	30
47	नौगांवखाल—डियूल्ड	25	30

48	गुमखाल—लैन्सडोन	25	30
49	बैंजरो—जोगीमढ़त्री—सराईखेत	25	30
50	सौपखाल—सुगरिया—ललितपुर	25	30
51	संगुरखाल—सीकूखाल—ज्वालपादेवी	25	30
52	कनमोठिलिया—नौगांवखाल	25	30
53	कोटद्वार—कर्णवाश्रम	30	35
54	हल्दुखाल—सिंगडडी	30	35
55	कौड़ियाचौकी—मोटाढाक	30	35
56	कोटद्वार—दुगड़ा—कान्डी—लक्ष्मणझूला—बैराज	25	30
57	दुगड़ा—रथवाढाव—हल्दुखाल—नैनीडाण्डा	25	30
58	बसडा—बूंगा	20	25
59	बसडा—बूंगा—रथवाढाव	20	25
60	बसडा—तिमलसैण—जुकनिया—बड़खेत	20	25
61	पौखाल—भंवासी	25	30
62	बन्धूरी—तिमली	25	30
63	चैलूसैण—सिलोगी—घट्टूगाड़	25	30
64	बेदीखाल—भरोलीखाल	20	25
65	पौखडा—बैंजरो	25	30
66	बैंजरो—चौखाल—उफराईखाल—बछुवाबाण	25	30
67	मरचुला—भेरंगखाल—सौपखाल	25	30
68	थैलीसैण—पीरसैण—देघाट	20	25
69	कोटद्वार—डाडामण्डी—जमेली	25	30
70	कोटद्वार—नालीखाल—नाथखाल	25	30

जनपद—चम्पावत

1	टनकपुर—पिथौरागढ मोटरमार्ग पर कि०मी० 1.88 से कि०मी० 20 तक	15	15
2	टनकपुर—पिथौरागढ मोटरमार्ग पर कि०मी० 20 से कि०मी० 120 घाट तक	30	30
3	चम्पावत—हल्द्वानी मोटर मार्ग	30	30
4	लोहाघाट—पंचेश्वर मोटर मार्ग	30	30
5	चम्पावत—मंच मोटर मार्ग	30	30

जनपद—उत्तरकाशी

1	उत्तरकाशी—भटवाडी—लंका—गंगोत्री	25	30
2	उत्तरकाशी—तेखला—महिडाण्डा	15	20
3	उत्तरकाशी—गंगोरी—संगमचट्टी	20	25
4	उत्तरकाशी—भटवाडी—रैथल	20	25
5	उत्तरकाशी—धौतरी—लम्बगांव	20	25
6	उत्तरकाशी—धरासू—पौडी	20	25
7	उत्तरकाशी—बनचौरा—नैनबाग	20	25

8	उत्तरकाशी—बड़कोट	25	30
	बड़कोट—हनुमानचूटी	20	25
9	उत्तरकाशी—सिलक्यारा	20	25
	सिलक्यारा—वनगांव—वनचौरा	15	20
10	उत्तरकाशी—बड़कोट—नौगांव—पुरोला—मोरी	20	25
	मोरी—सांकरी	10	15
11	मोरी—त्यूनी—आराकोट—खूनीगाड़	20	25
12	आराकोट—चिंवा	15	20
13	साकोणाधार—धनारी—देवीधार—उत्तरकाशी	20	25
14	पुरोला—गुन्दिघाट गांव	15	20
15	उत्तरकाशी—नौगांव—राजगढ़ी	20	25
16	राडी—कफनोल—बरनीगाड़—कुंवा	20	25
17	बड़कोट—नौगांव—यमुनाब्रिज	25	30
18	उत्तरकाशी—धौंतरी—सटियालधार—कमद	20	25
19	चिन्यालीसौड—जोगत	20	25
20	सांकरी—जखोल	20	25
21	राजगढ़ी—सरनोल	10	15
22	बरनोली—झोटाडी	20	25
23	नेटवाड़ सेवा:		
	1— लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर	20	25
	2—वन विभाग के मार्ग पर	10	15
24	पुरोला—खलाडी—घटोली	20	25
25	पुरोला—कुफारा (हल्का वाहन मार्ग)	—	20
26	दीवारीखोल—गडोली	20	25
27	हुडोली—पाणीगांव	10	15
28	पुरोला—कुमोला—नोरी—गडोली	15	20
29	धौलधार—बियाली	10	15
30	द्वारी—रैथल	20	25
31	कत्याणी—जखारी	20	25
32	ज्ञानसू—साल्ट—उपरीकोट	15	20
33	नालूपानी—पटारा—डांग—स्यालना	15	20
34	नौगांव—मंजियारी—पलेठा	20	25
35	डामटा—कंडारी	20	25
36	कल्याणी—जुणगा (हल्का वाहन मार्ग)	—	20
37	राजगढ़ी—रस्तर	20	25

जनपद—पिथौरागढ़

1	पिथौरागढ़—बड़डा—झूलाघाट	25	30
2	पिथौरागढ़—अड़किनी—कवीतड़	25	30
3	पिथौरागढ़—बॉस	25	30

4	पिथौरागढ—जाख पुरान	25	30
5	एंचोली—बड़ावे	25	30
6	एंचोली—पाबे	25	30
7	पिथौरागढ—सातसीलिंग—मुवानी—थल	25	30
8	देवलथल—कनालीछीना—पीपली	25	30
9	थल—पांखू—धरमधर—पचार	25	30
10	थल—डीडीहाट—ओगला	25	30
11	ओलगा—भागीचौरा	25	30
12	डीडीहाट—दूनाकोट	25	30
13	थल—तेजम—क्वीटी—मुनस्यारी	25	30
14	मुनस्यारी—मदकोट—जोलजीवी—धारचूला	25	30
15	धारचूला—तवाघाट	25	30
16	देवलथल—थल—मुवानी	25	30
17	चौंकडी—बेरीनाग—गंगोलीहाट—पनार	25	30
18	रायआगर—चौड़मान्या	25	30
19	सेराघाट—रायआगर	25	30
20	बेरीनाग—पुरानाथल	25	30
21	सनदेव—पुन्तोली	25	30
22	नाचनी—बांसबगड़	25	30

जनपद—बागेश्वर

1	बागेश्वर—गरुड मोटरमार्ग	20	30
2	बागेश्वर—कपकोट—भराडी मोटरमार्ग	20	30
3	बागेश्वर—काण्डा मोटरमार्ग	20	30
4	बागेश्वर—रीमा—धरमधर मोटरमार्ग	20	30
5	बागेश्वर—चोगाबछीना मोटरमार्ग	20	30

जनपद—रुद्रप्रयाग

1	कलियासौड़—नगरासू मार्ग	30	30
2	रुद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड मार्ग	25	25
3	जनपद के शेष मार्ग तथा लिंक मार्ग	20	20

जनपद—अल्मोड़ा

1	द्वाराहाट—चौखुटिया	30	35
2	मोहान—भतरोजखान—रानीखेत	25	35
3	अल्मोड़ा—हल्द्वानी	35	40
4	अल्मोड़ा—बाडेछीना	20	30
5	बाडेछीना—सेराघाट	20	30
6	बाडेछीना—पनुवानौला—आरतोला—दन्या—पनार	25	30
7	अल्मोड़ा—कफड़खान—ताकुला	25	30
8	अल्मोड़ा—मजखाली—रानीखेत	35	40
9	अल्मोड़ा—कोसी—सोमेश्वर—कौसानी	35	40
10	घिरीखाल—गगास—द्वाराहाट—चौखुटिया	25	30

11	रानीखेत—खैरना	35	40
12	रानीखेत—भतरोजखान—भिकियासैण—जैनल—मासी—चौखुटिया	30	35
13	मनीला—सल्ट	20	25
14	जैनल—देघाट	20	25
15	अल्मोड़ा—जलना—शहरफाटक	20	25

जनपद—टिहरी

1	ऋषिकेश—टिहरी—भल्डियाना—धारकोट—रजाखेत	30	30
2	ऋषिकेश—चम्बा	30	30
3	चम्बा—धरासू	30	30
4	नई टिहरी—भागीरथीपुरम—टिहरी	30	30
5	ऋषिकेश—चम्बा—रानीचौरी—नकोट—डाडाचली	30	30
6	ऋषिकेश—खाड़ी—गजा—देवप्रयाग	30	30
7	ऋषिकेश—खाड़ी—गजा—नकोट—बामनी—गजा—नई टिहरी—क्यारी—पेंटार्स—जीरो— प्वाइन्ट—छोलगांव—गडोलिया	30	30
8	ऋषिकेश—कीर्तिनगर—टिहरी	30	30
9	ऋषिकेश—टिहरी—घनसाली—तिलवाडा—सौराखाल—ढौढ़ाताल	30	30
10	ऋषिकेश—कीर्तिनगर—बड़ियारागढ़—महादेव—धौलगी	30	30
11	ऋषिकेश—घनसाली—मूलगढ़—धमातोली—गतकुड़ीसैण	30	30
12	ऋषिकेश—घनसाली—मयाली	30	30
13	ऋषिकेश—घनसाली—धुतू	30	30
14	ऋषिकेश—मसूरी—वाया चम्बा—नैनबाग	30	30
15	ऋषिकेश—देवप्रयाग—टिहरी	30	30
16	ऋषिकेश—लम्बगांव—उत्तरकाशी	30	30
17	ऋषिकेश—विनयखाल—बूढ़ाकेदार	30	30
18	ऋषिकेश—बनचौरा—दीवारीखाल—अगलाड पुल—विकासनगर	30	30
19	ऋषिकेश—कोटालगांव—चमियाला	30	30
20	ऋषिकेश—थत्यूड—भवन—अगलाडपुल—बनाली—रायपुर—देहरादून	30	30
21	कददूखाल—मरोडापुल—बनाली—रायपुर—देहरादून	30	30
22	कीर्तिनगर—डांग	30	30
23	जामणीखाल—जुराना	30	30
24	रोडधार—पौड़ीखाल	30	30
25	दुगड़ा सौङ—पिपलीधार	30	30
26	किलकिलेश्वर—सिल्काखाल	30	30
27	नैनबाग—घोड़ाखुरी—पंतवाडी—दिवारीखाल	30	30
28	चौधार—ओखला—काण्डा—मदननेगी	30	30
29	टिहरी—घनसाली—बड़वाली	30	30
30	कीर्तिनगर—डांगधारी—झिरकोटी	30	30
31	घनसाली—कोटी	30	30
32	रजाखेत—भटवाडा—सिलियारा—मन्दार	30	30
33	छतियार—विनयखाल—पौड़ीखाल—मल्याकोट	30	30

34	गोमुख—जाखणीधार	30	30
35	रजाखेत—नकोट—कफलोग	30	30
36	रानीचौरी—नकोट—चामनी	30	30
37	पांगरखाल—नई टिहरी	30	30
38	घनसाली—पांवली—अखोड़ी	30	30
39	कोटी—अखोड़ी—मेगाधार	20	30
40	कोड़ी—पाख	20	30
41	गूलर—गजा ग्राम नाई तक	20	25
42	हिण्डोलाखाल—शिवपुरी	20	25
43	आगराखाल—कुसरैला—कुडारना—भोगपुर	20	25
44	बडियारगढ़—तेगड—घणजी—खोला	25	25
45	तेगड—खतवाड	25	25
46	बगवान—ललूडी	25	25
47	गुलर—गजा	20	25
48	सिल्काखाल—बागसैण	25	25
49	छाम—मैण्डखाल	20	30
50	दुगड़ासासैड—पिपलीधार	25	25
51	भटवाडा—मदननेगी—कण्डल तक	20	30
52	महादेव—घुरेट—धण्डियालाधार	25	25
53	जामनीखाल—ललुडीखाल	25	25
54	घणजी—खोला	25	25
55	लक्ष्मोली—हिंसरियाखाल—जामणीखाल	25	25
56	लम्बगांव—कोटालगांव—चमियाला	20	30
57	कोडार—दीनगांव—मुखेम	20	30
58	क्यारी—जेवला—पोखरियालगांव	20	30
59	बगवान—जामनीखाल	25	25
60	हिण्डोलाखाल—बनगढ़—लक्ष्मोली—पौड़ीखाल	25	25
61	डाबरखाल—कुण्डा—रानीचौरी—सिल्काखाल—चोनीखाल—पांडव	20	25
62	लाटा—सीताकोट	20	30
63	मोटणा—छेरपधार—मदननेगी	20	30
64	सुनहरीगाड—मन्दार	20	30
65	छेरपधार—मदननेगी—रजाखेत	20	30
66	रजाखेत—गडोलिया वाया पीपलडाली सिल्यारा पटूडगांव जनपद—ऊधमसिंहनगर	20	30
	जनपद—चमोली	50	35
		30	25

आज्ञा से,

उमाकान्त पंवार,
सचिव